VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

राजव्यवस्था

Classroom Study Material

(April 2022 to December 2022)

www.visionias.in 8468022022, 9019066066

DELHI JAIPUR HYDERABAD BHOPAL GUWAHATI RANCHI LUCKNOW PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH PRAYAGRAJ

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /Vision_IAS vision_ias /VisionIAS_UPSC

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2024

लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

Scan the QR CODE *to* download VISION IAS app

DELHI: 15 MAR, 1 PM | 10 JAN, 9 AM

JAIPUR: 15 FEB, 4 PM

#PrelimsIsComing

ABHYAAS 2023
ALL INDIA PRELIMS
(GS+CSAT) MOCK TEST SERIES

16 APRIL | 23 APRIL | 7 MAY

- All India ranking & detailed comparison with other students
- Vision IAS Post Test Analysis ™ for corrective measures and continuous performance improvement
- Closely aligned to UPSC pattern
- Available in ENGLISH/ हिन्दी

OFFLINE* IN 170+ CITIES

*SUBJECT TO GOVERNMENT REGULATIONS AND SAFETY OF THE STUDENTS

Register @ www.visionias.in/abhyaas

AGARTALA | AGRA | AHMADNAGAR | AHMEDABAD | AIZAWL | AJMER | ALIGARH | ALMORA | ALWAR | AMARAVATI | AMBALA | AMBIKAPUR | AMRAVATI | AMRITSAR | ANANTHAPURU | ASANSOL AURANGABAD | AYODHYA | BALLIA | BANDA | BAREILLY | BATHINDA | BEGUSARAI | BENGALURU | BHAGALPUR | BHAVNAGAR | BHILAI | BHILWARA | BHOPAL | BHUBANESWAR | BIKANER | BILASPUR BOKARO | BULANDSHAHR | CHANDIGARH | CHANDRAPUR | CHENNAI | CHHATARPUR | CHITTOOR | COIMBATORE | CUTTACK | DAVANAGERE | DEHRADUN | DELHI-MUKHERJEE NAGAR | DELHI-RAJINDER NAGAR | DHANBAD | DHARAMSHALA | DHARWAD | DHULE | DIBRUGARH | DIMAPUR | DURGAPUR | ETAWAH | FARIDABAD | FATEHPUR | GANGTOK | GAYA | GHAZIABAD | GORAKHPUR GR NOIDA | GUNTUR | GURDASPUR | GURUGRAM | GUWAHATI | GWALIOR | HALDWANI | HARIDWAR | HAZARIBAGH | HISAR | HOWRAH | HYDERABAD | IMPHAL | INDORE | ITANAGAR | JABALPUR JAIPUR | JAISALMER | JALANDHAR | JAMMU | JAMNAGAR | JAMSHEDPUR | JAUNPUR | JHAJJAR | JHANSI | JODHPUR | JORHAT | KAKINADA | KALBURGI | KANNUR | KANPUR | KARIMNAGAR KARNAL | KASHIPUR | KOCHI | KOHIMA | KOLHAPUR | KOLKATA | KORBA | KOTA | KOTTAYAM | KOZHIKODE | KURNOOL | KURUKSHETRA | LATUR | LUCKNOW | LUDHIANA | MADURAI | MANDI MANGALURU | MATHURA | MEERUT | MIRZAPUR | MORADABAD | MUMBAI | MUNGER | MUZAFFARPUR | MYSURU | NAGPUR | NALANDA | NASIK | NAVI MUMBAI | NELLORE | NIZAMABAD NOIDA | ORAI | PALAKKAD | PANAJI | PANIPAT | PATIALA | PATNA | PRAYAGRAJ | PUDUCHERRY | PUNE | PURNIA | RAIPUR | RAJKOT | RANCHI | RATLAM | REWA | ROHTAK | ROORKEE | ROURKELA RUDRAPUR | SAGAR | SAMBALPUR | SATARA | SAWAI MADHOPUR | SECUNDERABAD | SHILLONG | SHIMLA | SILIGURI | SIWAN | SOLAPUR | SONIPAT | SRINAGAR | SURAT | THANE | THANJAVUR THIRUVANANTHAPURAM | THRISSUR | TIRUCHIRAPALLI | TIRUNELVELI | TIRUPATI | UDAIPUR | UJJAIN | VADODRA | VARANASI | VELLORE | VIJAYAWADA | VISAKHAPATNAM | WARANGAL

राजव्यवस्था और शासन (Polity & Governance)

विषय-सूची

1. संविधान से जुड़े मुद्दे (Issues Related to Constitution) 4
1.1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण {Economically Weaker Sections (EWS) Quota} 4
1.2. अन्य पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण {Sub-Categorisation of Other Backward Classes (OBCs)} 5
1.3. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC) 6
1.4. हेट स्पीच (Hate Speech) 8
1.5. राजद्रोह (Sedition) 9
1.6. प्रिवेंटिव डिटेंशन (Preventive Detention) 10
1.6.1. गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 {Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA)} 11
1.7. फोन टैपिंग (Phone Tapping) 12
1.8. भुला दिए जाने का अधिकार (Right to be Forgotten: RTBF) 13
1.9. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 14
2. संसद, राज्य विधान-मंडल/ स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली (Functioning of Parliament, State Legislature/Local Government) 17
2.1. राष्ट्रपति का चुनाव (Election of the President) 17
2.2. राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power of President and Governor) 18
2.3. लोकपाल और लोकायुक्त (Lokpal and Lokayukta) 19
2.4. संसदीय समितियां (Parliamentary Committees) 20
2.5. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens: NRC) 21
2.6. प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation) 22
2.7. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 {Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996} 23
2.8. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 24
3. केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations) 28
3.1. सातवीं अनुसूची में सुधार (Reform in Seventh Schedule) 28
3.2. सतलुज यमुना लिंक नहर (Sutlej Yamuna Link Canal) 29
3.3. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 30
4. न्यायपालिका (Judiciary) 33
4.1. जनहित याचिका (Public Interest Litigation) 33
4.2. अधिकरण (Tribunals) 34
4.3. न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Judges) 36
4.4. कारागार (जेल) सुधार (Prison Reforms) 37
4.5. मृत्यु दंड {Death Penalty (Capital Punishment)} 38
4.6. विधिक सेवा प्राधिकरण {Legal Services Authorities (DLSAs)} 39
4.7. संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण (Live Streaming of Constitution Bench Hearings) 40
4.8. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 42

VISION IAS

5. चुनाव (Elections) 47
5.1. दल-बदल रोधी कानून (Anti-Defection Law) 47
5.2. एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections) 47
5.3. परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) 48
5.4. चुनावी बॉण्ड (Electoral Bonds) 49
5.5. निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 {Election Laws (Amendment) ACT, 2021} 50
5.6. निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति (Appointments of Election Commissioners) 51
5.7. सामाजिक लोकतंत्र (Social Democracy) 52
5.8. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 53
6. महत्वपूर्ण विधान/ विधेयक (Important Legislature/ Bills) 55
6.1. बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 {Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022} 55
6.2. विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act: FCRA) 57
6.3. मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 (Model Tenancy Act, 2021) 59
6.4. दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) नियम, 2022 {Criminal Procedure (Identification) Rules, 2022} 60
6.5. मध्यस्थता विधेयक 2021 (Mediation Bill 2021) 61
6.6. प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण विधेयक (Registration of Press and Periodicals Bill) 64
6.7. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 65
7. सुर्ख़ियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक/ सांविधिक/ कार्यकारी निकाय {Important Constitutional/Statutory/Executive Bodies in News} 68
7.1. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India: UIDAI) 68
7.2. केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission: CIC) 68
7.3. भारत की जांच एजेंसियां (India's Investigative Agencies) 69
7.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 70
8. गवर्नेंस या अभिशासन के महत्वपूर्ण पहलू (Important Aspects of Governance) 71
8.1. शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies: ULBs) 71
8.2. स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की लेखापरीक्षा (Audit of Local Self Government) 72
8.3. भारत में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण (Digitalisation of Land Records in India) 73
8.4. सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण {Localisation of Sustainable Development Goals (SDGs)} 74
8.5. स्पोर्ट्स गवर्नेंस या खेल अभिशासन (Sports Governance) 75
8.6. एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी का इस्तीफा और उसकी पुनर्बहाली के नियम {Rules For Resignation and Reinstatement of An Indian Administrative Service (IAS) Officer} 77
8.7. सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक (National Standards for Civil Service Training Institutions: NSCSTI) 77
8.8. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 79

VISION IAS

नोट

प्रिय अभ्यर्थियों

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) की महत्वपूर्ण समसामयिकी को समेकित रूप से कवर किया गया है ताकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके।

अभ्यर्थियों के हित में PT 365 डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित नवीन विशेषताओं को शामिल किया गया है:

संक्षिप्त इन्फोग्राफिक्स : कुछ टॉपिक्स, जैसे-

- महत्वपूर्ण संवैधानिक / सांविधिक निकाय,
- संवैधानिक और कानूनी प्रावधान,
- महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय,

आदि को सारांश के रूप में प्रस्तुत कर उन्हें इंटरएक्टिव इन्फोग्राफिक्स के रूप में शामिल किया गया है ताकि उन्हें समझने में आसानी हो, सीखने का सहज अनुभव मिल सके और कंटेंट को बेहतर तरीके से याद रखना सुनिश्चित किया जा सके।

विभिन्न रंगों का प्रयोग: टॉपिक्स के आसान वर्गीकरण और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को रेखांकित तथा याद करने के लिए इस अध्ययन सामग्री में कई रंगों का उपयोग किया गया है।

क्विज़: अभ्यर्थी ने विषय को कितना बेहतर समझा है, इसके परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. संविधान से जुड़े मुद्दे (Issues Related to Constitution)

1.1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण {Economically Weaker Sections (EWS) Quota}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने **103वें संविधान संशोधन की वैधता** को बरकरार रखा है। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग (General category) की आबादी में **EWS को 10% आरक्षण** दिया गया है।

103वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित अनुच्छेद

अनुच्छेद 15 (6)

- यह अनुच्छेद 15(4) और 15(5) में पहले से उल्लिखित समुदायों या वर्गों के अलावा **आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है। यह शैक्षिक संस्थानों में उनके प्रवेश** से संबंधित है।
- अनुच्छेद 15(4) और 15(5) **सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति/ जनजातियों** से संबंधित हैं।

अनुच्छेद 16 (6)

- यह अनुच्छेद 16(4) में उल्लिखित समुदायों या वर्गों के अलावा **आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है। यह नियुक्तियों में या पदों के आरक्षण** से संबंधित है।
- अनुच्छेद 16(4) उन **पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है, जिनका राज्य की नजर में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं** है।

EWS आरक्षण के बारे में

- **सिन्हो आयोग** की सिफारिशों के आधार पर EWS को आरक्षण प्रदान किया गया है।
- **103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019:**
  - **EWS आरक्षण** आबादी के ऐसे वर्गों को प्रदान किया गया है जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (SC/ST) वर्गों के अंतर्गत नहीं आते हैं।
  - ऐसे वर्गों को यह आरक्षण प्रदान करने के लिए **103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019** के द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 15(6) और 16(6)** को जोड़ा गया है।
    - यह अधिनियम **केंद्र और राज्य दोनों सरकारों** को EWS को आरक्षण प्रदान करने की शक्ति देता है।
    - हालांकि, इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारें यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति और राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए EWS को आरक्षण दिया जाए या नहीं।
  - EWS की उन्नति के लिए प्रावधान करने हेतु सरकार को समर्थ बनाने के लिए इस अधिनियम द्वारा संविधान के **अनुच्छेद-15** में संशोधन किया गया है।
    - इसके अलावा, **शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए EWS हेतु 10% तक सीटों को आरक्षित** किया जा सकता है। इस प्रकार का आरक्षण **अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा।**

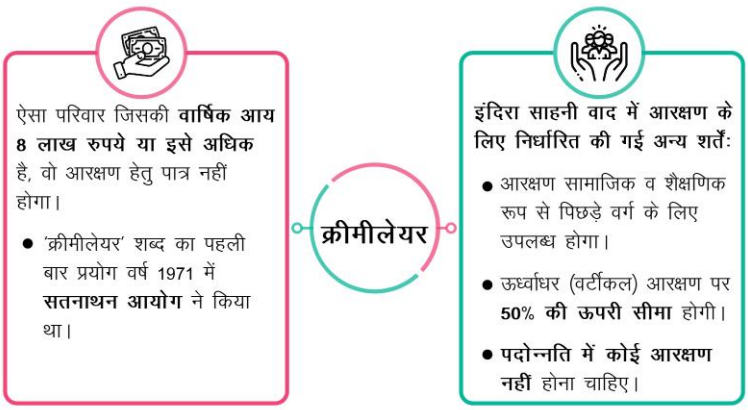

  - इस अधिनियम के माध्यम से **अनुच्छेद-16** में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत सरकार नागरिकों के **"EWS"** के लिए सभी पदों पर 10 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान कर सकती है।
- EWS आरक्षण, **SCs, STs और OBCs को मिले आरक्षण के अतिरिक्त** है।
  - **EWS आरक्षण के लिए योग्यता:** कोई व्यक्ति जो SCs, STs और OBCs के लिए किए गए आरक्षण प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है तथा जिसके परिवार की **सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है।**

- **EWS आरक्षण के तहत निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता है:**
  - जिनके पास **पांच एकड़ कृषि भूमि** है, या
  - जिनके पास **1,000 वर्ग फुट का एक आवासीय फ्लैट** है, या
  - जिनके पास अधिसूचित **नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक,** या अन्य क्षेत्रों में **200 वर्ग गज** का आवासीय भूखंड है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रमुख बिंदु (जनहित अभियान बनाम भारत संघ वाद)

- केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण संविधान के **मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है।**
  - साथ ही, **EWS को एक अलग और विशिष्ट श्रेणी** माना गया है।
- **SC/ ST, SEBC**[1] का अपवर्जन **उचित वर्गीकरण का एक हिस्सा** है। साथ ही, यह **दोहरे लाभों से बचने के लिए भी** आवश्यक है।
  - इसके अलावा, निजी शिक्षण संस्थानों में एक अवधारणा के रूप में **आरक्षण से इंकार नहीं** किया जा सकता है।
- 1992 में **इंदिरा साहनी वाद** में निर्णय दिया गया था कि **आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता** है, किंतु इस निर्णय को आने वाले सभी समयों के लिए कठोर और अनुल्लंघनीय घोषित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह निर्णय केवल SC/ ST/ SEBC/ OBC समुदायों पर ही लागू हुआ था, सामान्य वर्ग पर नहीं।

1.2. अन्य पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण {Sub-Categorisation of Other Backward Classes (OBCs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **जस्टिस रोहिणी आयोग** के कार्यकाल का फिर से विस्तार किया है। यह आयोग के कार्यकाल में **14वां विस्तार** है। अब इस आयोग को **31 जुलाई, 2023 तक** अपनी **रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।** इस आयोग का गठन **OBCs के उप-वर्गीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच** के लिए किया गया था।

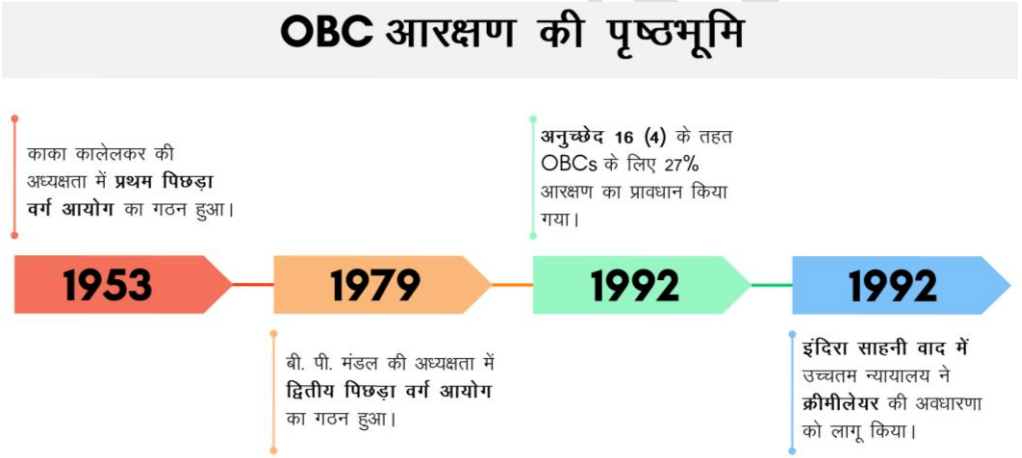

अन्य संबंधित तथ्य

- इस आयोग का गठन **2017 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत** किया गया था।
  - **अनुच्छेद 340,** सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs)[2] की स्थिति की जांच करने के लिए राष्ट्रपति को आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है।
- 2015 में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)[3] ने OBCs को **निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था:**
  - **अत्यंत पिछड़ा वर्ग {Extremely Backward Classes (EBC- ग्रुप A)}:** इसमें वे वर्ग/ समुदाय

[1] सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग / Socially and Educationally Backward Classes

[2] Socially and Educationally Backward Classes

[3] National Commission for Backward Classes

© Vision IAS

शामिल होंगे, जो OBCs के भीतर भी सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। इनमें आदिवासी जनजातियां, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां सम्मिलित हैं, जो अपने पारंपरिक व्यवसायों से जीवन यापन करती हैं;

- **अधिक पिछड़ा वर्ग {More Backward Classes: (MBC-ग्रुप B)}:** इसमें वे व्यावसायिक समूह शामिल होंगे, जो अपने पारंपरिक व्यवसायों के साथ जीवन-यापन करते हैं; तथा
- **पिछड़ा वर्ग {Backward Classes: (BC-ग्रुप C)}:** इसमें वे वर्ग शामिल होंगे, जो तुलनात्मक रूप से अधिक समर्थ या उन्नत हैं।

- NCBC के अनुसार, **11 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों** (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु) ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संस्थानों में **आरक्षण हेतु OBCs को उप-वर्गीकृत** किया है।

स्थानीय निकायों में OBC वर्ग के लिए आरक्षण

- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को OBC को आरक्षण दिए बिना नगर निकाय के चुनाव की अधिसूचना तुरंत जारी करने का निर्देश दिया है।
  - उपर्युक्त निर्देश संविधान के **अनुच्छेद 243U के प्रावधानों के आधार पर** दिया गया है। अनुच्छेद 243U के अनुसार, **किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए चुनाव इसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले संपन्न** किया जाना चाहिए।
- न्यायालय ने कहा है कि जब तक **कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ (2010) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य की गई "ट्रिपल टेस्ट शर्तों" को पूरा नहीं** किया जाता है, तब तक **नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़े वर्ग को कोई आरक्षण प्रदान नहीं** किया जाएगा।
- **ट्रिपल टेस्ट शर्तें निम्नलिखित हैं:**
  - प्रत्येक स्थानीय निकाय में **OBC के पिछड़ेपन पर डेटा एकत्र करने के लिए** राज्य सरकार एक **विशेष आयोग का गठन** करेगी;
  - आयोग के प्रस्तावों के अनुरूप **आरक्षण का अनुपात निर्धारित** किया जाएगा;
  - यह **सुनिश्चित** करना कि आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में समग्र आरक्षित सीटों के कुल **50% से अधिक नहीं** होना चाहिए।
- यदि कोई राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश **ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में नहीं है, तो इसके किसी भी स्थानीय निकाय के चुनाव को कानूनी अवधि से अधिक के लिए स्थगित नहीं** किया जा सकता है।
- भारत का संविधान **स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण** का प्रावधान करता है। राज्य सरकारों को OBCs के लिए आरक्षण पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई है।

1.3. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक, 2020**[4] नाम से एक गैर-सरकारी विधेयक को राज्य सभा में पेश किया गया है।

[4] Uniform Civil Code in India Bill, 2020

UCC के बारे में

- समान नागरिक संहिता का आशय **एकल कानून** से है, जो **भारत के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों,** जैसे- **विवाह, तलाक, अभिरक्षा (Custody), दत्तक-ग्रहण (Adoption)** और **विरासत (Inheritance)** के संदर्भ में एक समान रूप से लागू होगा।
- समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रावधान संविधान के **अनुच्छेद-44 (राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत)** के अंतर्गत आते हैं।
  - इस प्रकार, UCC संविधान के गैर-न्यायिक भाग के अंतर्गत आता है।
  - साथ ही, **"वैयक्तिक कानून (Personal Laws)"** समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं।

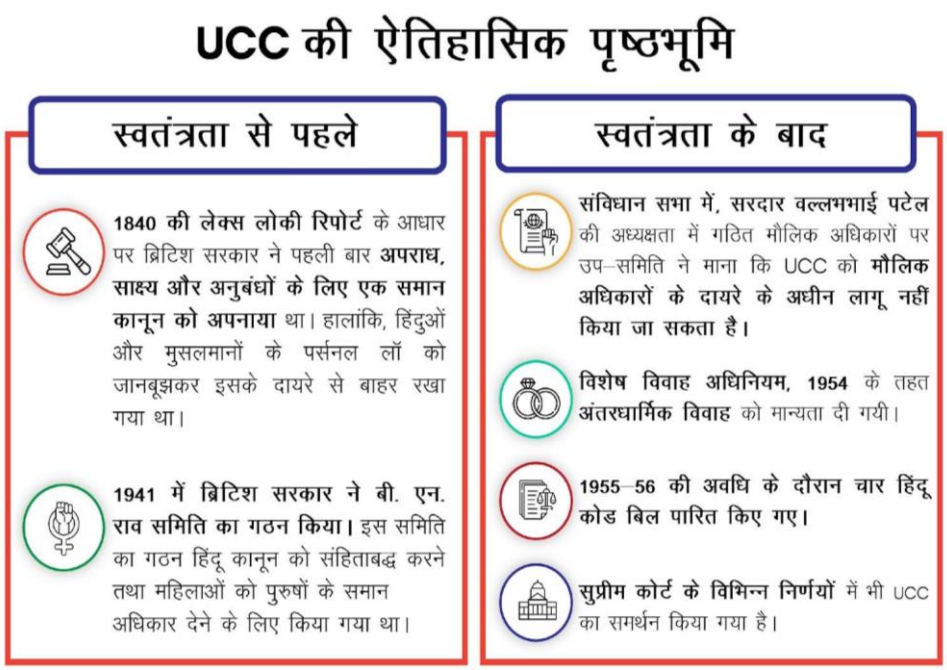

भारत में वैयक्तिक कानूनों की वर्तमान स्थिति

- वर्तमान समय में भारत में अलग-अलग धार्मिक समुदाय के लिए पृथक **वैयक्तिक कानून** है और वे कानून ही उन पर लागू होते हैं। इन्हें कानून के अलग-अलग उपबंधों, नियमों, विनियमों आदि के माध्यम से **कई वर्षों में संहिताबद्ध** किया गया है।
  - उदाहरण के लिए- **हिंदू पर्सनल लॉ** को चार कानूनों में संहिताबद्ध किया गया है: **हिंदू विवाह अधिनियम[5], 1955; हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम[6], 1956; हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम[7], 1956** तथा **हिंदू दत्तक भरण-पोषण अधिनियम[8], 1956**
    - इन कानूनों में **'हिंदू'** शब्द के अंतर्गत **सिख, जैन** और **बौद्ध** भी शामिल हैं।

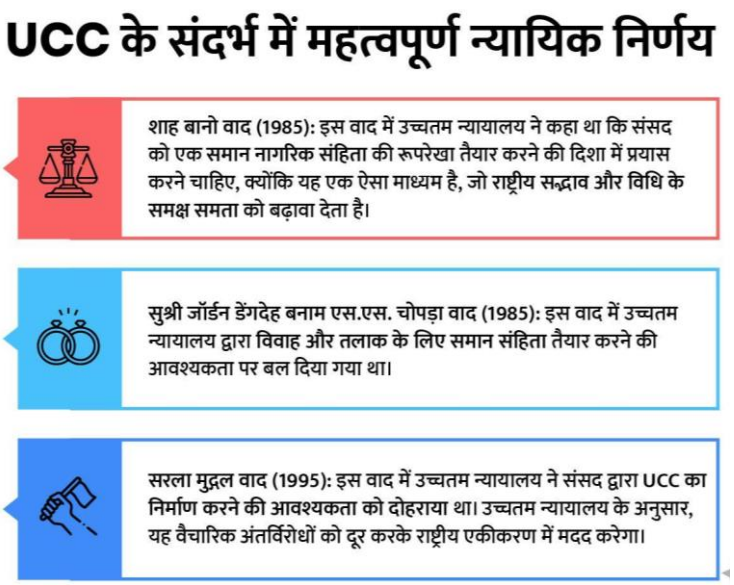

  - मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं को भारत में **मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत)[9], 1937** और **मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम[10], 1939** जैसे कानूनों में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है।

[5] The Hindu Marriage Act

[6] The Hindu Succession Act

[7] The Hindu Minority and Guardianship Act

[8] The Hindu Adoptions and Maintenance Act

[9] The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act

© Vision IAS

- भारत में **कुछ पंथनिरपेक्ष कानून** भी हैं, उदाहरण के लिए:
  - **विशेष विवाह अधिनियम[11] 1954,** जिसके तहत अंतर-धार्मिक विवाह को क़ानूनी मान्यता दी गई है।
  - इसके अतिरिक्त, **संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम[12] 1890,** अभिभावकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करता है।
- वर्तमान में, **गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य** है जहां समान नागरिक संहिता लागू है।
  - 1961 में भारत द्वारा गोवा को अपने नियंत्रण में लेने के बाद भी **पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867** को यहां जारी रखा गया था। यह संहिता **सभी गोवा वासियों पर लागू होती है,** चाहे **वे किसी भी धार्मिक या नृजातीय समुदाय के हों।**
  - हालांकि, पुर्तगाली संहिता **पूर्ण रूप से एक UCC नहीं है।**

1.4. हेट स्पीच (Hate Speech)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो[13] ने पिछले सात वर्षों में हेट स्पीच के लिए दर्ज कानूनी मामलों में लगभग 500% की वृद्धि होने की बात कही है।

हेट स्पीच के बारे में

- हेट स्पीच को भारत के **किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है।**
  - हेट स्पीच आम तौर पर व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा को बढ़ाने वाला वक्तव्य होता है। हेट स्पीच के खिलाफ **भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं, जैसे- 153A, 295A** आदि का प्रयोग किया जाता है।
- हेट स्पीच को अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इन रूपों में **चित्र, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हावभाव और प्रतीक चिन्ह शामिल हैं। इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्रसारित किया जा सकता है।**

हेट स्पीच से संबंधित कानून

संवैधानिक प्रावधान	• **संविधान का अनुच्छेद 19(2)** सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि, इस अधिकार पर अन्य बातों के साथ–साथ 'लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता' के संरक्षण हेतु 'युक्तियुक्त प्रतिबंध' लगाए गए हैं।
भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860	• भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराएं जैसे कि **153A, 153B, 298** आदि हेट स्पीच के विरुद्ध प्रावधान करती हैं। ये ऐसे भाषण या शब्दों से संबंधित हैं, जो उपद्रव उत्पन्न कर सकते हैं, धार्मिक मान्यताओं को अपमानित कर सकते हैं या राष्ट्रीय एकता के समक्ष संकट उत्पन्न कर सकते हैं।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951	• इस अधिनियम की धारा 8 ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है, जो वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दुरुपयोग का दोषी पाया गया हो। • धारा **123(3A) और धारा 125** निर्वाचन के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाली गतिविधियों को एक भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है। साथ ही, इन गतिविधियों को प्रतिबंधित भी करती है।
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955	• **धारा 7** के तहत कहे गए या लिखे गए शब्दों के माध्यम से या संकेतों या तस्वीरों द्वारा या अन्यथा अस्पृश्यता को उकसाने और उसे बढ़ावा देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान करती है।

[10] Dissolution of Muslim Marriages Act

[11] Special Marriage Act

[12] Guardians and Wards Act

[13] National Crime Records Bureau: NCRB

1.5. राजद्रोह (Sedition)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत 152 वर्ष पुराने राजद्रोह कानून** को प्रभावी रूप से तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती है।

राजद्रोह कानून की पृष्ठभूमि

1837 – ब्रिटिश इतिहासकार–राजनीतिज्ञ **थॉमस मैकाले ने राजद्रोह कानून** को दंडनीय अपराध के रूप में तैयार किया था और इसके लिए आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया।

1860 – **भारतीय दंड संहिता (IPC)** के तैयार होने पर राजद्रोह कानून को हटा दिया गया था।

1870 – सर जेम्स स्टीफन द्वारा प्रस्तुत किए गए एक संशोधन द्वारा **IPC में धारा 124A (राजद्रोह) को तब जोड़ा गया,** जब अपराध से निपटने के लिए एक विशेष धारा की आवश्यकता महसूस की गई।

1891 – जब **'बंगभाषी' अखबार के संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस ने "एज ऑफ कंसेंट बिल" की आलोचना** करने वाला एक लेख प्रकाशित किया था, तब राजद्रोह का **पहला मामला दर्ज किया गया था।**

1921 – इसके लिए बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली बंधुओं, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी और बहुत से अन्य नेताओं को कारावास का सामना करना पड़ा था।

1948 – भारतीय नेता संविधान से राजद्रोह कानून को हटाने पर सहमत हुए थे।

1949 – राजद्रोह अब **भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है।** हालांकि, **IPC** में धारा **124(A)** बनी हुई है।

1951 – नेहरू सरकार ने **अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत पहला संशोधन पारित किया था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया था।**

1962 – केदारनाथ निर्णय में, संवैधानिक पीठ ने **राजद्रोह कानून की वैधता को बरकरार रखा था।**

1974 – इंदिरा गांधी सरकार ने **IPC की धारा 124A को संज्ञेय अपराध (Cognizable offence)** बना दिया था, जो पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार देता है।

राजद्रोह के बारे में

- **भारतीय दंड संहिता (धारा 124A)** में राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति
  - **शब्दों द्वारा (लिखित),**
  - **मौखिक,**
  - **संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या अप्रीति पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है।**
- इस कानून के तहत, राजद्रोह एक **संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-प्रशम्य (Non-compoundable) अपराध है।** राजद्रोह के लिए अधिकतम सजा के तौर पर आजीवन कारावास (जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना) का प्रावधान किया गया है।
- इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को **सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सकता है।**

राजद्रोह कानून के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

केदारनाथ बनाम बिहार राज्य वाद, 1962: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "एक नागरिक आलोचना या टिप्पणी के जरिए सरकार या उसके प्रशासन पर अपनी इच्छानुसार कहने या लिखने का अधिकार रखता है, बशर्ते उसकी वजह से हिंसक कृत्यों द्वारा लोक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए।"

पी. अल्वी बनाम केरल राज्य वाद, 1982: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नारेबाजी, संसद या न्यायिक व्यवस्था की आलोचना को राजद्रोह नहीं माना जा सकता है।

- आरोपित व्यक्ति को **पासपोर्ट के बिना रहना होता है।** साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना आवश्यक होता है।

© Vision IAS

- 2018 में, **भारतीय विधि आयोग (LCI)** ने एक परामर्श-पत्र प्रकाशित किया था। इस परामर्श पत्र में अनुशंसा की गई थी कि अब समय आ गया है कि देशद्रोह से संबंधित IPC की धारा 124A पर पुनर्विचार किया जाए या उसे निरस्त किया जाए।

1.6. प्रिवेंटिव डिटेंशन (Preventive Detention)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन (निवारक निरोध) का केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाना चाहिए।

अन्य संबंधित तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन **राज्य को प्राप्त एक असाधारण शक्ति** है। **यह व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। इस कारण इसका संयमित तरीके से ही प्रयोग किया जाना चाहिए।**
  - न्यायालय ने कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों और लोक व्यवस्था के भंग होने के बीच अंतर किया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन केवल लोक व्यवस्था के भंग होने की स्थिति में ही लागू किया जा सकता है न कि कानून और व्यवस्था से संबंधित परिस्थितियों में।

प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में

- प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है- **अपराध करने से पहले ही** किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना, **जो कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अभी तक कोई अपराध नहीं किया होता है,** लेकिन प्राधिकारियों को लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति द्वारा भविष्य में किसी अपराध को अंजाम देने से रोकने हेतु उसे डिटेन (गिरफ्तार) किया जाता है।

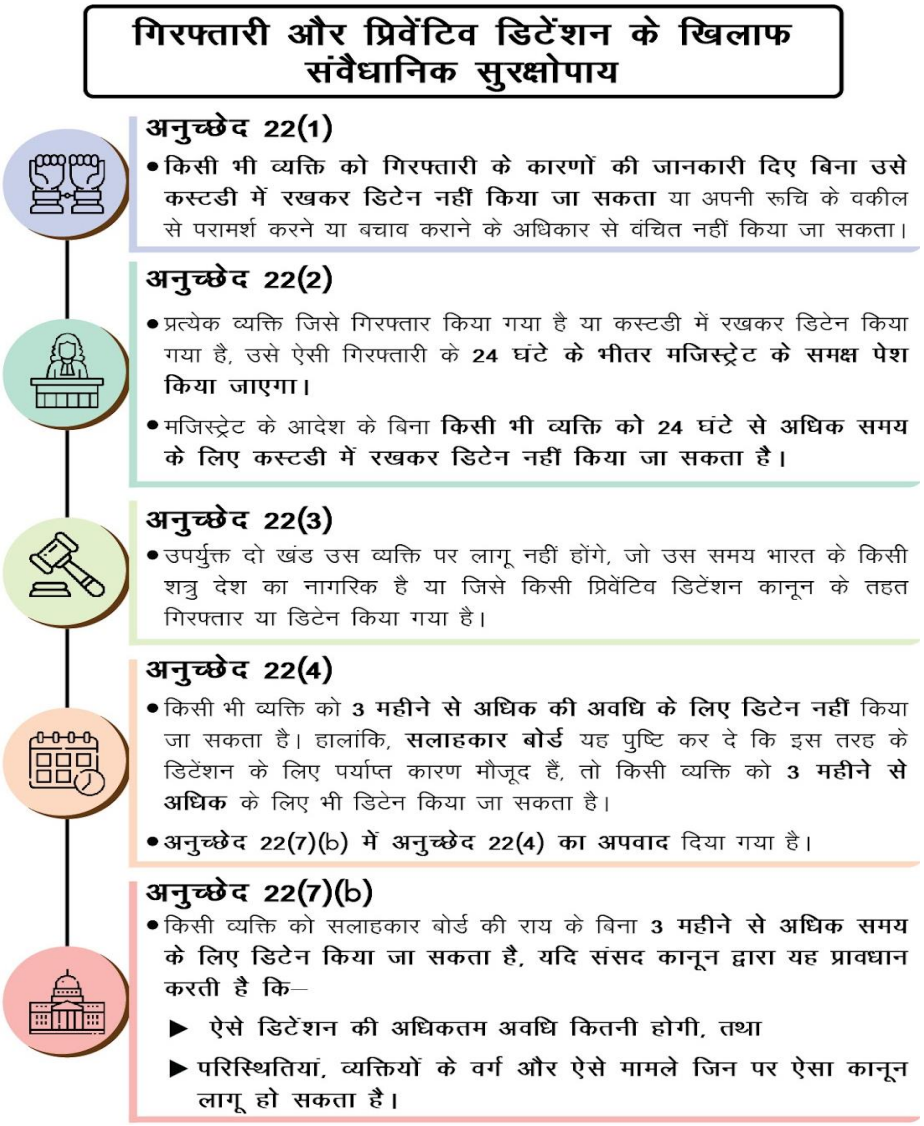

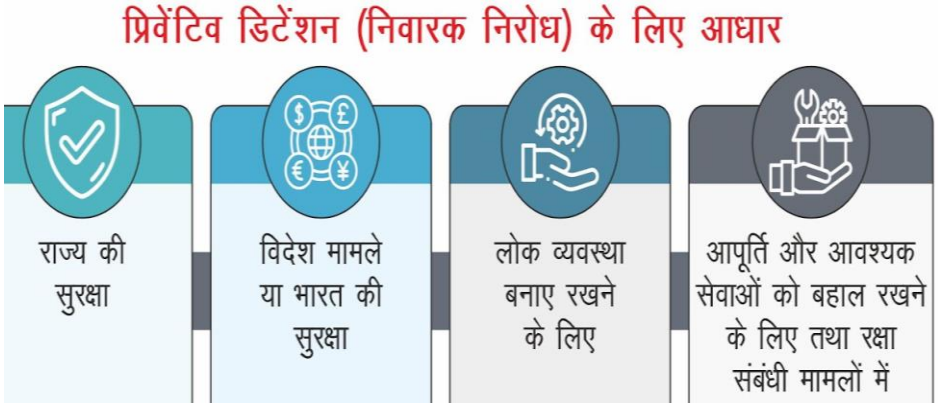

- इसके तहत, व्यक्ति को **बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत** में रखा जाता है।

- भारत का संविधान **अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी तथा हिरासत से सुरक्षा प्रदान** करता है।
  - यह सुरक्षा **प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है {अनुच्छेद 22(3)}।**
- **निम्नलिखित कुछ कानून हैं, जिनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान किए गए हैं:**
  - **दंड प्रक्रिया संहिता;**
  - **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985;**
  - **गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम आदि।**
- **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) भी धारा 151 के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी का प्रावधान करती है।**
  - **CrPC की धारा 151 के अनुसार,** यदि पुलिस को लगता है कि "किसी संज्ञेय अपराध[14]" को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी करना आवश्यक है, तो उसे ऐसा करने का अधिकार है।

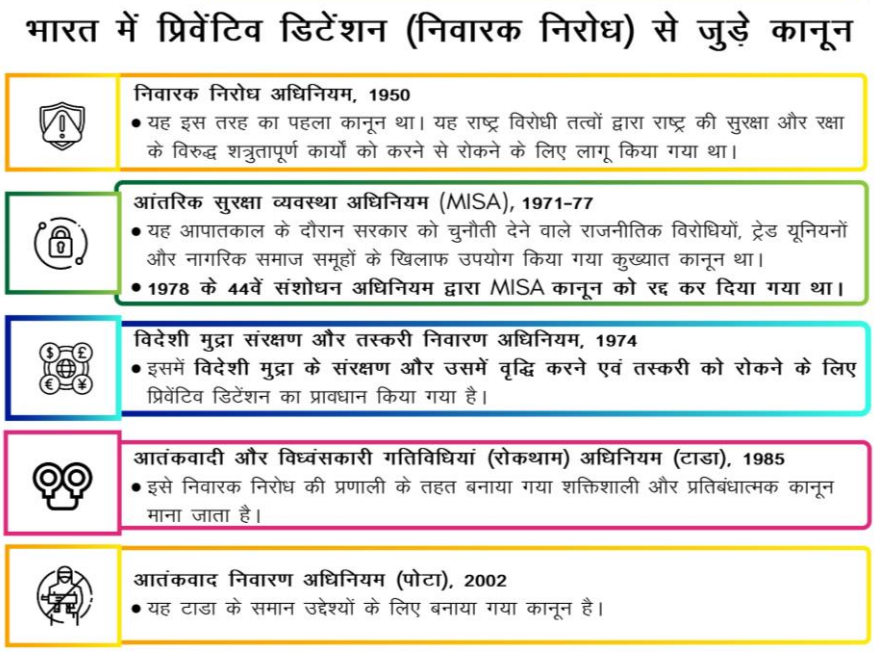

1.6.1. गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 {Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने **पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI)** को **UAPA, 1967** के तहत एक **"गैर-कानूनी संगठन"** घोषित किया है।

UAPA के बारे में

- UAPA, 1967 को व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर-कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम हेतु अधिनियमित किया गया था। साथ ही, यह अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों और उनसे जुड़े मामलों से निपटने से भी संबंधित है।
- यह अधिनियम व्यक्ति/ व्यक्तियों या संगठनों द्वारा की गई ऐसी किसी भी कार्रवाई को, जो भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग पर अधिकार या नियंत्रण स्थापित करती हो या भारत की संप्रभुता को खंडित या भारत की अखंडता को बाधित करती हो, उसे **गैर-कानूनी गतिविधि** के रूप में परिभाषित करता है।

[14] Cognisable Offence

© Vision IAS

- UAPA के तहत मामलों की जांच **राज्य पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)** दोनों द्वारा की जाती है।
  - यह अधिनियम केंद्र सरकार को गैर-कानूनी घोषित किए गए संगठनों को **अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंधित** करने की शक्ति प्रदान करता है।
  - यह प्रतिबंधित व्यक्ति/ संगठन को अधिकरण के माध्यम से अपील की सुनवाई के लिए भी अधिकार प्रदान करता है।
  - अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा, भारत के बाहर विदेशी भूमि पर अपराध किए जाने पर अधिनियम के तहत उसी रीति से अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।
- अधिनियम के दायरे को बढ़ाने के लिए इसमें **2004, 2008, 2012 और 2019 में संशोधन** किए गए थे।

UAPA, 2019 (संशोधन अधिनियम) का विवरण

विशेषताएं	विवरण
आतंकवादी घोषित करने की शक्ति	• केंद्र सरकार किसी दोषी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर सकती है, यदि वह- **(i) आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है या उसमें भाग लेता है, (ii) आतंकवाद के लिए तैयारी करता है, (iii) आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या (iv) किसी अन्य प्रकार से आतंकवाद में शामिल है।** • अधिनियम सरकार को उपर्युक्त आधार पर **दोषी व्यक्तियों को भी आतंकवादी** के रूप में घोषित करने का अधिकार देता है।
NIA द्वारा संपत्ति जब्त करने के लिए मंजूरी	• जांच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए **पुलिस महानिदेशक (DGP) से पूर्व मंजूरी** जरूरी है।
NIA द्वारा जांच	• DSP या ACP या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा जांच की जा सकती है। • यह अधिनियम **NIA में इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को मामलों की जांच करने का अधिकार** देता है।
कन्वेंशन	• मूल अधिनियम के तहत नौ संधियों को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें **आतंकवादी बमबारी का दमन करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन[15] (1997); बंधक बनाने के विरुद्ध कन्वेंशन[16] (1979) आदि** शामिल हैं। ○ UAPA अधिनियम, 2019 के तहत **परमाणु आतंकवाद से संबंधित कृत्यों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन[17] (2005)** को सूची में जोड़ा गया है।

1.7. फोन टैपिंग (Phone Tapping)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 2019 में राजनीतिक नेताओं के फोन टैप करने के लिए एक IPS अधिकारी की जांच की जा रही थी।

फोन टैपिंग के बारे में

- **परिभाषा:** फोन टैपिंग से तात्पर्य किसी तीसरे पक्ष द्वारा गुप्त माध्यमों से इंटरनेट आधारित संचार और फोन की निगरानी करने से है।
  - 'फोन टैपिंग' शब्द का अर्थ वायर टैपिंग या लाइन बगिंग अथवा इंटरसेप्शन ऑफ फोन (फोन कॉल की बातचीत को सुनना) भी है।
  - इसकी शुरुआत पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में 1890 के दशक में टेलीफोन रिकॉर्डर के आविष्कार के बाद की गयी थी।

[15] International Convention for Suppression of Terrorist Bombings

[16] Convention against Taking of Hostages

[17] International Convention for Suppression of Acts of Nuclear Terrorism

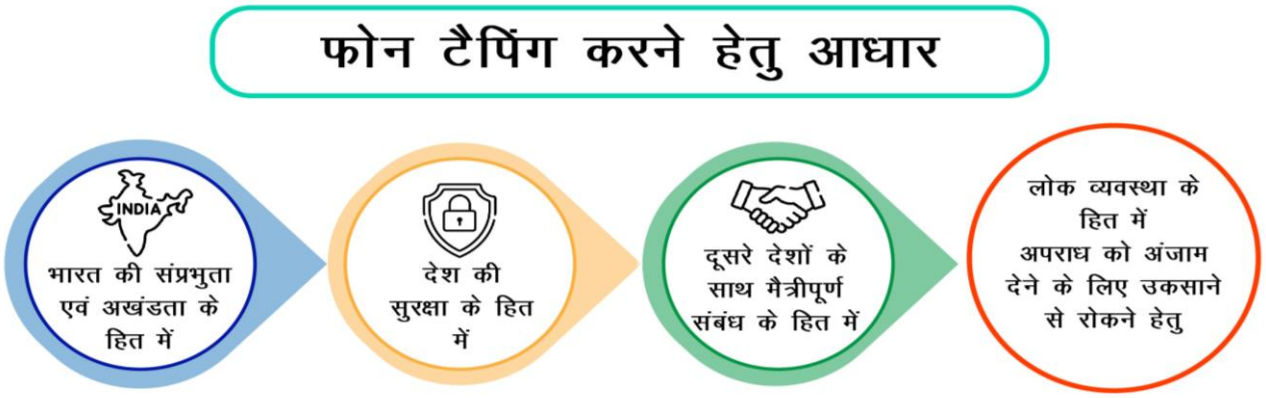

प्रेस के लिए अपवादः केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के प्रेस संदेशों को तब तक इंटरसेप्ट नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे प्रसारणों को प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।

भारतीय तार अधिनियम, 1885

- **फोन टैपिंग की शक्ति:** भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के तहत केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को फोन टैप करने का अधिकार प्राप्त है।
  - राज्यों में पुलिस को फोन टैप करने का अधिकार प्राप्त होता है।
  - **केंद्र में 10 एजेंसियां फोन टैप करने के लिए अधिकृत हैं:** आसूचना ब्यूरो (IB), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), राजस्व खुफिया निदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW), सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय और दिल्ली पुलिस आयुक्त।
  - **किसी अन्य एजेंसी द्वारा फोन टैप करना अवैध माना जाएगा।**

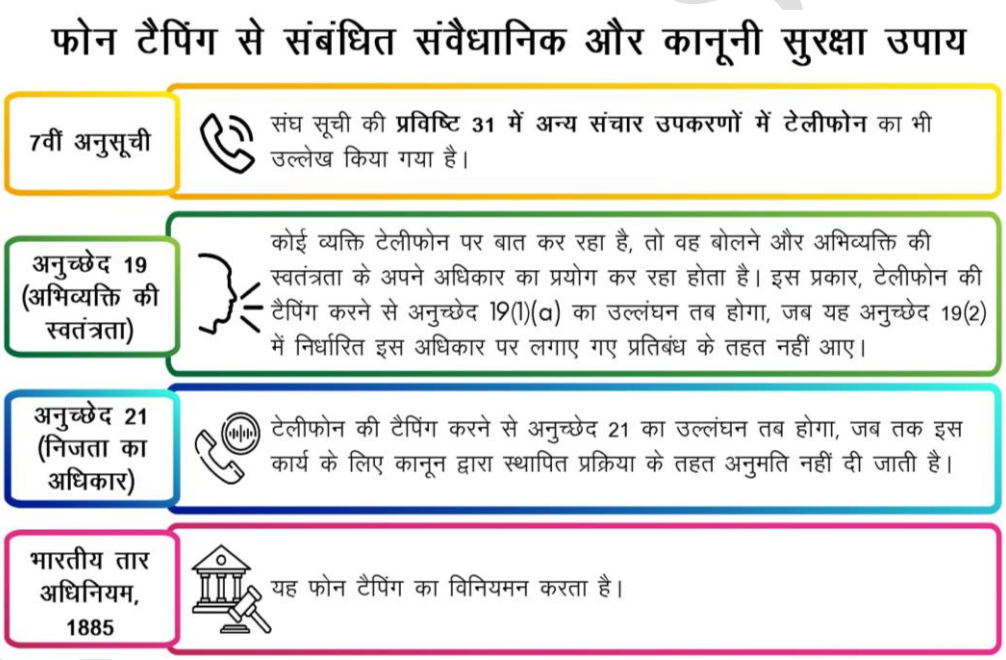

- **फोन टैपिंग के लिए आदेश जारी करने की शक्ति:** भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2007 के नियम 419A के अनुसार, फोन टैपिंग के आदेश केवल **केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव अथवा राज्यों में इसके समकक्ष** अधिकारी द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं। इन आदेशों की सूचना सेवा प्रदाता को **लिखित रूप** में प्रदान करनी होगी; इसके बाद ही टैपिंग शुरू की जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी **को लिखित रूप में टैपिंग के कारणों को दर्ज करना होता है।**
  - हालांकि, **असाधारण मामलों में आदेश अधीनस्थ पद के अधिकारियों द्वारा भी जारी किया जा सकता है।**
  - इस तरह का आदेश के बारे में एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए।

1.8. भुला दिए जाने का अधिकार (Right to be Forgotten: RTBF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को, **सर्च इंजन और इंटरनेट से एक दम्पति से जुड़ी जानकारियों को हटाने का निर्देश** दिया है।

RTBF के बारे में

- RTBF वस्तुतः इंटरनेट और सर्च इंजन, डेटाबेस, वेबसाइट्स या किसी अन्य **सार्वजनिक प्लेटफॉर्म आदि से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार है**, जब वह व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है।
  - RTBF की उत्पत्ति फ्रांसीसी न्यायशास्त्र में वर्णित **'राईट टू ओब्लिवियन (विस्मरण)'** से हुई है।
  - हालांकि, **RTBF एक असीमित अधिकार नहीं हो सकता है।** इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
- इसे **सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR)**[18] के तहत **यूरोपीय संघ में एक कानूनी अधिकार** के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही, इसे यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के कई देशों की अदालतों द्वारा बरकरार रखा गया है।
  - इसे **1995 में डेटा संरक्षण पर यूरोपीय संघ के निर्देश द्वारा पहली बार एक अधिकार के रूप में मान्यता** दी गई थी।
  - **GDPR, 2016 का अनुच्छेद 17** सूचना हटाने का अधिकार (या भुला दिए जाने का अधिकार) प्रदान करता है। यह किसी डेटा से जुड़े व्यक्ति/ पक्ष को यह अनुमति देता है कि वह व्यक्तिगत डेटा को अविलंब हटाने का अनुरोध करे।
- **भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, जो विशेष रूप से RTBF का प्रावधान करता हो।**

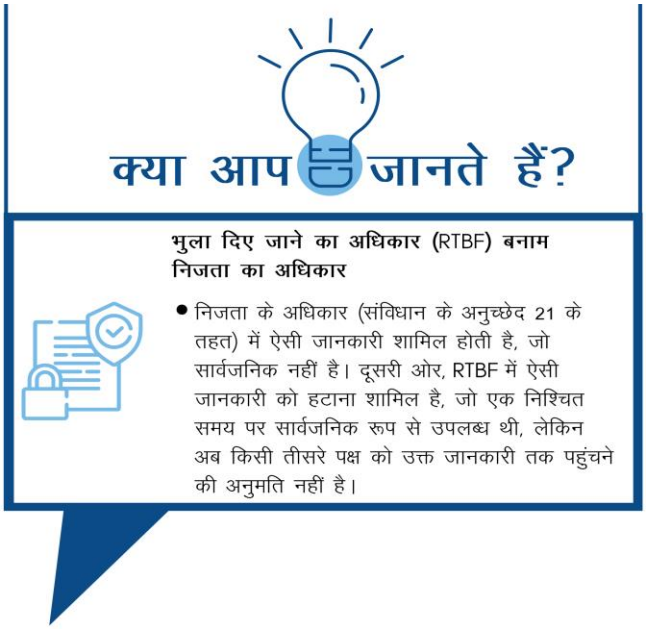

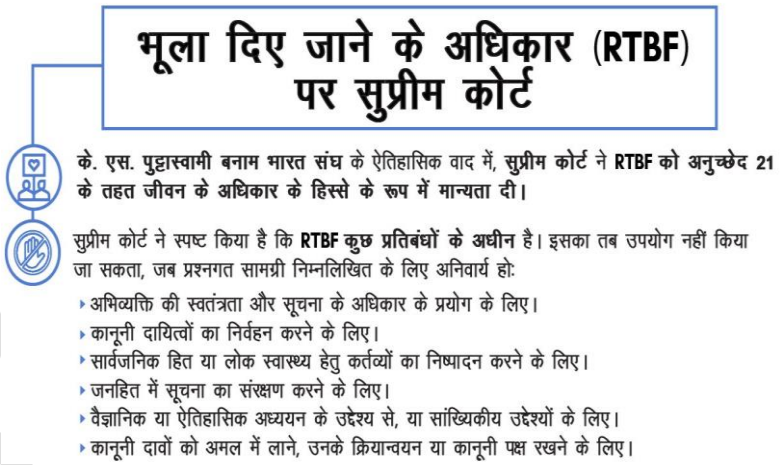

1.9. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा (Minority status in India)	• **संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया** है। • अल्पसंख्यकों के अधिकारों को **अनुच्छेद 29 और 30** के तहत वर्णित किया गया है। ○ साथ ही, **अनुच्छेद 350B में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी** नियुक्त किए जाने का उपबंध किया गया है। • हालांकि, केंद्र सरकार ने **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992** का उपयोग करते हुए **मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसियों** को 'अल्पसंख्यक' घोषित किया है। • अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (NCMEI) अधिनियम, 2004** बनाया गया है।

भारत में अल्पसंख्यक के दर्जे के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

टी.एम.ए. पाई मामले (2002) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि **भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक निर्धारण राज्य को इकाई मानकर** किया जाता है, न कि पूरे देश की जनसंख्या को ध्यान में रखकर।

केरल शिक्षा विधेयक मामले (1958) में, सुप्रीम कोर्ट ने इस **तर्क को खारिज** कर दिया था कि **अल्पसंख्यकों की पहचान ब्लॉक या जिला स्तर** पर की जानी चाहिए।

[18] General Data Protection Regulation

सरना धर्म के लिए मांग (Sarna religion demand)	• **झारखंड, ओडिशा और असम सहित पांच राज्यों** के विभिन्न जनजातीय समुदायों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार उनके धर्म को **'सरना'** के रूप में मान्यता दे। • विभिन्न भारतीय राज्यों में रहने वाली जनजातियां 'सरना' धर्म का पालन करती हैं। यह **प्रकृति पूजा** की अवधारणा पर आधारित एक धर्म है।
अनुच्छेद 370 और 35A का हटना (Article 370 abrogation and Article 35 A)	• 5 अगस्त, 2022 को **अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किये जाने के तीन वर्ष** पूरे हो गए। **अनुच्छेद 370** के तहत तहत **जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा** दिया गया था। **अनुच्छेद 35A** के तहत जम्मू-कश्मीर को **अधिवास (डोमिसाइल) नियमों को परिभाषित** करने का अधिकार दिया गया था। ○ अगस्त 2019 में, भारत के राष्ट्रपति ने **संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019** जारी किया था। इसमें उपबंध किया गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान जम्मू-कश्मीर में लागू होंगे। ▪ इसका तात्पर्य यह था कि **जम्मू और कश्मीर के लिए एक अलग संविधान का आधार बनने वाले सभी प्रावधान निरस्त** किए जाते हैं। इसके साथ ही, 35A अपने आप समाप्त हो गया। ▪ **अनुच्छेद 35A** के तहत जम्मू-कश्मीर विधायिका को राज्य के **'स्थायी निवासी'** निर्धारित करने तथा उन्हें **रोजगार, संपत्ति अधिग्रहण, शिक्षा आदि में विशेषाधिकार देने के लिए पूर्ण विवेकाधीन शक्तियां** प्रदान की गई थी। ○ संसद ने **जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019** पारित किया था। इसमें जम्मू-कश्मीर को **दो केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में पुनर्गठित** करने का प्रावधान किया गया था- ▪ **जम्मू-कश्मीर (विधान सभा के साथ)** और ▪ **लद्दाख (विधान सभा के बिना)।**
अनुच्छेद 142 (Article 142)	• संविधान के **अनुच्छेद 142** के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने **राजीव गांधी हत्याकांड के शेष छह दोषियों को रिहा** कर दिया है। • **अनुच्छेद 142 (सुप्रीम कोर्ट की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन) के बारे में:** ○ सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए **ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है,** जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में **पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो।** ○ इस प्रकार पारित कोई भी डिक्री या इस प्रकार दिया गया आदेश **भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में** संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन प्रवर्तनीय होगा।
संविधान का अनुच्छेद 145(5) Article 145 (5)	• हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने कहा है कि **न्यायाधीशों की अधिक संख्या वाली पीठ द्वारा बहुमत से लिया गया निर्णय, हमेशा न्यायाधीशों की कम संख्या वाली पीठ के निर्णय पर प्रभावी होगा।** भले ही, कम संख्या वाली पीठ में अधिक न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा आपसी सहमति से निर्णय दिया गया हो। ○ संविधान के **अनुच्छेद 145(5)** के अनुसार, किसी मामले की सुनवाई में उपस्थित **न्यायाधीशों के**

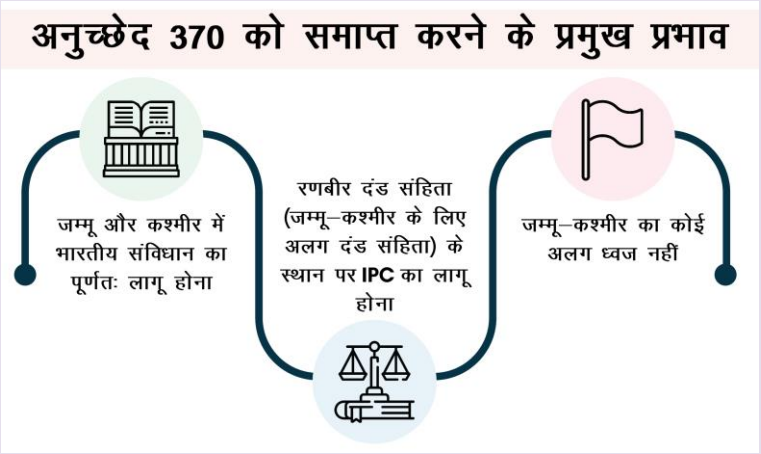

© Vision IAS

	बहुमत पर आधारित सहमति को ही न्यायालय का निर्णय या मत माना जाएगा। • **अनुच्छेद 145(5)** में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले का निर्णय सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों की बहुमत आधारित सहमति से ही लिया जाएगा। हालांकि, इस खंड की कोई बात किसी भी असहमत न्यायाधीश को अपना असहमतिपूर्ण निर्णय देने से नहीं रोकती है।

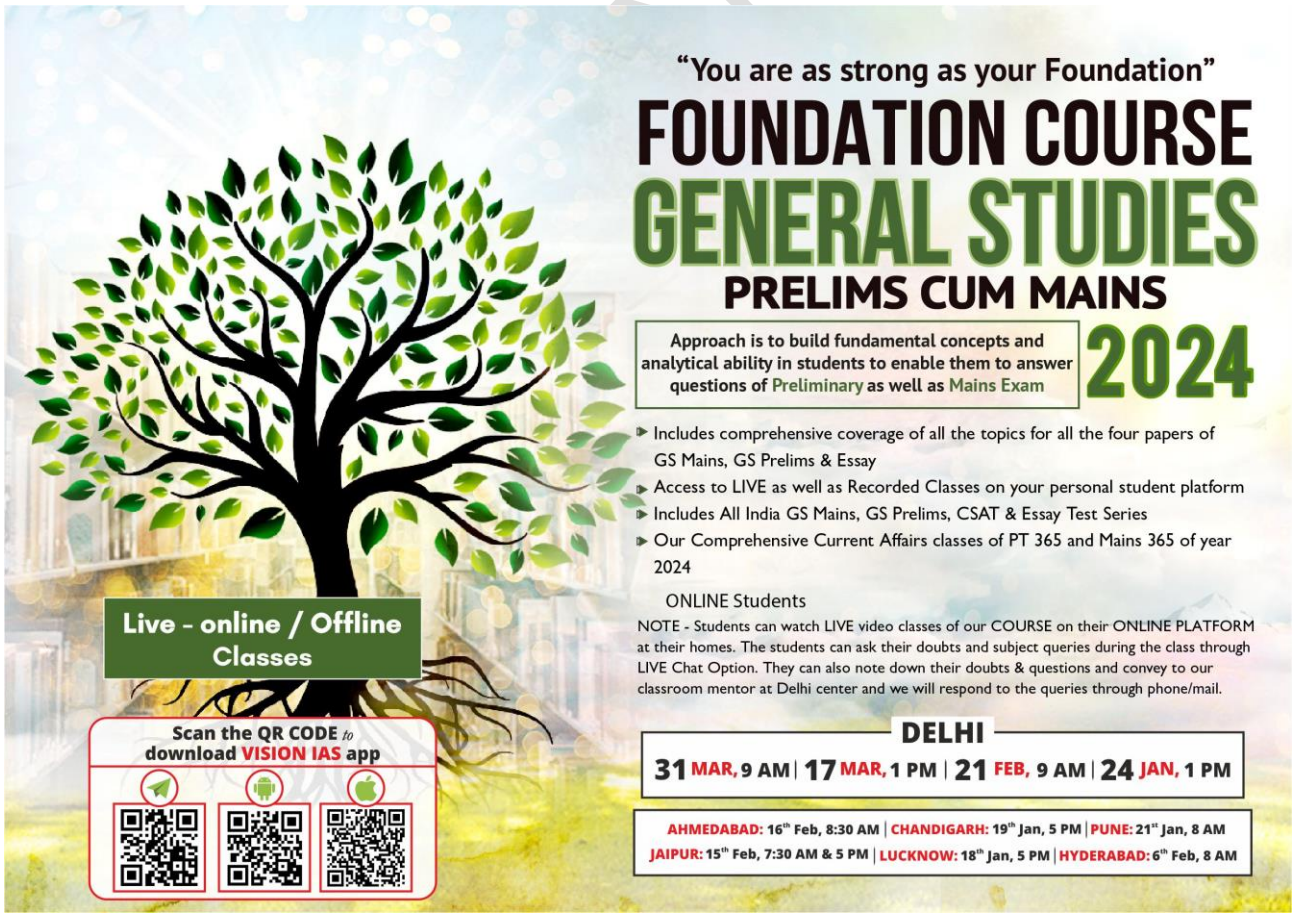

2. संसद, राज्य विधान-मंडल/ स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली (Functioning of Parliament, State Legislature/Local Government)

2.1. राष्ट्रपति का चुनाव (Election of the President)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के **15वें राष्ट्रपति** का चुनाव संपन्न हुआ।

राष्ट्रपति का चुनाव

- राष्ट्रपति का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के कारण उनका पद रिक्त होने जा रहा है। संविधान के **अनुच्छेद 62(1)** के तहत इस रिक्ति को **भरने के लिए** चुनाव प्रक्रिया को **कार्यकाल की समाप्ति (5 वर्ष)** से पहले पूरा किए जाने का प्रावधान है।
- **चुनाव प्रक्रिया**
  - राष्ट्रपति का चुनाव **एक निर्वाचक मंडल** द्वारा किया जाता है। इस **निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - संसद के **दोनों सदनों के** निर्वाचित सदस्य,
    - राज्य **विधान सभाओं के** निर्वाचित सदस्य
    - **दिल्ली और पुडुचेरी विधान सभाओं के** निर्वाचित सदस्य।
      - **इसमें अग्रलिखित शामिल नहीं हैं:** राज्य सभा, लोक सभा और विधान सभाओं के **मनोनीत सदस्य** तथा राज्य **विधान परिषदों के सदस्य।**
  - चुनाव **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली** के अनुसार **एकल संक्रमणीय मत** के माध्यम से होता है।
  - **विजयी उम्मीदवार** को निर्वाचित घोषित होने के लिए आवश्यक मतों का कोटा हासिल करना होता है। यह कोटा डाले गए कुल **वैध मतों का 50% +1** होता है।
- **दल-बदल रोधी कानून** राष्ट्रपति चुनाव में **लागू नहीं** होता है। इस प्रकार, **निर्वाचक दलगत आधार पर मतदान करने के लिए बाध्य नहीं** होते हैं।

भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 52	भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 54	राष्ट्रपति का चुनाव एक **निर्वाचक मंडल** द्वारा किया जाएगा।
अनुच्छेद 55	राष्ट्रपति के चुनाव में **भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के निर्धारण में एकरूपता** होगी।
अनुच्छेद 56	राष्ट्रपति का **कार्यकाल 5 वर्षों** का होगा।
अनुच्छेद 57	राष्ट्रपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति **राष्ट्रपति के पद हेतु पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र** होगा।
अनुच्छेद 58	**कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह:** • भारत का नागरिक हो, • पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और • लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
अनुच्छेद 62	राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के **लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा।**

- **संविधान के अनुच्छेद 324** के तहत, भारतीय चुनाव आयोग को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है।

संसद सदस्य (सांसद) के वोट का मूल्य

- राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य **राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, पुडुचेरी एवं जम्मू और कश्मीर) की विधान सभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर आधारित** होता है।
  - 1997 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद से वोट का मूल्य 708 निर्धारित कर दिया गया था।
  - जम्मू और कश्मीर में विधान सभा नहीं होने के कारण संसद सदस्य (सांसद) के वोट का मूल्य राष्ट्रपति चुनावों में 708 से घटकर 700 हो गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

भारत का उपराष्ट्रपति

- जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें उप-राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है।
- उपराष्ट्रपति का पद, संविधान के **अनुच्छेद 63** के तहत **दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद** है।
- उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के माध्यम से होता है। **इसे संसद के एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता** है। इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं।
  - एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुनाव होता है।
  - ऐसे चुनाव में गुप्त मतदान किया जाता है।
- वह **राज्य सभा के पदेन सभापति** के रूप में कार्य करता है।
- राज्य सभा के **सभापति को प्रक्रिया और कार्य-संचालन के नियमों के तहत** "किसी भी सदस्य को, जिसका आचरण उसकी राय में घोर अव्यवस्थित या नियम-विरुद्ध है, तुरंत सदन से बाहर जाने का निर्देश देने" का अधिकार है।

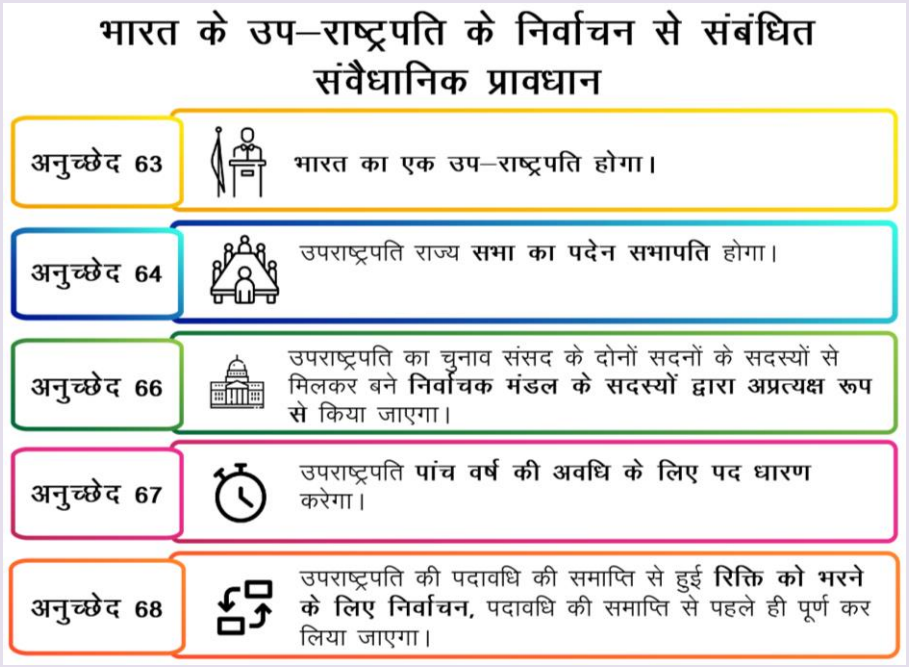

2.2. राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power of President and Governor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि ए. जी. पेरारिवलन के क्षमादान पर निर्णय लेने की अनन्य शक्ति राष्ट्रपति के पास है, न कि तमिलनाडु के राज्यपाल के पास। गौरतलब है, कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस दावे को अस्वीकार कर दिया था।

राज्यपाल की नियुक्ति और उसे पद से हटाने की प्रक्रिया

- संविधान के **अनुच्छेद 155 और 156 के तहत, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति** करता है। वह **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण** करता है।
  - यदि **पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले** राष्ट्रपति, राज्यपाल के पद पर बैठे व्यक्ति को हटाना चाहता है, तो राज्यपाल को पद छोड़ना पड़ता है।
- संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि **मतभेद होने पर** राज्यपाल और केंद्र सरकार सार्वजनिक रूप से किस तरीके से मतभेद दूर करेंगे।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बीच तुलना

राष्ट्रपति	राज्यपाल
• संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में क्षमादान देने का अधिकार देता है: ○ किसी संघीय कानून के खिलाफ अपराध के लिए दिए गए दंड या सजा के मामले में, ○ कोर्ट मार्शल (सैन्य न्यायालय) द्वारा दिया गया दंड या सजा के मामले में; और ○ मृत्यु दंड के मामले में।	• अनुच्छेद 161 के तहत, राज्य के राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है। • लेकिन, यह निम्नलिखित दो मामलों में राष्ट्रपति से अलग है: ○ राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल (सैन्य न्यायालयों) द्वारा दी गई सजाओं को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। ○ राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। ▪ हालांकि, राज्यपाल मृत्यु दंड का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है।
• राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में निम्नलिखित शामिल हैं: ○ **क्षमा (Pardon):** इसमें सजा और दोषसिद्धि, दोनों को समाप्त कर दिया जाता है तथा अपराधी को पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया जाता है। ○ **लघुकरण (Commutation)**: इसमें सज़ा की प्रकृति को बदलते हुए कठोर सजा को हल्की सजा में बदल दिया जाता है। ○ **परिहार (Remission):** सज़ा की प्रकृति में बदलाव किए बिना सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है। ○ **विराम (Respite):** विशेष परिस्थितियों की वजह से मूल सज़ा के बदले कम सजा दी जाती है। ○ **प्रविलंबन (Reprieve):** किसी सजा (विशेषकर मृत्युदंड) को अस्थायी अवधि के लिए टाल दिया जाता है।	• राज्यपाल के पास राज्य कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ़, प्रविलंबन, विराम या परिहार अथवा निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति है।

2.3. लोकपाल और लोकायुक्त (Lokpal and Lokayukta)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केरल विधान सभा ने **केरल लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022** पारित किया है।

लोकपाल और लोकायुक्त के पद की पृष्ठभूमि

- "लोकपाल-लोकायुक्त" पद की रचना **एल. एम. सिंघवी** ने की थी। इस शब्द का पहली बार प्रयोग **1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग की एक रिपोर्ट** में किया गया था।
- 2014 में, केंद्रीय **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013** को अधिसूचित किया गया था।
  - यह **संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त जैसे सांविधिक निकाय की स्थापना** का प्रावधान करता है।
  - इसका उद्देश्य **कुछ लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों की जांच** करना है।
  - **लोकायुक्त केंद्रीय लोकपाल के राज्य स्तरीय समकक्ष हैं।**
    - कुछ राज्यों ने पहले ही लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना कर ली है। उदाहरण के लिए- 1971 में **महाराष्ट्र** ने और 1999 में **केरल** ने।
  - इस अधिनियम का विस्तार भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में है। यह भारत में और भारत के बाहर भी लोक सेवकों पर लागू होता है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

विशेषताएं	विवरण
संरचना	• लोकपाल के तहत **इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य** शामिल होंगे। इनमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे और 50% अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं में से होंगे।

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

कार्यकाल	• अध्यक्ष और सदस्यों को **पांच वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो)** के लिए नियुक्त किया जाता है।
चयन समिति	• अध्यक्ष और सदस्यों को एक **चयन समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।** ○ चयन समिति में **प्रधान मंत्री (अध्यक्ष), लोक सभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश (या उसके द्वारा नामित व्यक्ति) और प्रतिष्ठित न्यायविद (समिति के अन्य सदस्यों की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नामित)** शामिल होंगे। ○ 2013 के लोकपाल अधिनियम के अनुसार, **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग** को उन उम्मीदवारों की सूची तैयार करनी होगी, जो लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य बनने के इच्छुक हैं।
संपत्ति की जब्ती	• भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित संपत्ति की जब्ती की जाएगी, भले ही इससे संबंधित मुकदमा लंबित हो।
पूछताछ व जांच के लिए समय	• **CBI द्वारा पूछताछ पूरी करने के लिए 60 दिन और जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का समय निर्धारित** किया गया है। • CBI के लिखित अनुरोध पर लोकपाल द्वारा 6 महीने की इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
CBI के संबंध में शक्ति	• लोकपाल को इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा जांच के लिए निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में सी.बी.आई. पर अधीक्षण करने और निर्देश देने की शक्ति होगी। • लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों की जांच कर रहे CBI के अधिकारियों के **स्थानांतरण के लिए लोकपाल की मंजूरी** की आवश्यकता होगी।
लोकायुक्त	• इनके कार्य का क्षेत्राधिकार **मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, राज्य सरकार के सभी कर्मचारी और कुछ निजी संस्थाओं (धार्मिक संस्थानों सहित)** तक होगा।
पद से हटाना	• लोकपाल के सदस्यों और अध्यक्ष को **सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।** इसके लिए, **संसद के कम से कम 100 सदस्यों (सांसदों) द्वारा एक याचिका पर हस्ताक्षर** किए जाने चाहिए।
लोकपाल का क्षेत्राधिकार	• यह **प्रधान मंत्री, मंत्रियों, सांसदों, ग्रुप ए, बी, सी और डी अधिकारियों तथा केंद्र सरकार के अधिकारियों** तक विस्तृत है। ○ **कोई भी संस्था या ट्रस्ट या निकाय जो 10 लाख रुपये से अधिक का विदेशी योगदान प्राप्त करता है।**

2.4. संसदीय समितियां (Parliamentary Committees)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राज्य सभा सचिवालय पर पहले व्यापक अध्ययन में एक कार्यदल ने संसदीय समितियों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए राज्य सभा के सभापति के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

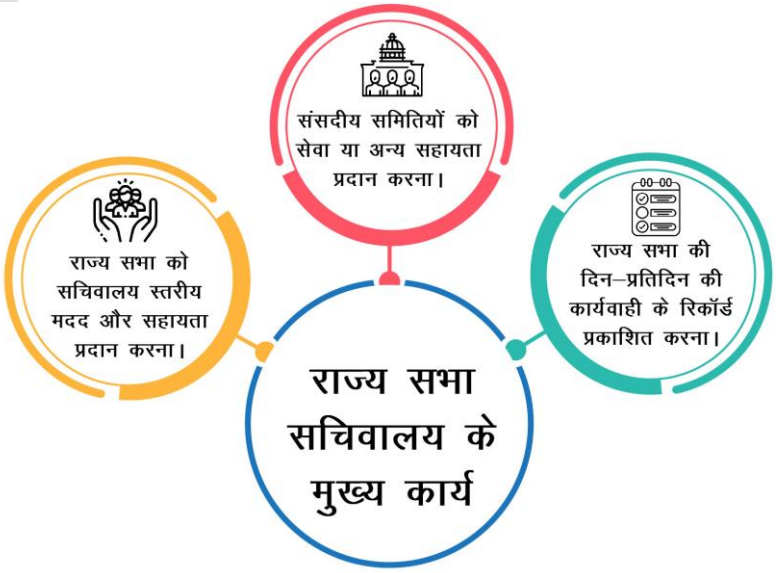

अन्य संबंधित तथ्य

- राज्य सभा सचिवालय की स्थापना **संविधान के अनुच्छेद 98 में निहित प्रावधानों के अनुसार** की गई है। अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग-अलग सचिवालय स्तरीय कर्मियों का प्रावधान किया गया है।
  - राज्य सभा सचिवालय, **राज्य सभा के सभापति के मार्गदर्शन और नियंत्रण में** कार्य करता है।

संसदीय समितियों के बारे में

- संसदीय समिति का अर्थ संसद के सदस्यों से बनी एक ऐसी समिति से है, जिसे **सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित** या अध्यक्ष/ सभापति द्वारा नामित किया जाता है और जो उसके निर्देशन में कार्य करती है। यह समिति सदन या अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
- संसदीय समितियों की उत्पत्ति **ब्रिटिश संसद से हुई है।**

- **संसदीय समितियों को अपना प्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118** से प्राप्त होता है। **अनुच्छेद 105** सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है तथा **अनुच्छेद 118** संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।
- संसद, संसदीय समितियों की **सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं** है।

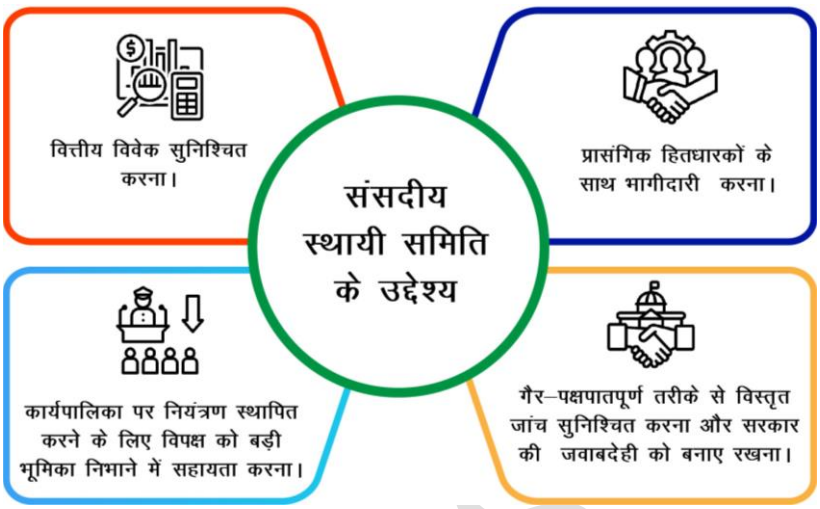

- संविधान में इन समितियों का उल्लेख अलग-अलग स्थानों पर किया गया है। हालांकि, उनकी संरचना, कार्यकाल आदि के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं।
  - इन सभी मामलों को **दोनों सदनों के नियमों** द्वारा निपटाया जाता है।

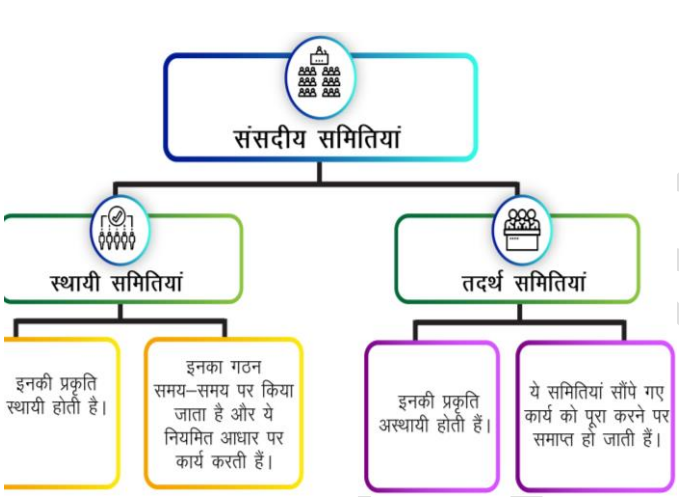

2.5. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens: NRC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कैग (CAG)[19] ने **'असम में NRC अपडेशन परियोजना के लिए लॉजिस्टिक संबंधी व्यवस्थाओं'** के अनुपालन ऑडिट पर रिपोर्ट जारी की है। इसमें असम में NRC को अपडेट करने में **डेटा से छेड़छाड़ से जुड़े जोखिम** के बारे में बताया गया है।

NRC के बारे में

- NRC उन लोगों का **एक आधिकारिक रिकॉर्ड है, जो भारत के वैध नागरिक हैं।** यह तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के प्रवासियों की पहचान करता है।
  - वर्तमान में **असम,** NRC तैयार करने वाला एकमात्र राज्य है। इसे **पहली बार 1951 में तैयार** किया गया था। 2019 में इसे अंतिम रूप से **अपडेट** किया गया था।
  - NRC को **नागरिकता अधिनियम, 1955 तथा नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियम, 2003** के प्रावधानों के तहत अपडेट किया गया है।
    - **नागरिकता अधिनियम की धारा 6A:** इसके तहत, **1 जनवरी, 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले विदेशियों के पास भारतीय नागरिकों के समान सभी अधिकार और दायित्व** होंगे।

[19] भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक / Comptroller and Auditor-General

© Vision IAS

- असम NRC में केवल **उन्हीं लोगों व उनके वंशजों को भारतीय नागरिक माना गया है, जिनके नाम 24 मार्च, 1971 तक की किसी मतदाता सूची में या 1951 के NRC में मौजूद हैं।**
- असम-NRC की उत्पत्ति 1985 के असम समझौते से मानी जाती है।

- NRC में किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि उसे विदेशी घोषित कर दिया जाएगा।
- जिन व्यक्तियों के नाम NRC सूची में नहीं हैं, उनके पास **विदेशी विषयक अधिकरण (Foreigners Tribunal) के समक्ष अपना पक्ष रखने करने का विकल्प मौजूद है।**

संबंधित तथ्य

नागरिकता मानदंड अधिसूचित किए गए

- गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए **मानदंड जारी किए हैं, जो तब अवयस्क थे, जब उनके माता-पिता ने भारतीय नागरिकता का त्याग कर** दिया था, लेकिन अब वे (वयस्क होने पर) अपनी भारतीय नागरिकता को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत कोई व्यक्ति, **जो अपनी नागरिकता का त्याग करता है, उसका प्रत्येक अवयस्क बालक भी भारत का नागरिक नहीं रहेगा।**
  - हालांकि, ऐसा कोई भी बालक **वयस्क होने के एक वर्ष के भीतर** यह घोषणा कर सकता है कि वह भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त करना चाहता है।
- 1955 का नागरिकता अधिनियम **नागरिकता प्राप्त करने के पांच तरीकों** को निर्धारित करता है- जन्म, वंश (अवजनन), पंजीकरण, देशीयकरण और किसी राज्यक्षेत्र का समावेश।
  - नागरिकता अधिनियम में **1986, 1992, 2005 और 2019 में संशोधन** किए गए थे।
- **भारतीय नागरिकता का त्याग: वयस्क आयु और क्षमता का कोई भी नागरिक,** जो किसी अन्य देश का नागरिक या सामान्य निवासी भी हो, वह भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है।
- **भारतीय नागरिकता की समाप्ति के अन्य तरीके:**
  - धोखाधड़ी आदि के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने पर सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है।
  - यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है।

2.6. प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह निर्णय दिया है कि केंद्र और राज्यों के प्रत्यायोजित विधानों की शक्तियां, **मूल क़ानून (Parent Act)** द्वारा दी गई शक्तियों से अधिक नहीं हो सकती हैं। यदि ऐसा होता है, तो यह **अधिकारातीत (Ultra Vires)** है और उन्हें प्रभावी नहीं होने दिया जा सकता।

अन्य संबंधित तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, प्रत्यायोजित विधान को **मूल कानून के दायरे से बाहर नहीं** जाना चाहिए।
  - यदि ऐसा होता है, तो यह अधिकारातीत है और इसे प्रभावी नहीं होने दिया जा सकता।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए नियमों एवं विनियमों सहित प्रत्यायोजित विधान को अपने **मूल संसदीय कानून की जगह लेने वाला नहीं बल्कि उनका पूरक होना** चाहिए।

निम्नलिखित परिस्थितियों में एक प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation) अमान्य होगा:

- यदि **मौलिक अधिकारों या भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन** किया गया है।
- यदि नियम/विनियम **मूल अधिनियम के प्रावधानों के दायरे से बाहर** हैं या मूल अधिनियम के मूल प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं।
- यदि कार्यपालिका के पास उक्त नियम या विनियम को बनाने की **विधायी क्षमता** नहीं थी।
- यदि **मनमाने और बिना किसी कारण** के प्रत्यायोजित विधान का प्रावधान कर दिया गया है तो उसे रद्द किया जा सकता है।
- **भूतलक्षी प्रभाव वाले किसी प्रत्यायोजित विधान का प्रावधान नहीं** किया जा सकता है। यदि मूल अधिनियम में ऐसा करने का प्रावधान है तो वह मान्य होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि विधायिका अपने **"अनिवार्य विधायी कार्यों"** को कार्यपालिका (Executive Branch) को नहीं सौंप सकती है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में

- यह एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से कार्यकारी प्राधिकरण को कानून बनाने के लिए मूल कानून (प्राथमिक विधान) द्वारा शक्तियां प्रदान की जाती हैं। ये कानून उस मूल कानून के प्रावधानों को लागू करने और प्रशासित करने के लिए बनाए जाते हैं।
- इस प्रकार संसद **मूल कानून की सहायता से अन्य संस्थाओं को प्रत्यायोजित विधान की प्रक्रिया द्वारा कानून और नियम बनाने में सक्षम** बनाती है।
- **भारत के संविधान** के अनुसार, कानून बनाने की शक्तियां **विधायिका** को दी गई हैं, जबकि **कार्यपालिका** के पास कानूनों को लागू करने की शक्ति है।
    - **समय की कमी** के कारण विधायिका खुद को **नीतिगत मामलों तक ही सीमित** रखती है। इसलिए, **संसदीय कानून का पूरक कानून या नियम बनाने** के लिए कार्यपालिका या किसी अधीनस्थ निकाय को नियम और विनियमों के निर्माण का कार्य सौंपा जाता है।

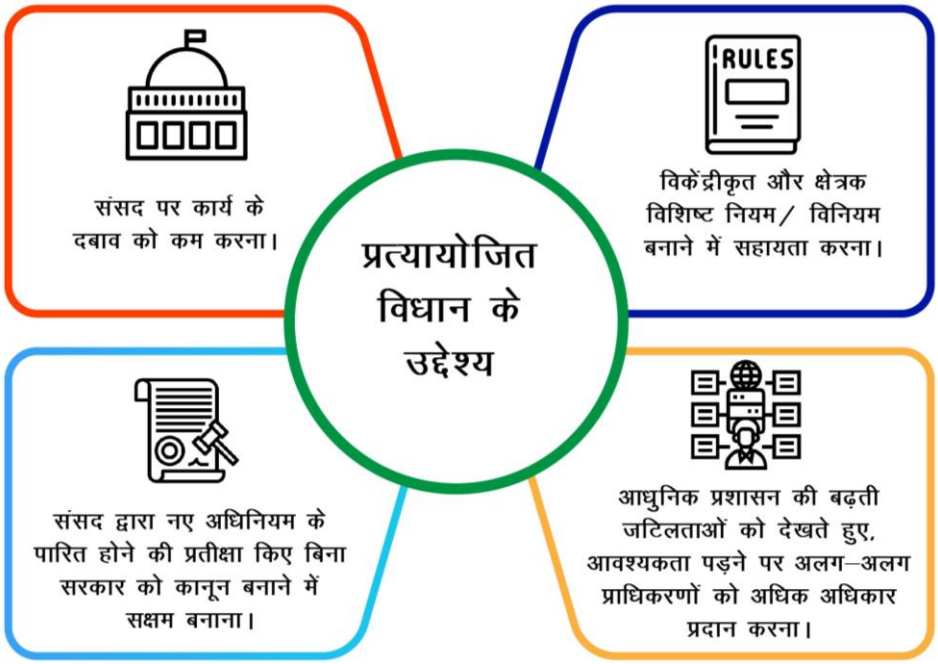

2.7. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 {Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, छत्तीसगढ़ ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर **पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996** (पेसा अधिनियम) को लागू करने के लिए **नियमों** को अधिसूचित किया है।

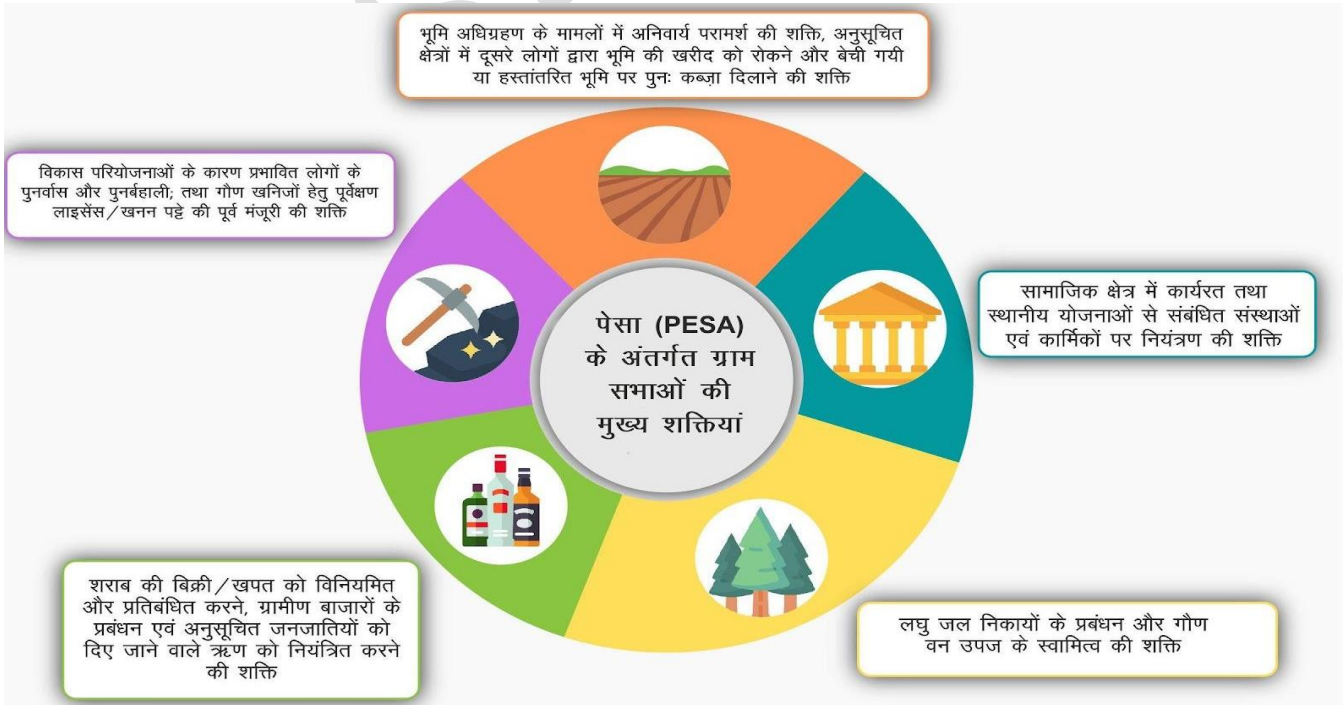

अन्य संबंधित तथ्य

- पेसा नियमों को अधिसूचित करने के साथ ही **छत्तीसगढ़ इस प्रकार के नियम बनाने और पेसा कानून को लागू करने वाला देश का सातवां राज्य बन गया है।** इससे पहले पेसा अधिनियम को लागू करने वाले राज्य **आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान** और **तेलंगाना** हैं।

पेसा अधिनियम, 1996 के बारे में

- **पेसा अधिनियम, 1996 को दिलीप सिंह भूरिया समिति** की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। इसका उद्देश्य जनजातियों का सशक्तीकरण करना और उन्हें मुख्यधारा में लाना है।
- **पंचायती राज मंत्रालय** राज्यों में पेसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु **नोडल मंत्रालय है।**
- पेसा अधिनियम को **"संविधान के भीतर संविधान"** कहा जाता है।
- यह अधिनियम **संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत आने वाले 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करता है। भाग IX पंचायतों से संबंधित है।** इस संबंध में **अनुच्छेद 244(1)** को (कुछ संशोधनों एवं अपवादों के साथ) **अनुसूची 5 के साथ** पढ़ा जाना चाहिए।
  - ये 10 राज्य **आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना हैं।**

पेसा अधिनियम, 1996 की अन्य विशेषताएं

प्रथागत कानूनों के अनुरूप	• **पंचायतों के संबंध में राज्यों द्वारा बनाए जाने वाले कानून जनजातीय समुदायों के प्रथागत कानूनों,** उनकी सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन की पद्धतियों के अनुरूप होंगे।
ग्राम सभा	• **प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी।** यह ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल हैं।
ग्राम सभा की भूमिका और दायित्व	• **ग्राम सभा के पास गांव में विकास संबंधी सभी कार्यों को मंजूरी देने, लाभार्थियों की पहचान करने,** धन के उपयोग का प्रमाण-पत्र जारी करने आदि का उत्तरदायित्व होगा। इसके अतिरिक्त, उसके पास सभी सामाजिक क्षेत्रकों में संस्थाओं एवं पदाधिकारियों पर और स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण रखने की शक्तियां भी होंगी। • प्रत्येक ग्राम सभा **लोगों की परंपराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान,** सामुदायिक संसाधनों तथा विवाद समाधान के पारंपरिक तरीकों की रक्षा व संरक्षा करेगी।
आरक्षण	• प्रत्येक पंचायत में जनजातीय समुदायों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित **(न्यूनतम 50 प्रतिशत)** होंगी। साथ ही, **पंचायत के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पद भी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे।**

2.8. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

लाभ का पद (Office of Profit)	• झारखंड के राज्यपाल ने कुछ समय पूर्व लाभ का पद धारण करने के लिए मुख्यमंत्री को विधायक के रूप में अयोग्य ठहराए जाने का मामला भारतीय निर्वाचन आयोग को भेजा था।
	  ○ **लाभ के पद** की व्याख्या एक ऐसे दर्जे के रूप में की जाती है, जिससे पद धारण करने वाले लोगों को कुछ **वित्तीय लाभ, पारिश्रमिक या फायदा** मिलता है।
	  ○ इसे संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में **परिभाषित नहीं** किया गया है।
	• संविधान के **अनुच्छेद 102(1) और अनुच्छेद 191(1)** के तहत क्रमश: एक सांसद या विधायक (या विधान परिषद का सदस्य) को केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करने से रोका जाता है।
	  ○ इन प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे पदों को लाभ का पद

	नहीं माना गया है, जिन्हें संसद ने कानून द्वारा अलाभकारी पद घोषित किया है। ○ लाभ के पद के संबंध में अयोग्यता के निर्धारण का प्रश्न **राष्ट्रपति और राज्यपाल को भेजे जाने का प्रावधान** है। ▪ हालांकि, उन्हें इस मामले में **चुनाव आयोग की राय** प्राप्त करनी होती है और उसी के अनुरूप वे निर्णय लेते हैं।
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) नियम {Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) Rules}	• वित्त मंत्रालय ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना **(MPLADS)** नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत **MPLADS** निधि पर जमा होने वाले ब्याज को भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा। ○ इससे पहले, इस निधि पर अर्जित ब्याज को **MPLADS** खाते में जमा किया जाता था। इसका उपयोग विकास परियोजनाओं के लिए किया जा सकता था। ○ प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य **निधियों का समय पर आवंटन और कुशल उपयोग** सुनिश्चित करना है। • MPLADS को 1993 में शुरू किया गया था। यह सांसदों को स्थानीय स्तर पर महसूस की गई जरूरतों के आधार पर पूंजीगत प्रकृति के विकास कार्यों को संपन्न कराने की सिफारिश का अधिकार देता है। ○ इसके तहत प्रत्येक सांसद को **5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से 2.5 करोड़ रुपये की दो किस्तों में फंड** जारी किया जाता है। ○ प्रत्येक वर्ष सांसद को निम्नलिखित अनुपात में इस निधि से कार्य की सिफारिश करनी होती है: ▪ अनुसूचित जाति **(SC)** की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए MPLADS निधि का कम से कम **15 प्रतिशत और** ▪ अनुसूचित जनजाति **(ST)** की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए MPLADS निधि का **7.5 प्रतिशत।** ○ MPLADS के अंतर्गत निधियां **व्यपगत नहीं** होती हैं अर्थात इनका उपयोग नहीं होने पर भी निधि वैसी ही रहती है। ○ जिला स्तर पर इस योजना के तहत कार्यों के समग्र **समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए जिला प्राधिकरण जिम्मेदार** है। जिला प्राधिकरण को प्रति वर्ष कार्यान्वयन के तहत कम से कम 10% कार्यों का निरीक्षण करना होता है। ○ योजना के कार्यान्वयन के लिए **नीति निर्माण, निधि जारी करने और निगरानी तंत्र निर्धारित करने** के लिए **सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) जिम्मेदार** है।
नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन {National e-Vidhan Application (NeVA)}	• NeVA प्रणाली को नागरिकों और विधान मंडलों के सदस्यों के उपयोग के लिए विकसित किया गया है। इसमें **विधायी निकायों से संबंधित सभी कार्यों और डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।** ○ **ई-विधान को NeVA के रूप में पुन: नामित किया गया है।** ○ **संसदीय कार्य मंत्रालय** NeVA को शुरू करने के लिए **नोडल मंत्रालय है।** • NeVA का लक्ष्य देश की सभी विधायिकाओं को **एक मंच पर लाना** है, ताकि एक **विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण** किया जा सके। ○ यह विभिन्न राज्य विधान सभाओं से **संबंधित सूचनाओं को सुव्यवस्थित** करने और दिन-प्रतिदिन के कामकाज में **कागज के उपयोग को समाप्त** करने में भी मदद करेगा।

© Vision IAS

जिलों का निर्माण/उत्सादन (Creation/Abolition of District)	• हाल ही में, **पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाए** गए हैं। • **जिलों का निर्माण/ विघटन कैसे किया जाता है?** ○ इस संबंध में **संपूर्ण शक्ति राज्य सरकार में निहित** है। राज्य सरकार विधान सभा में एक कानून पारित कर या केवल एक आदेश जारी कर, नए जिले का निर्माण या विघटन कर सकती है। इसकी अधिसूचना को राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। **इस मामले में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है।** ○ हालांकि, किसी जिले या रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन करने के लिए **केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है।**
विधान सभा अध्यक्ष की शक्तियां {Power of Speaker of Legislative Assembly (LA)}	• हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, **दल बदल से संबंधित संविधान की दसवीं सूची के तहत** किसी विधायक के विरुद्ध एक अयोग्यता याचिका का निर्णय करते समय विधान सभा अध्यक्ष उस विधायक के पूर्व विधान सभा सदस्य (MLA) के दर्जे को समाप्त नहीं कर सकता है। ○ 2014 में, बिहार विधान सभा अध्यक्ष ने **10वीं अनुसूची** के तहत न केवल कुछ विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था, बल्कि उनके **पूर्व विधायक का दर्जा भी समाप्त कर दिया था।** इस प्रकार उन्हें पेंशन और अन्य लाभों से वंचित कर दिया गया था। ○ **किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्हु और अन्य (1992) वाद में,** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि **10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष की शक्ति 'न्यायिक पुनर्विलोकन' के अधीन है।**
राजभाषा पर संसदीय समिति (Committee of Parliament on Official Language)	• हाल ही में, इस समिति ने **अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत** की है। • इस समिति का **गठन 1976 में राजभाषा अधिनियम, 1963** के तहत किया गया था। ○ इसका गठन **गृह मंत्रालय** करता है और **केंद्रीय गृह मंत्री** इसकी **अध्यक्षता** करते हैं। ○ यह समिति **राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती** है। • **सौंपे गए कार्य (अधिदेश):** आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना। साथ ही, **आधिकारिक संचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने** के लिए सिफारिशें करना।
पूर्वोत्तर परिषद (North-Eastern Council: NEC)	• प्रधान मंत्री ने NEC के 50 साल पूरे होने पर **पूर्वोत्तर के विकास के लिए 8 स्तंभों** पर कार्य करने पर बल दिया। ये स्तंभ हैं- शांति, विद्युत, पर्यटन, 5G कनेक्टिविटी, संस्कृति, प्राकृतिक कृषि, खेल और क्षमता निर्माण। • प्रधान मंत्री ने **त्रिपुरा में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) के तहत दो लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए 'गृह प्रवेश' कार्यक्रम** का उद्घाटन किया।

क्षेत्रीय परिषद (Zonal Council)	• पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कोलकाता में आयोजित की गई। इसमें बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड आदि राज्य शामिल हैं। • **अन्य क्षेत्रीय परिषदें हैं:** ○ **उत्तरी क्षेत्रीय परिषद:** हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। ○ **मध्य क्षेत्रीय परिषद:** छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ○ **पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद:** गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव व दादरा और नगर हवेली। ○ **दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद:** आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी।

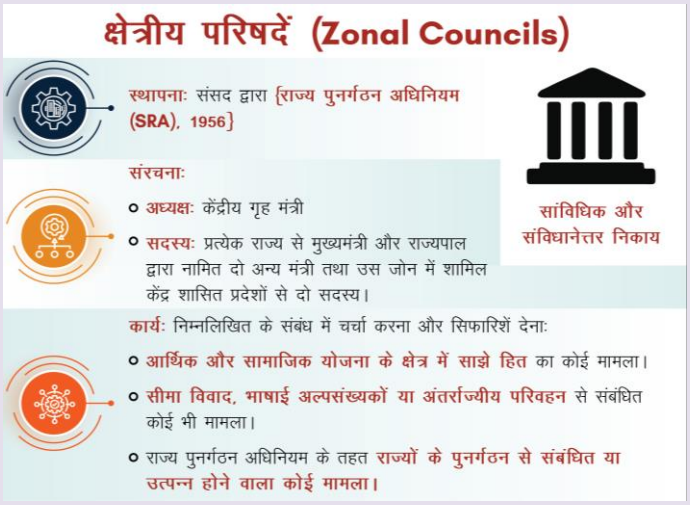

© Vision IAS

3. केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations)

3.1. सातवीं अनुसूची में सुधार (Reform in Seventh Schedule)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कई विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समर्थन किया है।

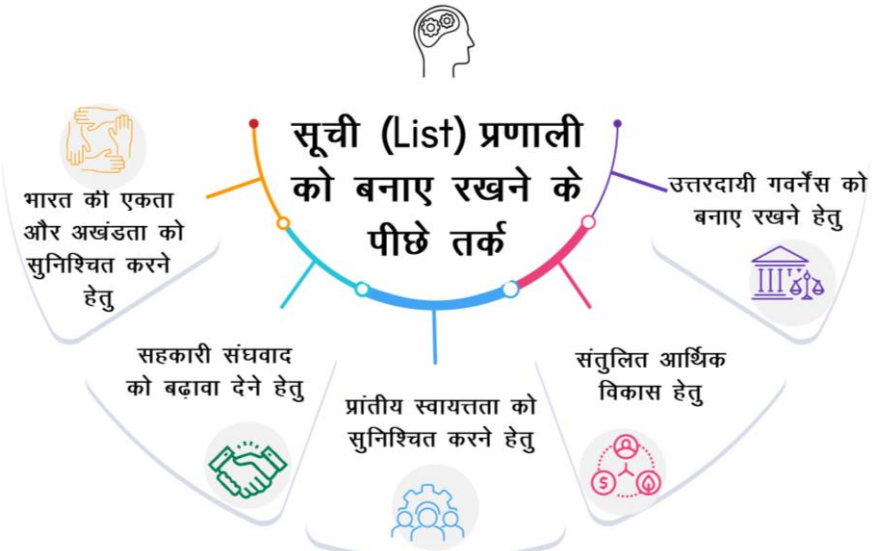

सातवीं अनुसूची के बारे में

- **संविधान के अनुच्छेद 246** के तहत, सातवीं अनुसूची **केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन करती है।**
  - यह अनुच्छेद इन सरकारों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को तीन सूचियों, यथा- **संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची** के रूप में निर्दिष्ट करता है।
- **अनुच्छेद 248 संसद को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है।**
  - अवशिष्ट शक्तियां ऐसे विषयों पर अधिकारिता की शक्ति को संदर्भित करती हैं, जिनका राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं किया गया है।

सातवीं अनुसूची में संशोधन

- **सातवीं अनुसूची में संशोधन की प्रक्रिया**
  - इसमें संविधान के **भाग XX के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के** अनुसार संशोधन किया जा सकता है।
  - **इसके लिए संसद के विशेष बहुमत** (अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत) **की आवश्यकता होती है। साथ ही, साधारण बहुमत के आधार पर आधे राज्यों की विधान सभाओं की सहमति की भी आवश्यकता होती है।**

अन्य प्रावधान जिन्हें इस प्रकिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है:

- राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी विधि।
- संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार।
- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।
- संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
- संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति तथा उसकी प्रक्रिया (स्वयं अनुच्छेद 368)।

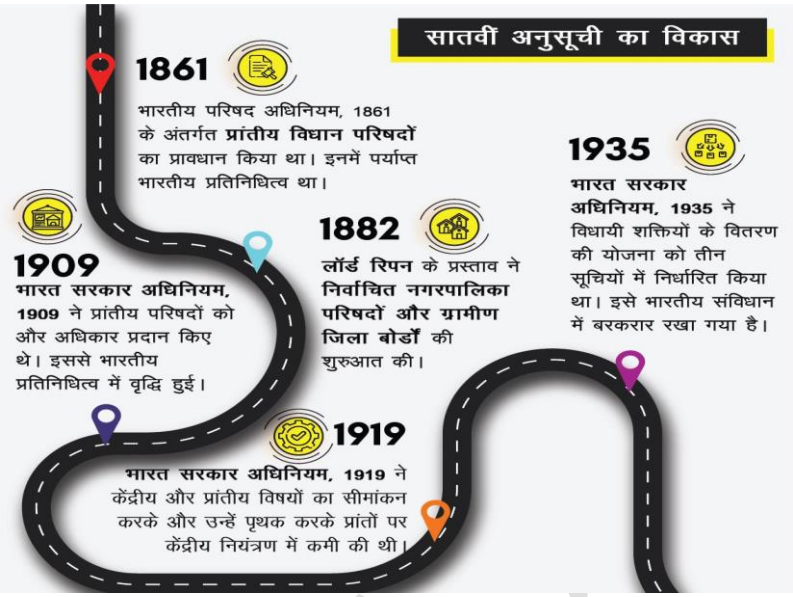

3.2. सतलुज यमुना लिंक नहर (Sutlej Yamuna Link Canal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

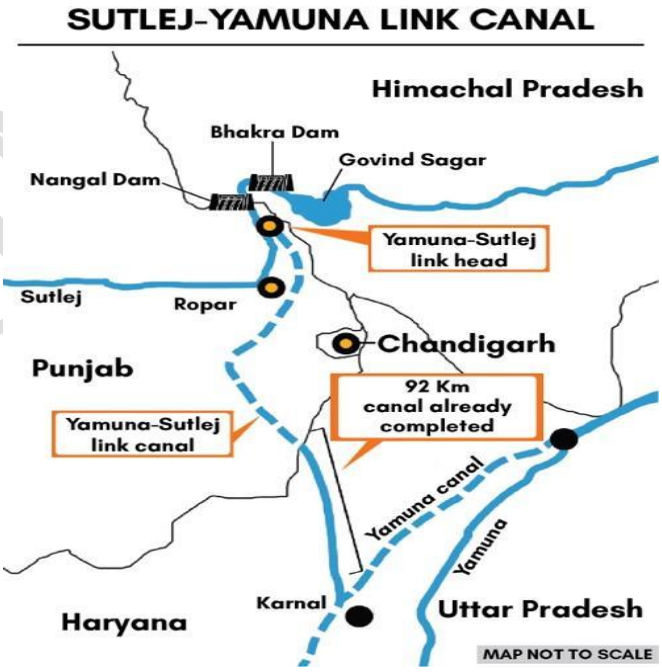

हरियाणा और पंजाब **रावी तथा ब्यास नदियों के जल बंटवारे पर किसी भी समझौते पर पहुंचने में विफल** रहे हैं। इसके कारण सतलुज यमुना लिंक (SYL) नहर का मुद्दा अभी भी अनसुलझा बना हुआ है।

सतलुज यमुना लिंक नहर के बारे में

- यह **सतलुज और यमुना नदियों को जोड़ने वाली** एक प्रस्तावित **214 किलोमीटर लंबी नहर** है। इसकी योजना पंजाब से अलग हरियाणा राज्य के गठन के बाद 1966 में बनाई गई थी।
- इसमें **हरियाणा को रावी-ब्यास नदियों के अतिरिक्त जल** का औसत वार्षिक हिस्सा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।
- हरियाणा ने 1980 में SYL नहर के अपने हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया था। इसके विपरीत, **पंजाब रिपेरियन सिद्धांतों (Riparian Principles) और जल की अनुपलब्धता का हवाला देकर इसे टालता रहा है।**
  - **रिपेरियन सिद्धांत** के अनुसार किसी जल निकाय से सटी भूमि के स्वामी को ही उस निकाय के जल के उपयोग का अधिकार है।
- हरियाणा ने तर्क दिया है कि **उसके दक्षिणी हिस्से को भू-जल स्तर में गिरावट के कारण जल की कमी की समस्या का सामना** करना पड़ रहा है।

© Vision IAS

अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

सातवीं अनुसूची:

- **राज्य सूची:** विषय क्रमांक 17 (जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, ड्रेनेज आदि)।
- **संघ सूची:** विषय क्रमांक 56 (अंतर–राज्यीय नदी और नदी घाटियों का विनियमन एवं विकास)।

अनुच्छेद 262

- अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्यायनिर्णयन।
- अनुच्छेद 262 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसद ने **अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956** पारित किया है।

अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956

- यह **केंद्र सरकार** को अंतर्राज्यीय नदी विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए **अधिकरण (Tribunal) गठित करने का अधिकार देता है।**
- अधिकरण का निर्णय अंतिम और विवाद से संबंधित पक्षकारों के लिए **बाध्यकारी** होता है।
- **अंतर–राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) अधिनियम,** मूल अधिनियम के तहत विवाद निपटान तंत्र को प्रतिस्थापित करता है। इसके लिए यह **विवाद समाधान समिति (Dispute Resolution Committee)** और विवाद निपटान के लिए **एक स्थायी अधिकरण** के गठन का प्रावधान करता है।

- उसका यह भी कहना है कि **एराडी ट्रिब्यूनल, 1987** द्वारा किए गए आकलन के बाद भी हरियाणा राज्य को **जल में उसके उचित हिस्से से वंचित** किया गया है।

3.3. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

संविधान की नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule of Constitution)	• **झारखंड विधान सभा ने रिक्त सरकारी पदों और सेवाओं में आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने** संबंधी एक विधेयक को मंजूरी दी है। ○ हालांकि, राज्य सरकार ने कहा है कि **यह विधेयक तब लागू होगा, जब केंद्र सरकार इसे नौवीं अनुसूची में शामिल कर देगी।** • **नौवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन (1951)** द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसके पीछे का उद्देश्य कुछ कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर **न्यायिक समीक्षा से बाहर** रखना था। • हालांकि, **आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य** मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि **1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून "मूल ढांचे" की अवधारणा के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे।**
आर्म्ड फ़ोर्सेज स्पेशल पॉवर्स एक्ट (Armed Forces Special Powers Act: AFSPA)	• **गृह मंत्रालय ने** असम, नगालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों से "आर्म्ड फ़ोर्सेज स्पेशल पॉवर्स एक्ट (AFSPA)" को हटा दिया है। इन राज्यों में **सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की वजह** से कुछ क्षेत्रों से AFSPA को हटाया गया है। • इस घोषणा के बाद, अब इन **तीन राज्यों के कुछ हिस्सों में ही AFSPA** लागू रहेगा। इसके अलावा, अभी **अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों** तथा **जम्मू और कश्मीर** में **AFSPA लागू** है। • **AFSPA के बारे में:** ○ यह कानून **"अशांत क्षेत्रों" (Disturbed areas)** में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए सशस्त्र बलों को **AFSPA अधिनियम की धारा 4 के तहत विशेष शक्तियां तथा धारा 6 के अंतर्गत उन्मुक्तियां** प्रदान करता है। ▪ कई बार किसी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश का पूरा भाग या कोई भाग हिंसा या उपद्रव के चलते ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है कि वहां **कानून-व्यवस्था बनाए रखना** मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब **सिविल प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक** हो जाता है, तब वहां **AFSPA की**

	घोषणा की जाती है। **AFSPA अधिनियम, 1958** की **धारा 3** के तहत किसी राज्य या उसके क्षेत्र को **"अशांत क्षेत्र"** घोषित किया जाता है। ▪ अशांत क्षेत्र की घोषणा राज्य के **राज्यपाल** और केंद्र शासित प्रदेश के **प्रशासक** या **केंद्र सरकार** द्वारा की जाती है।
अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council: ISC)	• हाल ही में, केंद्र सरकार ने **अंतर-राज्य परिषद (ISC) का पुनर्गठन** किया है। • भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति (अनुच्छेद 263 के तहत) ऐसी परिषद की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही, यह राष्ट्रपति को ऐसी **परिषद द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित करने का अधिकार भी प्रदान करता** है। • 1990 में **सरकारिया आयोग की सिफारिशों** के अनुसार ISC का गठन किया गया था।
भारत-नागा युद्ध विराम समझौते के 25 वर्ष {25 years of Indo-Naga Ceasefire agreement (1997-2022)}	• भारत सरकार और **नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक-मुइवा)** के बीच **युद्ध विराम समझौता 1 अगस्त, 1997 को प्रभावी** हुआ था। ○ कई दौर की वार्ता के बाद, 2015 में **नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-इसाक-मुइवा (NSCN-IM) के साथ एक "फ्रेमवर्क एग्रीमेंट"** पर हस्ताक्षर किए गए थे। ○ हालांकि **नागा ध्वज और येहज़ाबो (नागा संविधान)** पर दोनों पक्षों के बीच असहमति के कारण स्पष्ट रूप से शांति प्रक्रिया आगे बढ़ने में विफल रही है। NSCN-IM ने यह जोर देकर कहा है कि दोनों विषयों को **फ्रेमवर्क समझौते में शामिल** किया गया था।
अंतरण पश्चात राजस्व घाटा (Post Devolution Revenue Deficit: PDRD) अनुदान	• वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 14 राज्यों को **PDRD अनुदान की 7वीं मासिक किस्त** जारी कर दी है। • संविधान के **अनुच्छेद 275** के तहत राज्यों को PDRD प्रदान किया जाता है। • राज्यों को यह अनुदान राशि क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार जारी की जाती है। इसका उद्देश्य **अंतरण पश्चात राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा** करना है। ○ इस अनुदान को प्राप्त करने की राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण पंद्रहवें वित्त आयोग ने किया है।
स्वायत्त जिला परिषदें (Autonomous District Councils: ADCs)	• **मेघालय** ने सीमा विवाद के निपटारे के लिए **असम के साथ एक समझौता** किया है। मेघालय की **खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (KHADC)** इस समझौते का विरोध कर रही है।

 © Vision IAS

	स्वायत्त जिला परिषदें (Autonomous Districts Councils: ADCs) **स्थापना:** इनकी स्थापना **छठी अनुसूची के तहत** की गई है। इन्हें कुछ **कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां** भी दी गई हैं। ○ छठी अनुसूची में **असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम** के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान किए गए हैं। ○ वर्तमान में **असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 10 ADCs हैं।** **संरचना:** प्रत्येक ADC में **कम-से-कम 30 सदस्य** होने चाहिए। ○ इनमें से **चार राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं** और 26 वयस्क मताधिकार के जरिए चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल **पांच वर्ष** का होता है। **शक्तियां** ○ **राज्यपाल** को स्वायत्त जिलों के **क्षेत्रों का विस्तार करने या उन्हें घटाने या उनके नाम को बदलने का अधिकार है।** ○ परिषदों को **दीवानी (Civil)** और **आपराधिक (Criminal)** मामलों में **न्यायिक शक्तियां** प्रदान की गई हैं। ○ इन परिषदों का क्षेत्राधिकार संबंधित **उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होता है।**
महाजन आयोग (Mahajan Commission)	• 1966 में, केंद्र सरकार ने **महाराष्ट्र, कर्नाटक** और **केरल में सीमा-विवाद को हल करने के लिए महाजन आयोग की स्थापना** की थी। • आयोग ने **264 गांवों को महाराष्ट्र में स्थानांतरित करने तथा बेलगावी (पुराना नाम बेलगाम) और 247 गांवों के कर्नाटक में बने रहने** की सिफारिश की थी। • महाराष्ट्र ने आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था। साथ ही, उसने 2004 में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। • **बेलगावी वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है।**

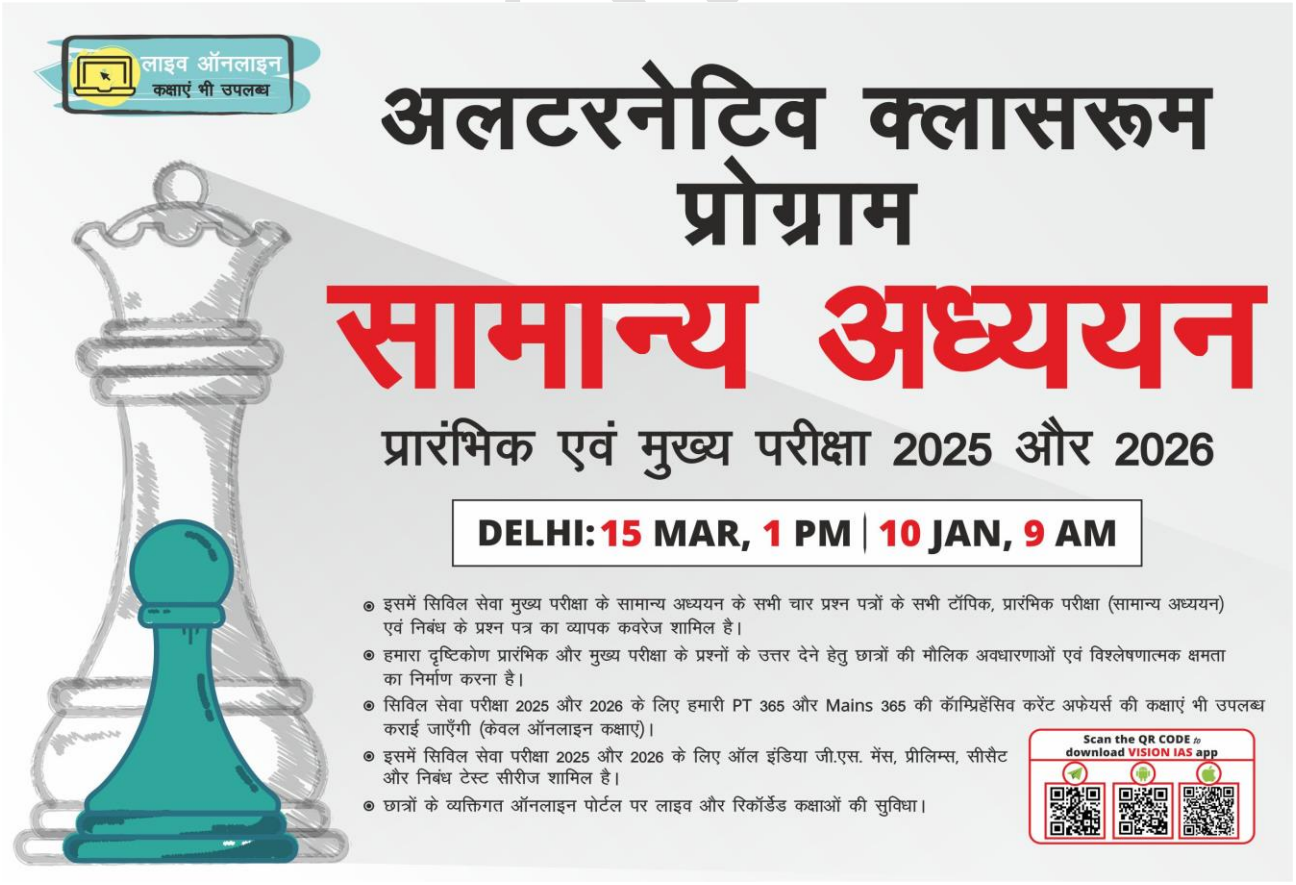

4. न्यायपालिका (Judiciary)

4.1. जनहित याचिका (Public Interest Litigation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने महत्वहीन **जनहित याचिकाएं (PIL)** दायर किए जाने पर आपत्ति प्रकट की है। **न्यायालय ने "लग्जरी लिटिगेशन" दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना भी लगाया है।**

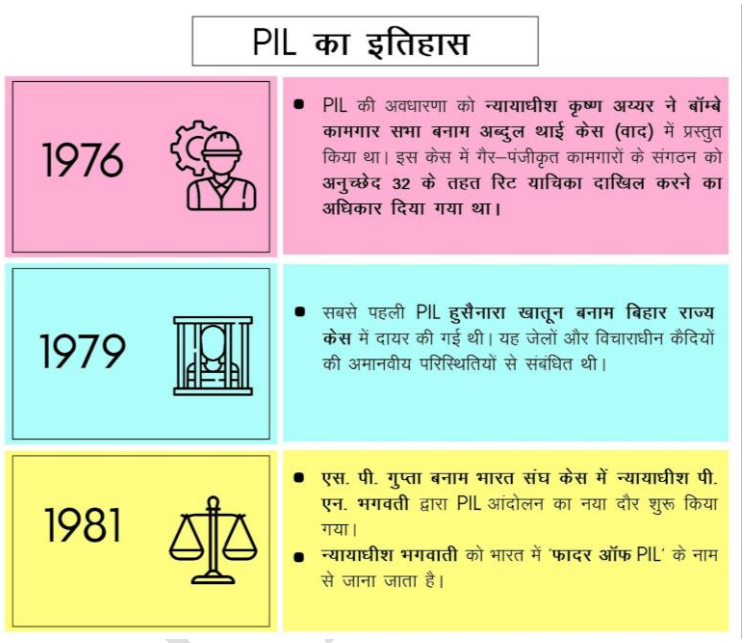

जनहित याचिका और उसका महत्त्व

- जनहित याचिका का तात्पर्य **मानवाधिकारों तथा समानता के अधिकारों की रक्षा करने और व्यापक लोक महत्व के मुद्दों** को उठाने के लिए कानून का प्रयोग करने से है।
  - जनहित याचिका की अवधारणा **अमेरिकी न्यायिक प्रणाली से ली गई है।**
  - जनहित याचिका **अनुच्छेद 39A पर आधारित है।** यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि **राज्य जाति, धर्म, पंथ आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना न्याय प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेगा।**
  - जनहित याचिका **न्यायालयों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है।**
- जनहित याचिका **सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के कानूनी मामलों** में दायर की जा सकती है।
  - जनहित याचिका के तहत **जिन मामलों पर विचार किया जाता है** उनमें बंधुआ मजदूरी, महिलाओं पर अत्याचार, पर्यावरणीय प्रदूषण, खाद्य पदार्थों में मिलावट, विरासत और संस्कृति के अनुरक्षण से संबंधित मामले आदि शामिल होते हैं।
  - जनहित याचिका **किसी भी हाई कोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है।**

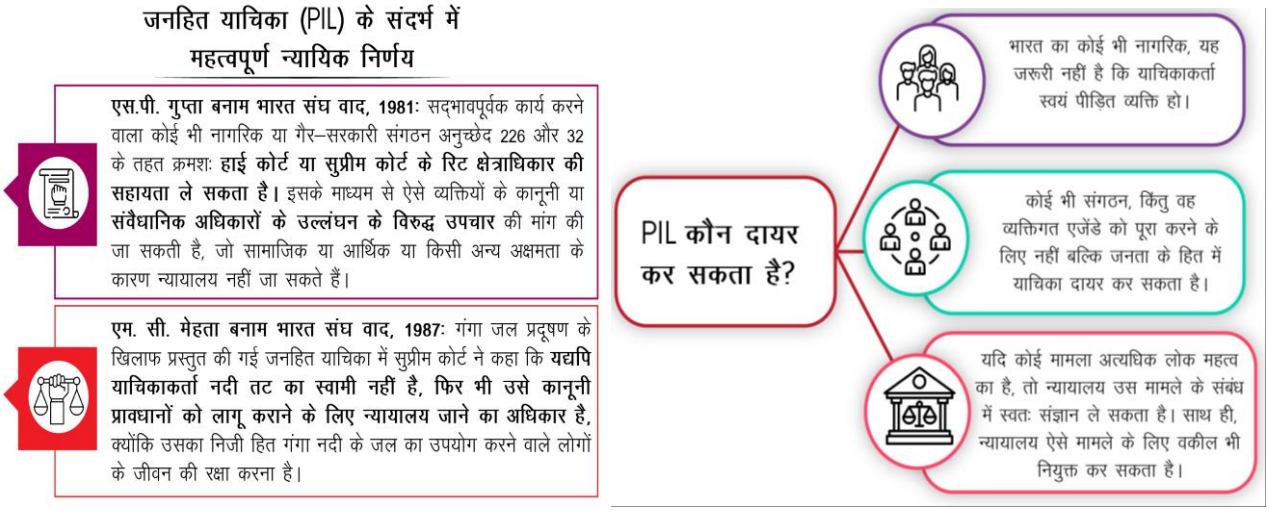

© Vision IAS

4.2. अधिकरण (Tribunals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT),** प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र[20] के मामले में **हाई कोर्ट के अधीनस्थ** है। यह निर्णय **विशाखापट्टनम में रुशिकोंडा पहाड़ियों पर निर्माण कार्य को रोकने वाले NGT के एक निर्णय** के संबंध में दिया गया है।

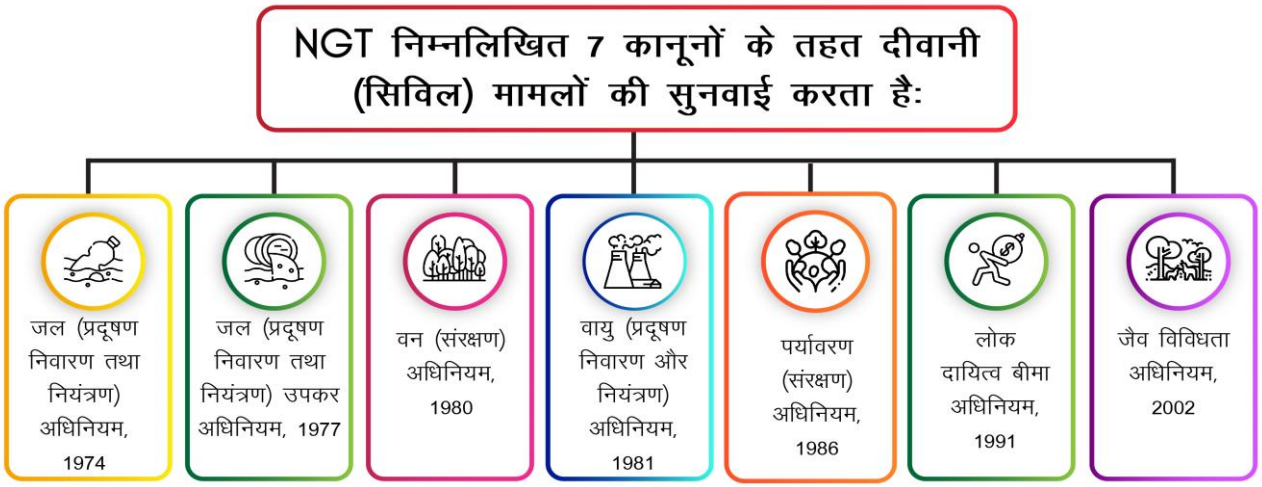

अन्य संबंधित तथ्य

- किसी मामले में परस्पर विरोधी निर्णय की स्थिति में **न्यायालयों के निर्णय, सांविधिक अधिकरण[21] के निर्णय पर प्रभावी होते हैं।**
- इससे पहले, **एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) मामले में,** सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B के तहत स्थापित अधिकरण के निर्णय **हाई कोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र** के अधीन हैं।
- **अधिकरण और हाई कोर्ट के बीच मुख्य अंतर**

विशेषताएं	अधिकरण	हाई कोर्ट
गठन	संसद के अधिनियमों द्वारा। • **अनुच्छेद 323A** (प्रशासनिक अधिकरण) और **323B** (अन्य मामलों के लिए अधिकरण) को जोड़कर **42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** के माध्यम से गठन। • स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सिफारिश की गई थी।	केवल भारत के संविधान द्वारा।
उद्देश्य	विशिष्ट मामलों पर विवादों और शिकायतों को हल करना।	अपने अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की व्याख्या करना और उन्हें बनाए रखना तथा सिविल व आपराधिक मामलों पर निर्णय देना।
प्रक्रियात्मक अनुपालन	CrPC जैसी विशिष्ट प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा शासित है।	प्रक्रियात्मक संहिताओं से बंधा हुआ है।
सदस्य	विशेष ज्ञान वाले न्यायिक और अन्य विशेषज्ञ।	केवल न्यायिक।
शक्तियां	उन कानूनों तक ही सीमित हैं, जिनके तहत इन्हें गठित किया गया है।	निर्णय लेने से पहले सभी अधिनियमित कानूनों का उपयोग करने की शक्ति।

[20] Territorial Jurisdiction

[21] Statutory Tribunals

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal: NGT)

स्थापना: सरकार द्वारा (हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत)

संरचना:
- अध्यक्ष (भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त)
- कम-से-कम दस और अधिकतम बीस न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य।

सांविधिक निकाय

कार्यकाल: इनका कार्यकाल **पांच साल** का होता है और ये **पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं** होते हैं।

कार्य:
- इसे **पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित सभी सिविल मामलों पर निर्णय** लेने का अधिकार है।
- इसके निर्णय विवाद में शामिल सभी पक्षकारों के लिए **बाध्यकारी** होते हैं।

अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अधिनियम, 2021[22] के बारे में

- यह अधिनियम **अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021** को प्रतिस्थापित करता है।
- **यह विधेयक कुछ मौजूदा अपीलीय निकायों[23] को भंग करने का प्रस्ताव करता है।** साथ ही, यह विधेयक इन निकायों के कार्यों को अन्य मौजूदा न्यायिक निकायों में हस्तांतरित करने का भी प्रस्ताव करता है।
  - उदाहरण के लिए- सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत अपीलीय अधिकरण के कार्यों को हाई कोर्ट में हस्तांतरित करना।
- इसके तहत एक खोज-सह-चयन समिति गठित करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। यह समिति अलग-अलग अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों का चयन तथा उनकी नियुक्ति करेगी।
- यह वित्त अधिनियम, 2017 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित को इन समितियों में शामिल करता है:
  - **अध्यक्ष: भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामांकित सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश;** (साथ ही, बराबरी की स्थिति में उसे निर्णायक मत सौंपा गया है),
  - केंद्र सरकार द्वारा नामित **दो सचिव,**
  - **एक सदस्य:**
    - **अधिकरण के चेयरपर्सन की नियुक्ति के मामले में- सेवामुक्त होने वाला अध्यक्ष, या**
    - **अधिकरण के सदस्य की नियुक्ति के मामले में- अधिकरण का सेवारत चेयरपर्सन, या**

भारत में अधिकरण प्रणाली के विकास से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु

- **1941** आयकर अपीलीय अधिकरण के रूप में **प्रथम अधिकरण** की स्थापना की गई।
- **1969** **प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग** ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर **लोक सेवा अधिकरणों** को स्थापित करने की सिफारिश की।
- **1974** छठे विधि आयोग ने **उच्च न्यायालयों में मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए अलग उच्च अधिकार प्राप्त अधिकरण और आयोग स्थापित करने की सिफारिश की।**
- **1976** **42वें संविधान संशोधन** द्वारा **प्रशासनिक अधिकरणों** और अन्य अधिकरणों **का गठन** किया गया।
- **2017** वित्त अधिनियम, 2017 ने कार्यात्मक रूप से समान **अधिकरणों का विलय करके अधिकरण प्रणाली को पुनर्गठित किया।**
- **2021** **अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवाओं की शर्तें) विधेयक, 2021** को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

[22] About Tribunals Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Act, 2021

[23] Appellate Bodies

- **यदि मौजूदा चेयरपर्सन को फिर से नियुक्त किया जाना है तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश**, या हाई कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश (इनकी नियुक्ति CJI द्वारा की जाएगी)।
- **जिस मंत्रालय के तहत अधिकरण का गठन किया जाना है, उस मंत्रालय का सचिव** (मतदान के अधिकार के बिना)।

- यह अधिनियम अध्यक्ष या सदस्य के पद के कार्यकाल को **चार साल** तक निर्धारित करता है। इसमें पुनर्नियुक्ति के प्रावधान भी शामिल हैं। अध्यक्ष के लिए कार्यकाल की अधिकतम **आयु 70** वर्ष और अन्य सदस्यों के लिए **67 वर्ष** होगी।
- अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए **न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष है।**

संबंधित तथ्य

अधिकरण के रूप में लोक सभा / विधान सभा अध्यक्ष

- लोक सभा / विधान सभा अध्यक्ष का कार्यालय विधायकों की अयोग्यता (Disqualification) पर अपने निर्णयों को लेकर विवादों में रहा है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अध्यक्ष किसी न किसी राजनीतिक दल से (या तो 'डी जुरे' या 'डी फैक्टो') संबंधित होता है। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने संसद से इस पर फिर से विचार करने के लिए कहा है कि **क्या अयोग्यता से संबंधित याचिकाओं को अध्यक्ष (अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में) को सौंपा जाना चाहिए।**
- संसद को 10वीं अनुसूची के तहत होने वाली अयोग्यता से संबंधित विवादों को स्थायी अधिकरण के माध्यम से निपटाना चाहिए। इस संबंध में लोक सभा और विधान सभाओं के अध्यक्ष की इन शक्तियों को ऐसे स्थायी अधिकरण में हस्तांतरित करने हेतु संविधान में संशोधन करने पर संसद को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

4.3. न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Judges)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट में दो वर्ष से अधिक समय के बाद न्यायाधीशों के **सभी स्वीकृत 34 पद पर न्यायाधीश** नियुक्त हो जाएंगे।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्तमान में, शीर्ष न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 32 है। सुप्रीम कोर्ट के लिए स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 34 है।
- भारत के संविधान के **अनुच्छेद 124(1)** के अनुसार, **संसद कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकती है।**

न्यायाधीशों की नियुक्ति

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के **अनुच्छेद 124(2)** के तहत **राष्ट्रपति** द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की मदद से की जाती है।
  - सुप्रीम कोर्ट के **वरिष्ठतम न्यायाधीश** को CJI का पद धारण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है।
  - निवर्तमान CJI द्वारा **अगले CJI** के नाम की सिफारिश की जाती है।
- **कॉलेजियम** एक ऐसी प्रणाली है, जहां **एक समिति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की**

जिला न्यायाधीश

- वह जिले में **सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी** होता है।
- वह सिविल और साथ ही आपराधिक दोनों मामलों में **आरंभिक तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है।**
- **हाई कोर्ट** के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा उसकी **नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति** की जाती है।
- **योग्यताएं:**
  - पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार की **सेवा में नहीं** होना चाहिए।
  - **सात वर्ष तक अधिवक्ता (advocate) या वकील (pleader)** रहा हो।
  - नियुक्ति के लिए **हाई कोर्ट द्वारा सिफारिश** की गई हो।

नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित निर्णय लेती हैं।

- इस समिति में **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)**, **सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश** और **हाई कोर्ट के तीन सदस्य** (यदि हाई कोर्ट में नियुक्ति होनी है) शामिल होते हैं।
- **हाई कोर्ट कॉलेजियम** का नेतृत्व **वर्तमान मुख्य न्यायाधीश** और उस न्यायालय के **दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश** करते हैं।

4.4. कारागार (जेल) सुधार (Prison Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने **"भारत में कारागार सांख्यिकी रिपोर्ट, 2021[24]"** जारी की है।

कारागारों के बारे में अन्य संबंधित तथ्य

- 'कारागार'/ 'कारागार में रखे गए व्यक्ति' **राज्य सूची का विषय हैं।**
  - **कारागारों का प्रशासन और प्रबंधन,** संबंधित **राज्य सरकारों** का उत्तरदायित्व है।
  - ये **कारागार अधिनियम, 1894** और संबंधित राज्य सरकारों की **कारागार नियमावलियों** द्वारा शासित होते हैं।
- **गृह मंत्रालय** कारागारों और वहां बंद कैदियों से संबंधित विविध समस्याओं पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को **नियमित मार्गदर्शन तथा सलाह प्रदान करता है।**

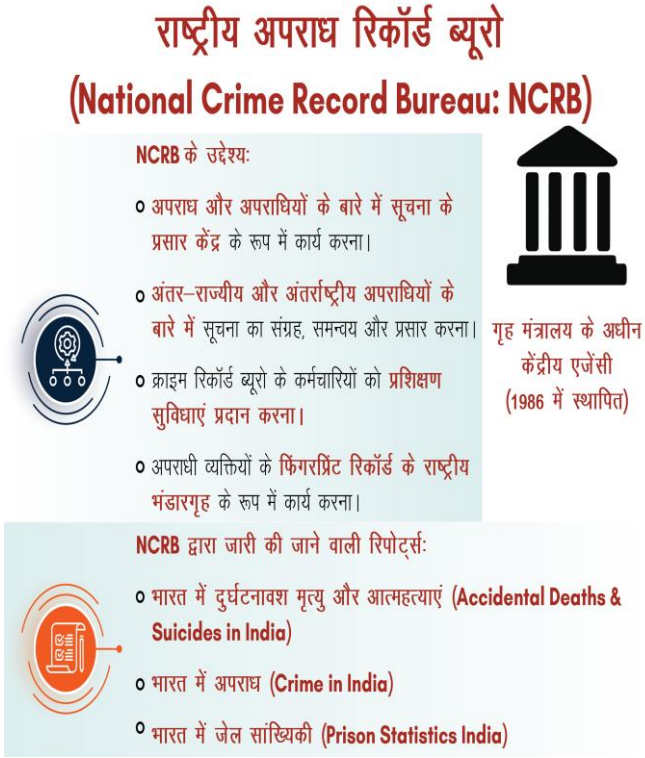

कारागार सांख्यिकी (PSI) रिपोर्ट 2021, के बारे में

- PSI, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो **द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट्स** में से एक है।
- इस रिपोर्ट में विविध प्रकार के आंकड़ें प्रदान किए जाते हैं, जैसे अलग-अलग प्रकार के कारागारों की **संख्या एवं उनकी क्षमता,** कारागार अधिकारियों की **संख्या** व प्रशिक्षण, कारागार का बजट और व्यय आदि।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - **विचाराधीन (Undertrial) कैदियों की उच्च संख्या:** भारतीय कारागारों में **प्रत्येक 10 में से लगभग 8 कैदी** अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं।
    - **उत्तर प्रदेश** के कारागारों में विचाराधीन कैदियों की संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद **बिहार और महाराष्ट्र** का स्थान है।
  - **वंचित वर्ग के कैदी:** 67.5% कैदी अनुसूचित जाति (SCs), अनुसूचित जनजाति (STs) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) समुदायों के हैं।
    - **विचाराधीन कैदियों में से 80%** समाज के वंचित वर्गों से हैं।
  - **बजट एवं बुनियादी ढांचा:** 2021-22 के लिए स्वीकृत बजट में 2020-21 की तुलना में **13.0% की वृद्धि** की गई थी।

[24] Prison Statistics in India (PSI) Report, 2021

कारागारों का आधुनिकीकरण (MoP) परियोजना के बारे में

- भारत सरकार ने **कारागारों में अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने के लिए MoP के माध्यम** से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता (अनुदान सहायता के रूप में) प्रदान करने का निर्णय लिया है:
  - **कारागारों की सुरक्षा बढ़ाना** और
  - सुधारात्मक प्रशासन कार्यक्रमों के माध्यम से **कैदियों के सुधार और पुनर्वास कार्य** को सुविधाजनक बनाना।
- इस परियोजना की अवधि पांच वर्ष (**2021 से 2026** तक) है।
- इस परियोजना में **सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को कवर किया जाएगा** और **व्यापक तौर पर इसमें अग्रलिखित प्रकार के कारागार शामिल होंगे:** केंद्रीय कारागार, जिला कारागार, उप-कारागार, महिला कारागार, खुले कारागार, विशेष कारागार आदि।
- **MoP परियोजना के मुख्य घटक** वीडियो कांफ्रेंसिंग अवसंरचना, शरीर पर धारण किए जाने वाले कैमरा, डोर फ्रेम / मेटल डिटेक्टर / सिक्योरिटी पोल, बैगेज स्कैनर / फ्रिस्किंग / सर्च / जैमिंग सॉल्यूशंस, सुधारात्मक कार्यक्रम आदि हैं।

4.5. मृत्यु दंड {Death Penalty (Capital Punishment)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान (Suo moto) लेते हुए उस प्रक्रिया का पुनर्विलोकन आरंभ किया है, जिसके द्वारा न्यायालय मृत्युदंड देते हैं।

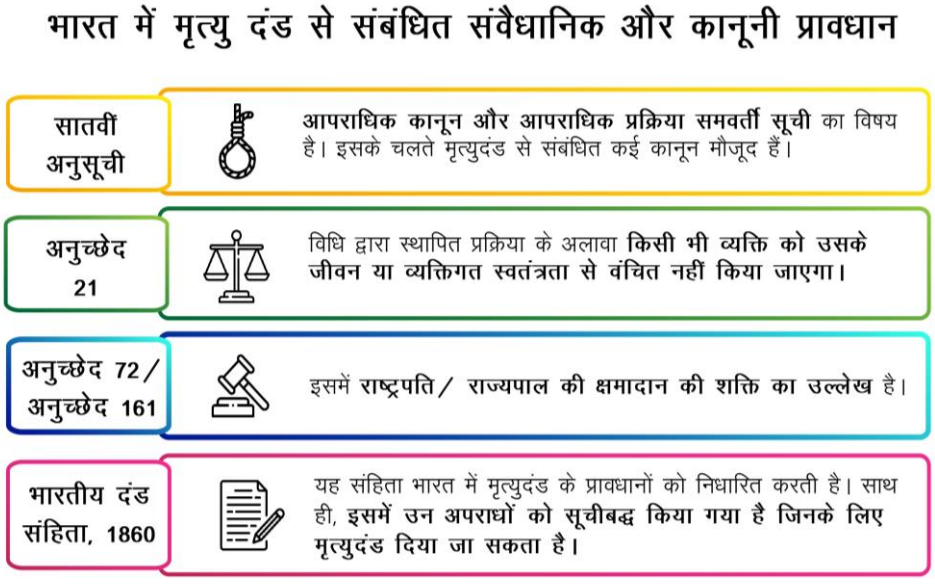

मृत्युदंड के बारे में

- जब किसी व्यक्ति को उचित कानूनी सुनवाई के बाद अपराध की सजा के रूप में मौत की सजा दी जाती है तो उसे मृत्युदंड कहा जाता है।
- **अत्यंत प्राचीन काल** से ही इसका उपयोग **दंड के एक तरीके के रूप में** किया जाता रहा है।

भारत में मृत्युदंड और इसकी रूपरेखा

- भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जो **अलग-अलग कानूनों के तहत मृत्युदंड को बरकरार रखे हुए है (इन्फोग्राफिक देखें)।**
- **2021** के अंत तक, **488 ऐसे कैदी थे, जिन्हें मृत्युदंड** की सजा सुनाई जा चुकी है। मृत्युदंड को बनाए रखते हुए और अधिक कानूनों को भी प्रस्तावित किया गया है, जैसे-
  - **पंजाब और मध्य प्रदेश** में जहरीली शराब पीने से होने वाली मृत्यु के लिए जहरीली शराब बेचने वाले व्यापारियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।

- 1980 में, **बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य** वाद में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अंतर्निहित उचित **प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों**[25] और इसकी प्रक्रिया के कारण मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो न तो मनमानी है और न ही न्यायाधीशों को अत्यधिक विवेकाधिकार देती है।
    - हालांकि, इसने भविष्य में दंड देने वाले न्यायाधीशों के लिए **आजीवन कारावास** और **मृत्युदंड** के बीच निर्णय करते हुए एक **रूपरेखा** प्रदान की है (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

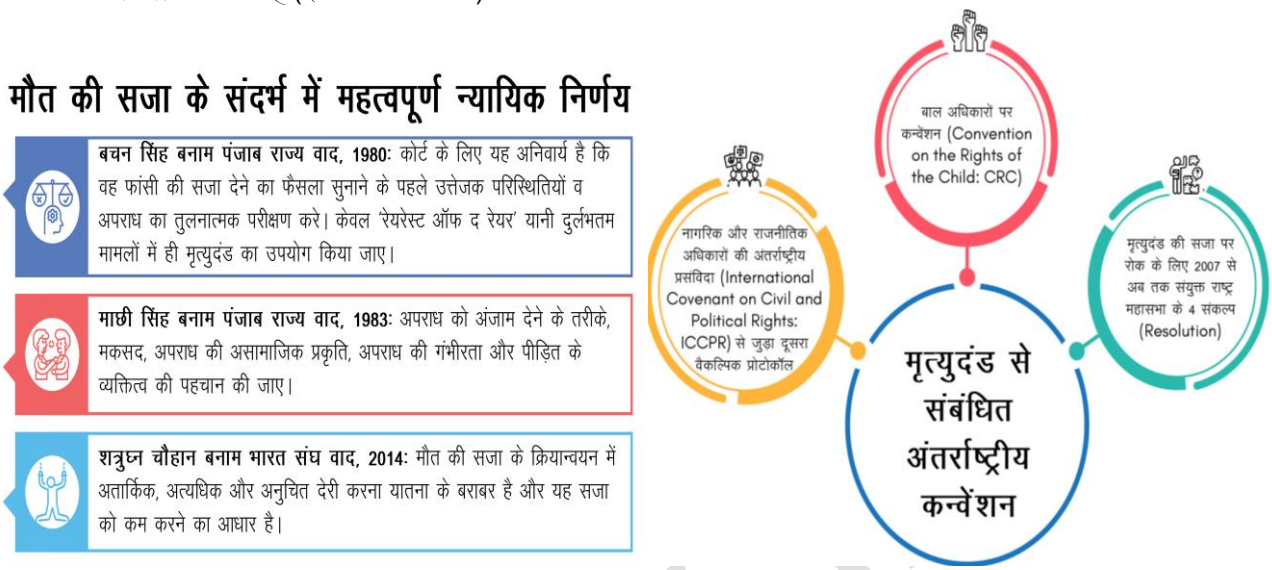

4.6. विधिक सेवा प्राधिकरण {Legal Services Authorities (DLSAs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की पहली बैठक में,** प्रधान मंत्री ने **न्यायपालिका से विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाने** का आग्रह किया।

- **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के बारे में**
    - यह कानून समान विशेषताओं वाले एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए बनाया गया था, ताकि कमजोर वर्गों को नि:शुल्क और बेहतर कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सके।
        - संविधान का **अनुच्छेद 39A** समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है। साथ ही, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा/NALSA) का गठन **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य कानूनी सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी तथा मूल्यांकन करना है। साथ ही, अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियां एवं सिद्धांत निर्धारित करना भी इसका उद्देश्य है।
    - **CJI इसके मुख्य संरक्षक हैं।** NALSA भारत के सुप्रीम कोर्ट में स्थित है।

[25] Reasonable Procedural Safeguards

- अधिनियम के तहत, **राज्य और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण** भी गठित किए गए हैं।

4.7. संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण (Live Streaming of Constitution Bench Hearings)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपनी संविधान पीठ की सुनवाई का सीधा प्रसारण किया।

सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के सीधा प्रसारण के बारे में

- सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण **ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण** का हिस्सा है।
  - ई-कोर्ट परियोजना, **न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग** को बढ़ावा देने की एक पहल है।
- 2018 में **स्वप्निल त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट** मामले में, शीर्ष न्यायालय ने निर्णय दिया था कि **अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण** संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत **'न्याय तक पहुंच के अधिकार'** का हिस्सा है।
  - न्यायालय की कार्यवाही का प्रकाशन संविधान के **अनुच्छेद 129** का एक पहलू है। इस अनुच्छेद के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय (Court of Record) है।

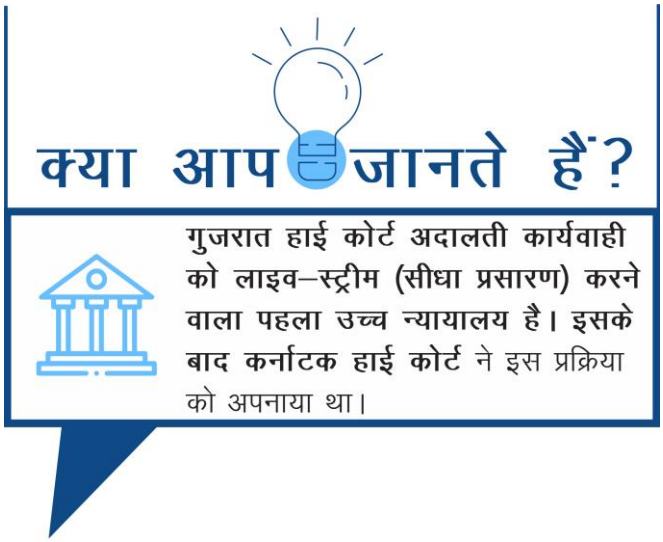

- वर्तमान में, **छः हाई कोर्ट (गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश)** अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण कर रहे हैं।

न्यायपालिका को अधिक कुशल और सुलभ बनाने के लिए अन्य मंच

- **SUPACE (न्यायालय की दक्षता में सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल/ Supreme Court's Portal for Assistance in Court's Efficiency):** यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित उपकरण है, जो प्रासंगिक तथ्यों और कानूनों को एकत्र करता है तथा उन्हें न्यायाधीश को उपलब्ध कराता है।
- **SUVAAS:** यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए AI आधारित उपकरण है।
- **फ़ास्टर प्रणाली (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का तेज़ और सुरक्षित ट्रांसमिशन) {Fast and Secured Transmission of Electronic Records (FASTER) System}:** इसके चलते अदालत से मिली जमानत आदेशों की प्रमाणित हार्ड कॉपी तुरंत जेल में पहुंच जाएगी। अब जमानत मिलने के बाद विचाराधीन कैदियों को सलाखों के पीछे और अतिरिक्त दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
- **फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs): FTSCs का गठन केंद्र प्रायोजित योजना के तहत** किया जाता है। ये बलात्कार के साथ-साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हैं।

ई-कोर्ट परियोजना के तहत शुरू की गई चार नई पहलें

- **वर्चुअल जस्टिस क्लॉक:** यह न्यायालय से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। इन आंकड़ों में दायर किए गए, निपटाए गए और लंबित मामलों के विवरण शामिल हैं।
- **जस्टिस (JustIS) मोबाइल ऐप 2.0:** यह ऐप न्यायिक अधिकारियों के लिए शुरू किया गया है। इसके माध्यम से वे लंबित मामलों और मामलों के निपटान पर निगरानी रख सकेंगे। इससे **न्यायालय और दायर मामलों का प्रभावी प्रबंधन** सुनिश्चित हो सकेगा।
- **डिजिटल कोर्ट:** इस पहल के तहत न्यायाधीशों को **अदालत के रिकॉर्ड डिजिटल रूप में** उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न्यायिक कार्यवाहियों को कागज-रहित बनाने में मदद मिलेगी।
- **S3WaaS वेबसाइट्स:** इसके तहत जिला न्यायपालिका से संबंधित विशेष सूचनाओं और सेवाओं को प्रकाशित करने के लिए **वेबसाइट्स का निर्माण, उन्हें समरूप बनाना, उनका उपयोग और प्रबंधन** शामिल है।

संबंधित तथ्य

बंद कमरे में सुनवाई (In-camera proceedings)

- सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में बंद कमरे में सुनवाई करने से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है।
- खुली अदालती सुनवाई के विपरीत **बंद कमरे में सुनवाई गोपनीय** तरीके से की जाती है।
  - इस प्रकार की सुनवाई, **संवेदनशील मामलों में न्यायालय के विवेक के अनुसार की जाती है।** इसके माध्यम से वाद में शामिल पक्षकारों की **सुरक्षा और निजता सुनिश्चित की जाती है।**
  - ऐसी सुनवाई **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या बंद कमरों में** की जाती है। जनता और प्रेस को इस प्रकार की सुनवाइयों से दूर रखा जाता है।
- ऐसी सुनवाइयां न्यायिक अलगाव, नपुंसकता जैसे वैवाहिक विवादों के मामलों में **पारिवारिक अदालतों** में की जाती हैं।
  - इसके अतिरिक्त, आतंकवादी गतिविधियों के **गवाहों की गवाही के दौरान** न्यायालय के विवेकानुसार उनकी रक्षा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी की जाती हैं।

पूर्ण न्यायालय बैठक (Full Court Meeting)

- भारत के **नए मुख्य न्यायाधीश (CJI)** ने पूर्ण न्यायालय की एक बैठक बुलाई है।
- पूर्ण न्यायालय की बैठक से तात्पर्य ऐसी बैठक से है, जिसमें **न्यायालय के सभी न्यायाधीश भाग लेते हैं।**
- हालांकि, इसके आयोजन को लेकर **कोई लिखित नियम नहीं हैं।** न्यायालयी परंपरा के अनुसार, **न्यायपालिका के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए** भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पूर्ण-न्यायालय की बैठकें बुलाई जाती हैं।
  - इस तरह की बैठकों का उपयोग **देश की कानूनी व्यवस्था के समक्ष विद्यमान समस्याओं** से निपटने और न्यायालय के प्रशासनिक व्यवहार में कोई भी संशोधन करने के लिए **एक साझा समाधान पर पहुंचने हेतु** किया जाता है।

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

उच्चतर न्यायपालिका में भाषा (Language in Higher Judiciary)

- **संविधान के अनुच्छेद 348(1)** के अनुसार, जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक सुप्रीम कोर्ट और प्रत्येक हाई कोर्ट में **सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा** में संपन्न होंगी।
  - संसद द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया है।
- **अनुच्छेद 348(2)** के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के हाई कोर्ट की कार्यवाहियों के लिए हिंदी या उस राज्य के शासन संबंधी उद्देश्यों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। हालांकि, हाई कोर्ट द्वारा पारित निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी भाषा में होंगे।

4.8. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

टेली-लॉ सेवा	• **न्याय विभाग और नालसा (NALSA) ने कानूनी सेवाओं के एकीकृत वितरण** पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
	  ○ इस समझौते के अनुसार, नालसा प्रत्येक जिले में केवल **टेली-लॉ कार्यक्रम के लिए 700 वकीलों की सेवाएं** प्रदान करेगा।
	  ○ पैनल में शामिल किए गए वकील **रेफरल वकीलों के रूप में** भी काम करेंगे। ये मुकदमेबाजी से पहले के चरण में **विवाद से बचने में सहायता करेंगे।** साथ ही, ये **विवाद समाधान तंत्र को भी मजबूत** करेंगे।
	• **टेली-लॉ पहल** 2017 में विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत **न्याय विभाग** ने शुरू की थी। यह पहल एक **विश्वसनीय और कुशल ई-इंटरफेस प्रदान करती है।** यह **मुकदमेबाजी से पहले विवाद समाधान** के उपाय भी सुझाती है।
	• टेली-लॉ पहल कानूनी मदद मांगने वाले **हाशिये पर रहे लोगों की कानूनी सहायता** को अधिक महत्व देती है। यह 1 लाख ग्राम पंचायतों में **कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)** में उपलब्ध **टेली/ वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग** अवसंरचना का प्रयोग करती है। इन CSCs के माध्यम से, यह पहल पैनल में शामिल वकीलों द्वारा लोगों को कानूनी सलाह उपलब्ध कराती है।

ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल	• यह अलग-अलग प्रकार के लाइसेंस, अनुमतियों, पंजीकरण आदि के लिए **ब्रॉडकास्टर्स के आवेदनों** की **त्वरित फाइलिंग और प्रॉसेसिंग** हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल सॉल्यूशन है। ○ इसे **सूचना और प्रसारण मंत्रालय** द्वारा शुरू किया गया है। • यह एक सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल वेब पोर्टल है। यह **ब्रॉडकास्टर्स** को **एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करता है।** साथ ही, यह संबंधित पारितंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है। • इससे **आवेदनों से संबंधित संपूर्ण कार्यवाहियों को पूरा करने में लगने वाले समय में कमी आएगी।** साथ ही, यह आवेदकों को अपने आवेदनों से संबंधित प्रगति को ट्रैक करने में भी सहायता प्रदान करेगा।

शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता (Bodily Autonomy and Integrity)	• हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता की रक्षा भी सुनिश्चित की गई है।
	• न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार लोक स्वास्थ्य हितों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। हालांकि, ये प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुट्टास्वामी निर्णय में निर्धारित तीन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले होने चाहिए। ये आवश्यकताएं हैं:
	  ○ वैधानिकता, वैध आवश्यकता और आनुपातिकता।
	• शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता बच्चों सहित प्रत्येक मनुष्य का अपने शरीर की स्वायत्तता और आत्मनिर्णय का अधिकार है।
	  ○ **सहमति के बिना शरीर में अनुचित हस्तक्षेप** इसका उल्लंघन कहलाता है।

सीलबंद आवरण न्यायशास्त्र (Sealed cover jurisprudence)	• यह सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक प्रथा है। इसके तहत **सरकारी एजेंसियों से सीलबंद लिफाफों में सूचना मांगी या स्वीकार की जाती है। इस सूचना तक केवल न्यायाधीशों की ही पहुंच** हो सकती हैं। ○ कोई भी विशेष कानून इस सीलबंद आवरण के सिद्धांत को परिभाषित नहीं करता है। • **आवश्यकता क्यों?** ○ लैंगिक उत्पीड़न या बाल शोषण के पीड़ितों की गरिमा की रक्षा करना। सुरक्षा के अभाव में उनका भावी जीवन प्रभावित हो सकता है। ○ यदि मामला शासकीय गुप्त बात अधिनियम से संबंधित है। ○ वर्तमान में चल रही किसी जांच को सुरक्षित करने हेतु।
ट्रांजिट अग्रिम जमानत (Transit Anticipatory Bail: TAB)	• बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत (TAB) के मुद्दे पर सुनवाई के लिए इस मामले को अपनी बड़ी पीठ को भेजा है। • TAB की मांग सामान्यतः तब की जाती है, जब किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी ऐसे राज्य में मामला दर्ज किया गया है या होने की संभावना है, जो उस राज्य से अलग है, जिसमें उसे गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। ○ ट्रांजिट जमानत का उद्देश्य व्यक्ति को जमानत प्रदान करना है। इससे वह उस राज्य में उपयुक्त अदालत से संपर्क कर सकेगा, जहां अग्रिम जमानत के लिए मामला दायर किया गया है। ○ TAB को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत परिभाषित या उल्लिखित नहीं किया गया है। ○ CrPC की धारा 438, गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत प्रदान करने का प्रावधान करती है।
संविधान पीठ (Constitution Bench)	• हाल ही में, CJI ने आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में **कम-से-कम एक संविधान पीठ पूरे वर्ष** कार्य करेगी। ○ वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की **संविधान पीठ के समक्ष कुल 492 मामले लंबित** हैं। इनमें **कानून और संविधान की व्याख्याओं के प्रश्नों से जुड़े 53 मुख्य मामले** भी शामिल हैं। • संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ होती है। इसमें **5 या अधिक न्यायाधीश** किसी मामले की सुनवाई करते हैं। ○ वर्तमान में इनका **गठन** आवश्यकता पड़ने पर **भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अस्थायी आधार** पर किया जाता है। • संविधान पीठों का गठन केवल तभी किया जाता है, जब **निम्नलिखित में से एक या अधिक परिस्थितियां मौजूद हों:** ○ **संविधान का अनुच्छेद 143:** जब किसी मामले में **संविधान की व्याख्या से संबंधित** कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो। ○ **अनुच्छेद 145(3):** जब **भारत का राष्ट्रपति** अनुच्छेद 143 के तहत किसी तथ्य या कानून के प्रश्न पर **सुप्रीम कोर्ट से राय मांगे।** ○ जब सुप्रीम कोर्ट की दो या तीन न्यायाधीशों वाली पीठ **कानून के समान प्रश्न पर परस्पर विरोधी निर्णय देती हैं,** तब एक बड़ी पीठ द्वारा **अंतिम निर्णय देना आवश्यक** हो जाता है। ○ जब तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए **किसी निर्णय पर** बाद में तीन-न्यायाधीशों की **एक अन्य पीठ संदेह** व्यक्त करती है, तब वह पहली पीठ के **फैसले पर पुनर्विचार के लिए मामले को एक बड़ी पीठ** को भेजने का निर्णय लेती है।
उपचारात्मक याचिका (Curative Petition)	• केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग करने वाली **उपचारात्मक याचिका पर विचार करेगी।** • उपचारात्मक याचिका उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध **अंतिम संवैधानिक उपाय है, जिसकी पुनर्विचार**

© Vision IAS

	याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। ○ 'उपचारात्मक याचिका' का **संविधान में कोई उल्लेख नहीं है।** यह अवधारण सुप्रीम कोर्ट ने **'रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य'** वाद में दी थी। • **'पुनर्विचार याचिका'** का उल्लेख संविधान के **अनुच्छेद 137** के तहत किया गया है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को अपने दिए गए **किसी भी फैसले या आदेश की समीक्षा** करने का अधिकार देता है, ताकि **'न्याय की विफलता'** को रोका जा सके।
खंडित निर्णय (Split Verdict)	• सुप्रीम कोर्ट ने **कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में खंडित निर्णय** दिया है। • जब किसी मामले में **पीठ सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से निर्णय नहीं ले पाती है, तो उस स्थिति में खंडित निर्णय** दिया जाता है। ○ आम तौर पर, महत्वपूर्ण मामलों के लिए न्यायाधीशों की विषम संख्या (तीन, पांच, सात आदि) में पीठों का गठन होता है। ○ जिस मामले में खंडित निर्णय दिया जाता है, उस मामले की सुनवाई **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा गठित एक बड़ी पीठ करती है।**
पूर्वन्याय या प्रांन्याय (Res Judicata) का सिद्धांत	• **सुप्रीम कोर्ट** ने माना है कि **'पूर्वन्याय का सिद्धांत' न केवल अलग-अलग पश्चातवर्ती कार्यवाहियों में बल्कि उन्हीं कार्यवाहियों के बाद के चरण में भी लागू** हो सकता है। • पूर्वन्याय से तात्पर्य किसी निर्णीत (Judged) मामले से है। इस सिद्धांत के अनुसार, एक बार गुण-दोष के आधार पर निर्णय दिए जाने के बाद 'कार्रवाई का कारण' (Cause of Action) के आधार पर फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ○ यह **मुकदमेबाजी को अंतिम रूप** देता है। साथ ही, **पक्षकारों को एक ही मामले के कारण दो बार परेशान होने से बचाता है।** ○ इसे **सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के तहत परिभाषित** किया गया है।
तत्व और सार का सिद्धांत (Doctrine of pith and substance)	• **तत्व का अर्थ है 'यथार्थ प्रकृति'** या किसी वस्तु की 'वास्तविक प्रकृति' और **सार का अर्थ है 'किसी चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण या आवश्यक भाग'।** • इसमें कहा गया है कि जहां यह निर्धारित करने का प्रश्न उठता है कि **क्या कोई विशेष कानून किसी विशेष विषय** (एक सूची या किसी अन्य में उल्लिखित) **से संबंधित है, तो न्यायालय मामले के सार को देखता है।** ○ इस प्रकार, यदि सार संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के कानून द्वारा इसका आकस्मिक अतिक्रमण इसे अमान्य नहीं बनाता है। • सुप्रीम कोर्ट ने **कलकत्ता गैस कंपनी वाद (1962), इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य वाद (1990), जिलुभाई नानभाई खाचर वाद (1994)** आदि जैसे विभिन्न वादों में तत्व और सार के सिद्धांत का उल्लेख किया है। • कोई विधि जिस सूची के अंतर्गत आती है, उस सूची का निर्धारण करने के उद्देश्य से उस **विधि की वास्तविक प्रकृति एवं चरित्र को अभिनिश्चित किया जाना आवश्यक है।**
छद्म कानून का सिद्धांत (Doctrine of Colourable Legislation)	• यह सिद्धांत इस कहावत पर आधारित है कि **जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, वह परोक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है।** • यह इस धारणा को दर्शाता है कि **कानून का उपयोग उस शक्ति के 'छद्मवेश' या उसकी 'आड़' में नहीं किया जा सकता,** जिसे एक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया था। यदि, इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है तो यह अन्यथा मान्य नहीं होगा। • इसे **शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर निर्मित किया गया है।** • यह भारतीय कानूनों के **किसी भी गैर-न्यायोचित या कपटपूर्ण उपयोग** से बचने हेतु संवैधानिक

	प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्मित एवं लागू किया गया एक उपकरण है। ○ **"बालाजी बनाम मैसूर राज्य" वाद** में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 68% सीटें आरक्षित करने का आदेश अनुच्छेद 15(4) के तहत प्रावधान की आड़ में अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
भारत का विधि आयोग (Law Commission of India: LCI)	• केंद्र ने **न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी** की अध्यक्षता में भारत के **22वें विधि आयोग का गठन किया है।** • **1955 में पहली बार विधि आयोग का गठन** किया गया था। तब से 21 विधि आयोग नियुक्त किए गए हैं। इनमें से प्रत्येक का **तीन वर्ष का कार्यकाल रहा है।** 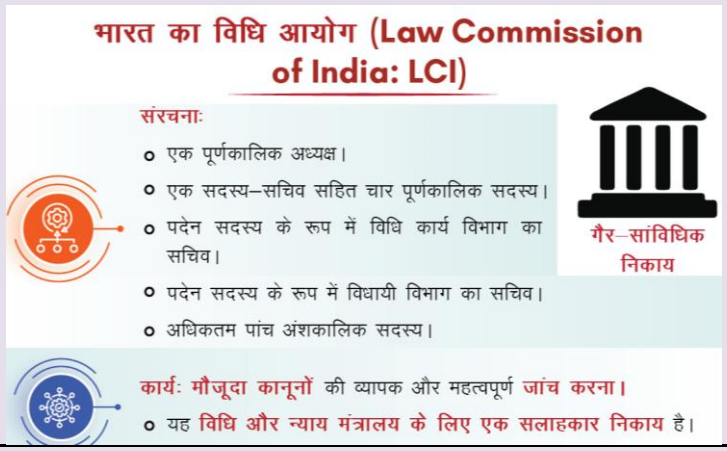
ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalayas: GNs)	• सुप्रीम कोर्ट ने **2019 की एक याचिका** पर सभी हाई कोर्ट से जवाब मांगा है। इस याचिका में **केंद्र और सभी राज्यों को ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए निर्देश देने की मांग** की गई है। ○ दिसंबर 2021 तक **15 राज्यों ने 476 ग्राम न्यायालय** अधिसूचित किए थे। वर्तमान में 10 राज्यों में 256 ग्राम न्यायालय क्रियाशील हैं। 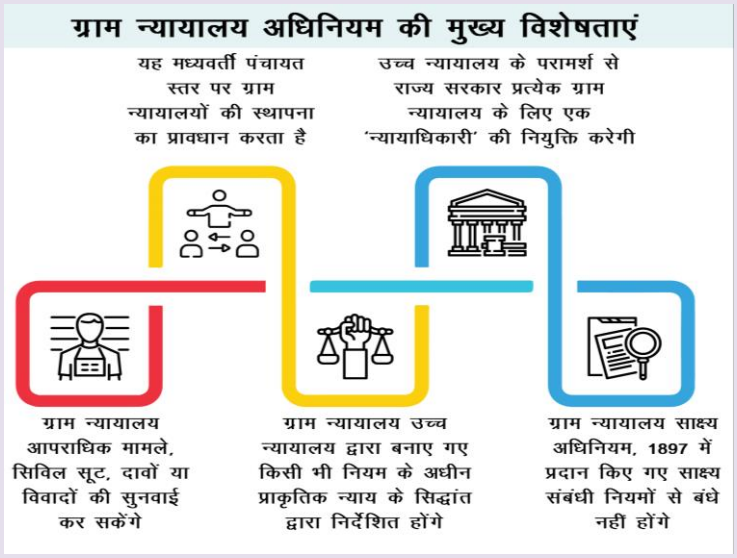 • **ग्राम न्यायालयों के बारे में:** ○ **विधि आयोग** ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में **ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव** दिया था। ○ 2008 में संसद ने **ग्राम न्यायालय अधिनियम** पारित किया था।
नार्को टेस्ट (Narco Test)	• **नार्को या नार्को एनालिसिस टेस्ट में, सोडियम पेंटोथल नामक दवा** को आरोपी के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। यह उसे एक कृत्रिम निद्रावस्था या अचेतन अवस्था में ले जाती है। ○ **सोडियम पेंटोथल या सोडियम थियोपेंटल** एक जल्द असर करने वाली तथा कम अवधि की एनेस्थेटिक (चेतनाशून्य करने वाली औषधि) है। यह दवाओं के **बार्बीट्युरेट वर्ग** से संबंधित है। यह एनेस्थेटिक अवसादक औषधि के रूप में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है। • सुप्रीम कोर्ट **(सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य वाद)** के अनुसार, किसी भी व्यक्ति पर **नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट** उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। साथ ही, केवल इन परीक्षणों के नतीजों को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

 © Vision IAS

राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS)	• **हाल ही में, गृह मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली' (NAFIS) की शुरुआत की है।** • NAFIS **अपराधियों की उंगलियों के निशान की खोज का एक देशव्यापी डाटाबेस है।** ○ इसे **'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' (NCRB)** ने विकसित किया है। यह प्रणाली मामलों के त्वरित और आसान निपटान में मदद करेगी। ○ इसके तहत, किसी अपराध के लिये गिरफ्तार किए गए प्रत्येक अपराधी को **एक 10-अंकीय विशेष 'नेशनल फ़िंगरप्रिंट नंबर' (NFN)** प्रदान किया जाएगा। ○ किसी अपराधी के लिए इस विशेष आई.डी. का उपयोग जीवन पर्यन्त किया जा सकता है। इसमें विभिन्न FIR के तहत दर्ज भिन्न-भिन्न अपराधों को एक ही NFN से जोड़ा जाएगा। ○ अप्रैल, 2022 में **मध्य प्रदेश** NAFIS के माध्यम से एक मृत व्यक्ति की पहचान करने वाला **देश का पहला राज्य बना था।**
राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (National Company Law Tribunal: NCLT)	• सरकार ने NCLT में 15 न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की है। उन्हें **पांच वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो)** के लिए नियुक्त किया गया है। • NCLT को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 2016 में स्थापित किया गया था। यह **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) तथा कंपनी कानून से संबंधित मामलों पर निर्णय** देता है। • **नई दिल्ली में इसकी मुख्य पीठ** स्थित है। इसकी कुल **28 पीठें** हैं।
क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (Cri-MAC)	• **कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने Cri-MAC पर एक भी अलर्ट अपलोड नहीं किया है।** • Cri-MAC को 2020 में **गृह मंत्रालय** ने लॉन्च किया था। यह अलग-अलग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ **अपराध और अपराधियों के बारे में 24x7 जानकारी साझा** करता है। साथ ही, **उनके बीच सूचना के निर्बाध प्रवाह को भी सुनिश्चित** करता है। • इसे **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** संचालित करता है। इसका उद्देश्य देश भर में **अपराध की घटनाओं का शीघ्र पता लगाना और उनकी रोकथाम** में मदद करना है।

5. चुनाव (Elections)

5.1. दल-बदल रोधी कानून (Anti-Defection Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट ने निर्वाचित विधायकों के **दल बदलने से जुड़े कानूनी पहलू पर वाद-विवाद** को फिर से शुरु कर दिया है।

दल-बदल क्या है?

- दल-बदल को किसी राजनीतिक दल के **एक सदस्य द्वारा दूसरे दल में जाने की प्रथा के रूप में** परिभाषित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर हॉर्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है।
  - उदाहरण के लिए- लोक सभा में, यदि पार्टी ए के सांसद पार्टी बी में शामिल हो जाते हैं, तो यह कहा जाता है कि उन्होंने दल-बदल किया है और इस प्रकार उनके विरुद्ध दल-बदल रोधी कार्यवाही के तहत कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय दल का दर्जा

- किसी राजनीतिक दल को **एक राष्ट्रीय दल** तब माना जाएगा यदि:
  - उस दल को **चार या इससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त** है; अथवा
  - दल के उम्मीदवारों को **पिछले लोक सभा या विधान सभा चुनावों में किन्हीं चार या इससे अधिक राज्यों में पड़े कुल वैध मतों का** कम-से-कम 6% प्राप्त हुआ हो। इसके अलावा, उसने **पिछले लोक सभा चुनावों में कम-से-कम चार सीटें जीती हों;** या
  - दल ने **कम-से-कम तीन राज्यों में लोक सभा की कुल सीटों में से कम-से-कम 2% सीटें जीती हों।**
- वर्तमान में, **भारतीय चुनाव आयोग ने आठ राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता दी है।**

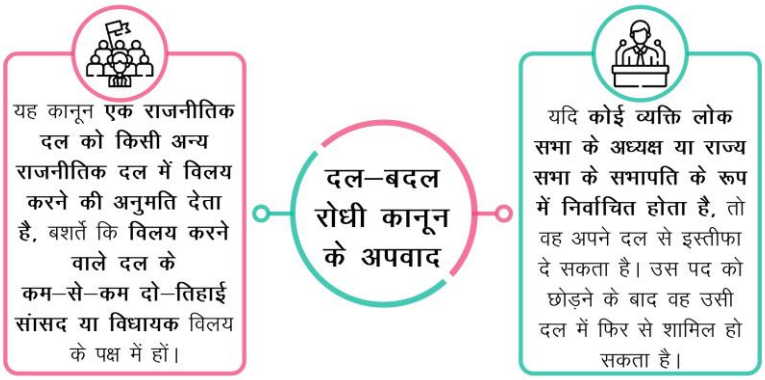

दल-बदल विरोधी कानून के बारे में

- दल-बदल रोधी कानून उन विधायकों को **अयोग्य ठहराने का प्रावधान** करता है, जो किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुने जाने के बाद, **"स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ देते हैं"।**
  - इसे **52वें संशोधन अधिनियम, 1985** के माध्यम से **10वीं अनुसूची** में शामिल किया गया था।
  - दल-बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का **निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी** करता है।
  - सदन के पीठासीन अधिकारी को **दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को प्रभावी करने** के लिए नियम बनाने का अधिकार है।
- **अयोग्यता के आधार:** किसी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित आधार पर समाप्त हो जाती है-
  - यदि कोई सदस्य सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी **निर्देश के विपरीत** और दल की पूर्व **अनुमति प्राप्त किए बिना** मतदान करता है या **मतदान से अनुपस्थित** रहता है और इस तरह के कृत्य को उस दल द्वारा **15 दिनों के भीतर माफ** नहीं किया जाता है।
  - यदि **मनोनीत सदस्य** 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।
  - यदि **निर्दलीय सदस्य** किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

5.2. एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर एक व्यावहारिक रोडमैप तथा फ्रेमवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी विधि आयोग को सौंपी गई है।

© Vision IAS

एक साथ चुनाव के बारे में

- एक साथ चुनाव कराने का अर्थ **भारतीय चुनाव चक्र को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न हो जाएं।** इस व्यवस्था के तहत एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता एक ही दिन लोक सभा और राज्य विधान सभा दोनों के लिए मतदान करते हैं।
  - एक साथ चुनाव कराने का तात्पर्य **यह नहीं है कि देश भर में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं** के लिए मतदान एक ही दिन होगा।
  - इसे चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जा सकता है। साथ ही, एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता राज्य विधान सभा तथा लोक सभा दोनों के लिए एक ही दिन मतदान कर सकते हैं।

- **एक साथ चुनाव की व्यवस्था 1967 तक जारी थी।** हालांकि, 1968 और 1969 में कुछ विधान सभाओं और 1970 में लोक सभा के विघटन के बाद इस व्यवस्था का क्रम टूट गया। इस प्रकार राज्य विधान सभाओं और लोक सभा के चुनाव अलग-अलग आयोजित किए जाने लगे।
- बाद में, **1983 में निर्वाचन आयोग** द्वारा 'एक साथ चुनाव' (Simultaneous Elections: SE) का विचार **प्रस्तावित किया गया था।**
  - यह **विधि आयोग और नीति आयोग द्वारा भी प्रस्तावित था तथा दिनेश गोस्वामी समिति** ने भी इसकी सिफारिश की थी।

5.3. परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जम्मू एवं कश्मीर परिसीमन का कार्य संपन्न हुआ है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च 2020 को किया गया था। इसे **जम्मू और कश्मीर में संसदीय एवं विधान सभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने** का कार्य सौंपा गया था।
  - आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश **जम्मू और कश्मीर में विधान सभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव** दिया है।
  - इसके अलावा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में 24 सीटें हैं, जो रिक्त रहती हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन

- RPA, 1950 की धारा 8A के तहत **राष्ट्रपति चार पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन का कार्य करने का आदेश** दे सकता है। ये चार राज्य हैं- **अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड।**
  - उपर्युक्त राज्यों में पिछले 51 वर्षों से परिसीमन कार्य नहीं किए गए हैं।
  - 2002 से 2008 के बीच संपन्न परिसीमन कार्य में पूर्वोत्तर के **चार राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड) को शामिल नहीं** किया गया था। 2001 की जनगणना के इस्तेमाल की आशंका के कारण इन राज्यों में परिसीमन कार्य नहीं किया गया था।

- साथ ही, **2020 का राष्ट्रपति का आदेश**, जिसमें उपर्युक्त 4 राज्यों में भी परिसीमन करने की अनुमति दी गई थी, केवल जम्मू और कश्मीर तक ही सीमित था।

संबंधित तथ्य

जम्मू और कश्मीर में मतदाता सूची {Jammu and Kashmir (J&K) Electoral Roll}

- जम्मू-कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) ने एक घोषणा की है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति "**जो जम्मू-कश्मीर में सामान्य रूप से रह रहा है**", वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) के प्रावधानों के अनुसार **जम्मू-कश्मीर में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध** हो सकता है।
  - मतदाता सूची को **अंतिम बार 2019 में जम्मू-कश्मीर RPA, 1957** के तहत संशोधित किया गया था। **अनुच्छेद 370** के निरस्त होने के बाद यह कानून **समाप्त हो गया है।**
  - **जम्मू-कश्मीर RPA, 1957** के तहत केवल वहां के **'स्थायी निवासी'** ही मतदाता के रूप में नाम दर्ज करवाने के लिए पात्र थे।
  - अब शेष भारत की तरह **जम्मू-कश्मीर में भी चुनाव, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत** आयोजित होंगे।
  - अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद, अब **विधान सभा और संसदीय चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची** होगी।
- सामान्य रूप से निवासी का निर्धारण किसी **निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा** किया जाता है।
  - ऐसा व्यक्ति देश के किसी अन्य भाग से हो सकता है, लेकिन **वह कार्य, व्यवसाय या अन्य कारणों से जम्मू-कश्मीर में रह रहा** होता है। परन्तु, उस व्यक्ति का नाम उसके **मूल निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से हटा दिया गया होना चाहिए।**
- जब अनुच्छेद 370 लागू था, तो जम्मू-कश्मीर में **'सामान्य रूप से रहने वाले' लोग केवल संसदीय चुनावों में मतदान करने के पात्र** थे। इन्हें **अस्थायी निवासी (NPR)** के रूप में वर्गीकृत किया जाता था।
  - NPR में 1947 से जम्मू-कश्मीर में रह रहे **पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी** भी शामिल हैं।
- **जम्मू और कश्मीर में मतदाता सूची का संशोधन**
  - जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग ने **जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019** के तहत **सात** नए विधान सभा क्षेत्र **(जम्मू संभाग के लिए छह और कश्मीर के लिए एक)** बनाने की सिफारिश की थी। इसी के आधार पर **भारत का निर्वाचन आयोग जम्मू-कश्मीर में नई मतदाता सूची तैयार कर रहा है।**
  - जम्मू-कश्मीर में चुनाव की किसी भी घोषणा के लिए आधार तैयार करने हेतु नई मतदाता सूची आवश्यक है। यहां राज्य विधान सभा के अंतिम चुनाव 2014 में हुए थे।

5.4. चुनावी बॉण्ड (Electoral Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों से पता चला है कि 2018 के बाद से राजनीतिक दलों ने **चुनावी बॉण्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह** किया है।

चुनावी बॉण्ड के बारे में

- केंद्रीय बजट 2017-18 में **ब्याज मुक्त लिखतों (Instruments) के रूप में चुनावी बॉण्ड की घोषणा** की गई थी। इसका उद्देश्य देश में **राजनीतिक चंदे की व्यवस्था को साफ़-सुथरा** बनाना है।
  - **चुनावी बॉण्ड शुरू करने के पीछे निम्नलिखित तर्क थे:**
    - राजनीतिक चंदे में नकदी के उपयोग को सीमित करना,
    - फर्जी/ धोखाधड़ी करने वाले राजनीतिक दलों को बाहर करना,
    - दानदाताओं को राजनीतिक उत्पीड़न से बचाना,
    - काले धन पर अंकुश लगाना आदि।

5.5. निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 {Election Laws (Amendment) ACT, 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा **निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021** को मंजूरी प्रदान की गई है।

इस अधिनियम के बारे में

- इस अधिनियम में कुछ चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950**[26] और **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951**[27] में संशोधन करने का प्रावधान है।

निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **मतदाता सूची के डेटा को आधार संख्या से जोड़ना (RPA, 1950 की धारा 23 में संशोधन द्वारा):**
  - निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी **किसी व्यक्ति** से कह सकता है कि **अपनी पहचान साबित करने के लिए वह अपनी आधार संख्या उपलब्ध कराए।**
  - यदि कोई व्यक्ति किन्हीं निर्धारित कारणों से अपनी **आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ** है तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने से **वंचित नहीं किया जाएगा** या उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा।

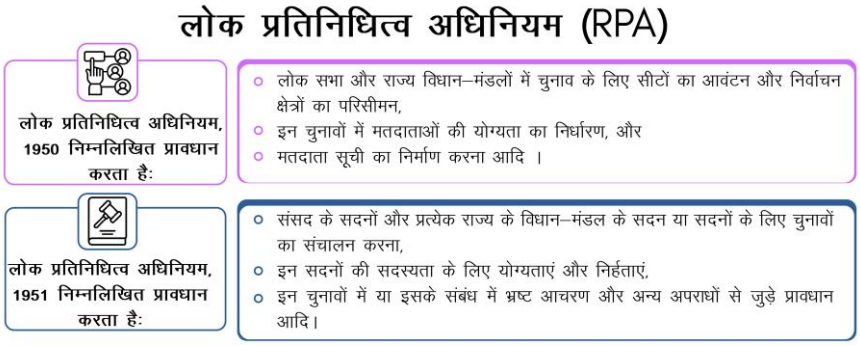

  - ऐसे व्यक्तियों को **केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित** वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की **अनुमति दी जा सकती है।**
- यह अधिनियम एक कैलेंडर वर्ष में **चार पात्रता तिथियां** प्रदान करने के लिए इसमें संशोधन करता है, जो **1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर होंगी।**
- अधिनियम के द्वारा RPA, 1950 और 1951 में **'पत्नी (Wife)'** शब्द की जगह **'पति/पत्नी (Spouse)'** शब्द को शामिल किया गया है।
- यह अधिनियम उन **उद्देश्यों का विस्तार** करता है जिनके लिए ऐसे परिसरों की मांग की जा सकती है।
  - इनमें **मतगणना, वोटिंग मशीन और चुनाव संबंधी सामग्री रखने** और सुरक्षा बलों एवं मतदान कर्मियों के **रहने के लिए** परिसर का उपयोग शामिल हैं।
  - 1951 के अधिनियम में राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गई है कि वे ऐसे परिसरों की मांग कर सकती हैं, जिनका **मतदान केंद्र के रूप में या चुनाव होने के बाद मत पेटी रखने हेतु उपयोग में लाने या लाए जाने की संभावना है।**

संबंधित तथ्य

रिमोट वोटिंग

- रिमोट वोटिंग के तहत **मतदाताओं को उनके पंजीकृत निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारित मतदान केंद्रों की बजाय अन्य स्थानों से मतदान करने की अनुमति** होती है। ये स्थान देश के भीतर या विदेश में भी हो सकते हैं।
  - NRIs को 2011 में मतदान का अधिकार दिया गया था। यह अधिकार **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) 1950** में संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था।
  - हालांकि, **अधिनियम की धारा 20A** के अनुसार विदेशों में रह रहे भारतीय मतदाताओं को अपना वोट डालने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में **शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य** है।

[26] Representation of the People Act (RPA), 1950

[27] Representation of the People Act, 1951

मतदान की अन्य प्रणालियां

- **प्रॉक्सी वोटिंग:** इसे **2003 में शुरू किया** गया था। इसके तहत एक पंजीकृत मतदाता अपना मताधिकार अपने किसी प्रतिनिधि को सौंप सकता है।
- केवल **"वर्गीकृत सेवा मतदाता"** को ही इसकी अनुमति है। इनमें **सशस्त्र बल, सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), जनरल इंजीनियरिंग रिज़र्व फोर्स और सीमा सड़क संगठन** के सदस्य शामिल हैं।
- **इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलट सिस्टम (ETPBS):**
  - इसमें मतदान-पत्र को **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवा मतदाताओं को प्रेषित** किया जाता है।
  - इनमें **सशस्त्र बलों के सदस्य, पुलिस (राज्य के बाहर सेवारत), भारत के बाहर नियुक्त सरकारी कर्मचारी और उनके/उनकी पति/पत्नी; निवारक निरोध के तहत रखे गए लोग; विशेष मतदाता जैसे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति** आदि शामिल हैं।

अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए पोस्टल बैलेट

- हाल ही में, मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी है कि **अनिवासी भारतीयों के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS)** सुविधा का विस्तार करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
- वर्तमान में चुनाव आयोग ने **NRIs को विदेशी मतदाताओं के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति** प्रदान की है। परन्तु इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं-
  - उनके पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं होनी चाहिए, तथा
  - उन्हें मतदान के दिन व्यक्तिगत रूप से वोट डालने के लिए अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचना होगा।

5.6. निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति (Appointments of Election Commissioners)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **निर्वाचन आयुक्त** की नियुक्ति के लिए एक **चयन समिति**[28] के गठन के संबंध में लोक सभा में एक निजी विधेयक पेश किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह विधेयक **निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को अलग करने** का प्रयास करता है। साथ ही, यह **सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी अन्य नियुक्ति के लिए निर्वाचन आयुक्तों को अपात्र बनाने का प्रावधान** करता है।
- इस विधेयक में **मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC)**[29] सहित **निर्वाचन आयुक्तों (ECs) को प्रधान मंत्री के नेतृत्व वाली समिति** द्वारा नियुक्त करने की मांग की गई है। (इन्फोग्राफिक देखें)

[28] Selection Committee

[29] Chief Election Commissioner

© Vision IAS

- यह विधेयक **CEC और ECs** के **कार्यकाल** को उनकी **नियुक्ति की तारीख से 6 वर्ष** तक करने का प्रावधान करता है। साथ ही, इसमें **प्रादेशिक/क्षेत्रीय आयुक्तों (Regional Commissioners)** के **कार्यकाल को 3 वर्ष** की निश्चित अवधि तक करने का भी प्रावधान है।

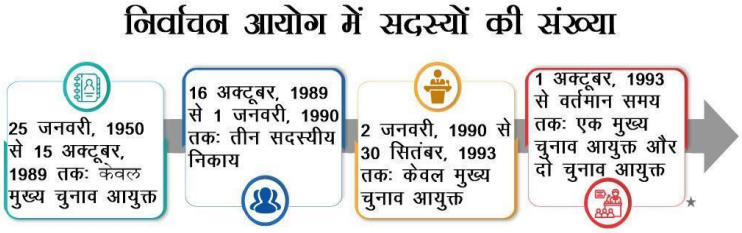

निजी सदस्य विधेयक (Private Member Bill) के बारे में

- मंत्रियों के अलावा **किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया गया कोई विधेयक, निजी सदस्य विधेयक** कहलाता है।
- इसे **केवल शुक्रवार को पेश किया जाता है** और इसी दिन इस पर चर्चा की जा सकती है।
- **राज्य सभा के मामले में सभापति** और **लोक सभा के मामले में अध्यक्ष** द्वारा **इसकी स्वीकार्यता तय की जाती है।**
- 1970 के बाद से अब तक कोई भी निजी विधेयक अधिनियम नहीं बन पाया है।

5.7. सामाजिक लोकतंत्र (Social Democracy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्वीडन में हुए चुनावों के कारण **सामाजिक लोकतंत्र का नॉर्डिक (स्कैंडिनेवियाई) मॉडल** चर्चा में है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सामाजिक लोकतंत्र का नॉर्डिक मॉडल, नॉर्डिक देशों (स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड) द्वारा अपनाई गई **सामाजिक कल्याण और आर्थिक प्रणालियों का संयोजन है।**
- इस मॉडल ने **नॉर्डिक देशों को महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने में मदद की है,** जैसे-
  - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उच्च स्तर और वैश्वीकरण में भागीदारी,
  - आर्थिक प्रगति,
  - असमानता का निम्न स्तर,
  - उच्च जीवन स्तर,
  - विश्व में सबसे अधिक श्रम भागीदारी दर।

सामाजिक लोकतांत्रिक प्रणाली की विशेषताओं में शामिल हैं:

- **प्रतिनिधि और सहभागी लोकतांत्रिक संस्थानों पर निर्भरता,** जहां शक्तियों का पृथक्करण सुनिश्चित किया जाता है।
- यह सार्वजनिक रूप से प्रदान की जाने वाली सामाजिक सेवाओं और बच्चों की देखभाल, शिक्षा एवं अनुसंधान में निवेश पर जोर देने वाली **व्यापक सामाजिक कल्याण योजना है।** यह प्रगतिशील कराधान द्वारा वित्त-पोषित प्रणाली है।
- सक्रिय श्रमिक संघों और नियोक्ता संघों के साथ **मजबूत श्रम बाजार संस्थानों** की उपस्थिति।
  - इससे शासन व नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका के अलावा **महत्वपूर्ण सामूहिक सौदेबाजी, वेतन पर बातचीत और समन्वय** में मदद मिलती है।

5.8. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

एशियाई निर्वाचन प्राधिकरणों का संघ (Association of Asian Election Authorities: AAEA)	• भारत को 2022 से 2024 तक के लिए सर्वसम्मति से AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। • AAEA की स्थापना 1998 में की गई थी। इसका उद्देश्य एशियाई क्षेत्र में एक गैर-पक्षपातपूर्ण मंच प्रदान करना है। यह मंच सुशासन और लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र और पारदर्शी निर्वाचनों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। • भारतीय निर्वाचन आयोग, AAEA के निर्वाचन प्रबंधन निकाय (EMB) का संस्थापक सदस्य है।
पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल {Registered Unrecognised Political Parties (RUPPs)}	• भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से 111 'अस्तित्वहीन' दलों को हटा दिया है ○ इन 111 **पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs)** का **कोई अस्तित्व नहीं** था। इन्हें **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन** करते हुए भी पाया गया था। • उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग के पास किसी राजनीतिक दल का **पंजीकरण समाप्त करने की शक्ति नहीं** है। इस संबंध में **चुनाव सुधार** का प्रस्ताव अब भी सरकार के पास **लंबित** है। ○ हालांकि, यह राजनीतिक दलों की **वित्तीय अनियमितताओं** के मुद्दे को उठा सकता है। साथ ही, यह राजनीतिक दलों से निम्नलिखित नियमों का **अनिवार्य रूप से अनुपालन** करने की मांग कर सकता है: ▪ चंदा प्राप्ति के स्रोत और इसके तरीके, ▪ कंपनियों द्वारा डिस्क्लोजर, ▪ बैंक खातों का विवरण आदि। 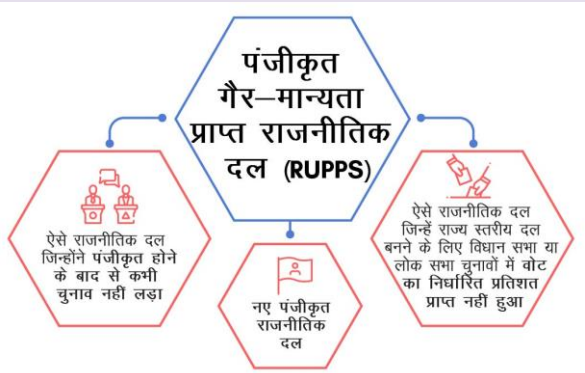
निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 {Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968}	• यदि किसी **मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दल में दो प्रतिद्वंद्वी गुट बनते हैं,** तो उस दल का प्रतिनिधित्व किस गुट को दिया जाएगा, इस संबंध में **निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968** ECI को निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करता है। ○ ECI का निर्णय **बाध्यकारी** होता है। ○ **राजनीतिक दल के विभाजक गुट** (उस गुट के अलावा, जिसे दल का चुनाव चिह्न प्राप्त है) को स्वयं को **एक अलग दल के रूप में पंजीकृत** कराना होता है। पंजीकरण के बाद राज्य या केंद्रीय चुनावों में अपने प्रदर्शन के आधार पर ही वह राष्ट्रीय या राज्य दल के दर्जे का दावा कर सकता है। • **पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त** दलों में विभाजन की स्थिति में, चुनाव आयोग आमतौर पर दोनों गुटों को **आंतरिक स्तर पर अपने मतभेदों को हल करने या न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखने की सलाह** देता है। • चुनाव आयोग ने अब तक के लगभग सभी विवादों में दिए गए अपने निर्णयों में राजनीतिक दल के **प्रतिनिधियों/ पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के स्पष्ट बहुमत वाले गुट का समर्थन** किया है। ○ कई बार ऐसा भी होता है, जब चुनाव आयोग राजनीतिक दल के संगठन के भीतर **दावेदार गुटों के समर्थकों की संख्या निर्धारित करने में असमर्थ** हो जाता है। ऐसी स्थिति पदाधिकारियों की सूची पर विवाद के कारण उत्पन्न होती है। तब चुनाव आयोग केवल **निर्वाचित सांसदों और विधायकों के बहुमत के आधार पर निर्णय** लेता है।
एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना (Contesting Elections From Multiple Seats)	• हाल ही में, मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा उम्मीदवारों के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर **रोक लगाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) में संशोधन** के लिए पुनः नए सिरे से प्रयास शुरू किया है। ○ आयोग के अनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र को रखने और दूसरे को रिक्त करने के बाद उपचुनाव के लिए बाध्य करने वालों पर **भारी जुर्माना लगाने के एक विकल्प पर विचार** किया जाना चाहिए। • **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7)** के अनुसार, एक उम्मीदवार अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। ○ 1996 तक **दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति** दी गई थी। बाद में इस अधिनियम में संशोधन कर केवल दो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित कर दी गई थी। • **दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट (1990) और चुनाव सुधार पर विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) में**

 © Vision IAS

	भी एक उम्मीदवार को एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने तक सीमित करने की सिफारिशें की गई थीं। • कानून और न्याय मंत्रालय का **विधान विभाग,** चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सरकार में **नोडल एजेंसी** है।
अलग-अलग प्रकार के वोट (Different types of Votes)	• **टेंडर वोट:** जब कोई मतदाता अपना वोट डालने जाता है और उसे पता चलता है कि उसका वोट उसकी पहचान से किसी ओर ने पहले ही डाल दिया है, तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता को वोट डालने का अधिकार देता है। इसे ही टेंडर वोट कहा जाता है। ○ ऐसी स्थिति में, वह **व्यक्ति एक टेंडर वोट के माध्यम से किसी भी अन्य मतदाता की तरह वोट डालने का पात्र हो** जाता है। • **चैलेंज्ड वोट:** यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें मतदान बूथ पर राजनीतिक पार्टियों के एजेंट मौजूद होते हैं। इन्हें मतदान एजेंट कहा जाता है। ये एजेंट **किसी वोटर के वोट को चैलेंज कर सकते हैं,** अगर उन्हें लगता है कि **संबंधित वोटर फर्जी है** और वो किसी दूसरे व्यक्ति का वोट डालने आया है। • **टेस्ट वोट:** जब एक मतदाता यह दावा करता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या पेपर ट्रेल मशीन ने उसका वोट सही ढंग से दर्ज नहीं किया है, तो उसे **टेस्ट वोट के रूप में फिर से वोट डालने की अनुमति दी जाती है।**
मतदाताओं का पंजीकरण (Registration of Electors)	• चुनाव आयोग ने **'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' में कानूनी संशोधन और 'निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960' में संशोधनों के अनुपालन** में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं- ○ ऐसे युवा जिनकी आयु **17 वर्ष से अधिक है,** वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए **अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।** ○ **मतदाता सूची को प्रत्येक तिमाही में अपडेट किया जाएगा।** साथ ही, पात्र युवाओं को उस वर्ष की आगामी तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है, जिस तिमाही में उनकी आयु 18 वर्ष हुई है। ○ **इसमें आधार विवरण को फॉर्म से जोड़ने का वैकल्पिक प्रावधान** भी किया गया है।
सुलभ चुनावों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति (National Advisory Committee on Accessible Elections: NACAE)	• भारतीय चुनाव आयोग ने NACAE के तहत दो उप-समितियों का गठन किया है। ○ इन उप-समितियों का उद्देश्य **आयोग की वेबसाइट्स तक पहुंच में सुधार के तरीकों का अध्ययन करना और दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) के निर्वाचकों के रूप में पंजीकरण को आसान बनाना** है। • NACAE, **राज्य तथा जिला स्तर पर चुनावी प्रक्रियाओं में PwDs की भागीदारी** से संबंधित प्रक्रियाओं और मुद्दों की समीक्षा करती है। ○ **उप-चुनाव आयुक्त** इस समिति का अध्यक्ष होता है। ○ इसकी बैठकें **वर्ष में दो बार या अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार** आयोजित की जाती हैं। ○ इसका कार्यकाल **दो वर्ष** का होता है या वैकल्पिक संरचना प्रस्तावित होने तक रहता है।

6. महत्वपूर्ण विधान/ विधेयक (Important Legislature/ Bills)

6.1. बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 {Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोक सभा ने **बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022** को संसद की एक संयुक्त समिति के पास भेजा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह विधेयक **बहु-राज्य सहकारी समिति (MSCS) अधिनियम, 2002** में संशोधन करने के लिए पेश किया गया है। यह संशोधन **97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011** को ध्यान में रख कर किया जा रहा है। 97वें संविधान संशोधन ने संविधान में एक **नया भाग IXB** जोड़ा था।
- इस विधेयक का उद्देश्य सहकारी समितियों में **पारदर्शिता व उत्तरदायित्व को बढ़ाना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना** और **बेहतर वित्तीय अनुशासन** को प्रोत्साहित करना है।

बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 के अंतर्गत प्रमुख संशोधन

विशेषताएं	विवरण
सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण (Co-operative Election Authority: CEA) की स्थापना	• इस **प्राधिकरण** की स्थापना **केंद्र सरकार** करेगी। इसमें **अध्यक्ष और उपाध्यक्ष** के अलावा **केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकतम 3 सदस्य** शामिल होंगे। इनके कार्य होंगे- ○ ऐसे चुनाव कराना, ○ निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना।
सहकारी लोकपाल (Co-operative Ombudsman)	• केंद्र सरकार **शिकायतों की जांच** के लिए प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के साथ एक या एक से अधिक **सहकारी लोकपाल** नियुक्त करेगी।
समामेलन और विभाजन (Amalgamation and Division)	• सहकारी समितियों (राज्य कानूनों के तहत पंजीकृत) को मौजूदा MSCS में विलय करने की अनुमति देता है। ○ एक आम बैठक में **उपस्थित और मतदान करने वाले सहकारी समिति के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों** को इस तरह के विलय की अनुमति देने के लिए एक संकल्प पारित करना होगा।
सहकारी पुनर्सुधार, पुनर्निर्माण और विकास निधि	• रुग्ण MSCS के पुनरुद्धार के लिए **सहकारी पुनर्सुधार, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना की जाएगी।**
यह निदेशक मंडल की संरचना में संशोधन करता है	• निदेशक मंडल में कम-से-कम **एक निदेशक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का और दो निदेशक महिलाएं** होंगी।
अपराधों के लिए दंड में वृद्धि	• रिटर्न या सूचना दाखिल करने में विफल होना एक अपराध होगा। • इन सभी अपराधों के लिए **जुर्माना 5,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाएगा।**
समवर्ती लेखापरीक्षा (Concurrent audit)	• ऐसी बहु-राज्य समितियों के लिए एक नई **धारा 70A** सम्मिलित करना, जिनका वार्षिक टर्नओवर या जमा राशि केंद्र द्वारा निर्धारित टर्नओवर/राशि से अधिक हो।

© Vision IAS

सहकारिता के बारे में

- सहकारी समिति **समान आवश्यकता वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन** है। समिति में शामिल लोग **साझा आर्थिक हितों की प्राप्ति** के लिए एक साथ कार्य करते हैं।
  - इसका उद्देश्य **समाज के गरीब वर्गों के हितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए** अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करना होता है। सहकारी समिति स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांत पर आधारित होती है।
- **सहकारिता राज्य सूची का विषय है।**
  - सहकारिता का विषय मुख्य रूप से केंद्र सरकार के समर्थन और मार्गदर्शन के साथ **राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन** के अधीन है।
  - **महाराष्ट्र** में इनकी सबसे अधिक संख्या (567) है, इसके बाद **उत्तर प्रदेश** (147) और **नई दिल्ली** (133) का स्थान है।
- **विश्व की 300 सबसे बड़ी सहकारी समितियों** में भारत की तीन समितियां- **अमूल, इफको (IFFCO) और कृभको (KRIBHCO)** भी शामिल हैं।

बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002

- **2002 में इस अधिनियम को निम्नलिखित के लिए अधिनियमित किया गया था:**
  - सहकारी समितियों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना। इसके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं होंगे और एक से अधिक राज्यों में सदस्यों के हितों की पूर्ती करेंगे।
  - स्व-सहायता और पारस्परिक सहायता के आधार पर लोगों की संस्थाओं के रूप में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन तथा लोकतांत्रिक कामकाज को सुगम बनाना।
  - उन्हें अपनी आर्थिक और सामाजिक बेहतरी को बढ़ावा देने में सक्षम बनाना तथा कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करना।

सहकारी समितियों के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

सातवीं अनुसूची	सहकारी समिति **सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची** का विषय है।
अनुच्छेद 19(1)(c)	सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना। **97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011** ने सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार बना दिया।
अनुच्छेद 43B (राज्य की नीति के निदेशक तत्व)	राज्य सहकारी समितियों के **स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को** बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
भाग IX-B	यह **सहकारी समितियों के निगमन, बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों के लिए शर्तों तथा सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित** है। भाग IX-B में अनुच्छेद 243ZH से लेकर अनुच्छेद 243ZT शामिल हैं।
बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002	यह **एक से अधिक राज्य में संचालित होने वाली सहकारी समितियों के पंजीकरण** का प्रावधान करता है।

भारत में संचालित सहकारी समितियों के प्रकार

सहकारी ऋण समितियां	ये सदस्यों से जमा-राशि स्वीकार करती हैं और उचित दरों पर ऋण प्रदान करती हैं।
उत्पादक सहकारी समितियां	ये लघु-स्तर के उत्पादकों के हितों की रक्षा करती हैं।
उपभोक्ता सहकारी समितियां	ये उचित कीमतों पर उत्पादों को बनाकर आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती हैं।
सहकारी कृषि समितियां	इनमें प्रत्येक सदस्य-किसान व्यक्तिगत रूप से अपनी भूमि का स्वामी बना रहता है।
आवास सहकारी समितियां	ये मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराती हैं।
विपणन सहकारी समितियां	ये उत्पादकों की सौदेबाजी करने की शक्ति को बढ़ाती हैं।

संबंधित तथ्य

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)

- **ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग की शुरुआत** से **सहकारी समितियां** भी अन्य सरकारी खरीदारों की तरह **GeM पोर्टल के माध्यम से खरीदारी** कर सकेंगी।
- GeM एक **वन-स्टॉप पोर्टल** है। इसे **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के तहत **आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय** ने विकसित किया है। यह पोर्टल वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के माध्यम से व्यापक आर्थिक लाभ प्रदान करता है।
  - **सरकारी उपयोगकर्ताओं को** GeM के माध्यम से **खरीदारी के लिए अधिकृत** किया गया है और वित्त मंत्रालय ने इसे **अनिवार्य** बना दिया है।
- **पहले चरण में, 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर और जमा राशि** वाली सभी पात्र सहकारी समितियां GeM पोर्टल पर ऑर्डर देना शुरू कर सकेंगी।
  - यह कदम सहकारी समितियों को **लागत के मामले में दक्षता** प्रदान करेगा।
  - **अब तक सहकारी समितियां** खुले बाजार से सामान और सेवाएं खरीद रही थीं।

6.2. विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act: FCRA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने नागरिकों पर **FCRA** के अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के लिए **विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2022** अधिसूचित किए हैं।

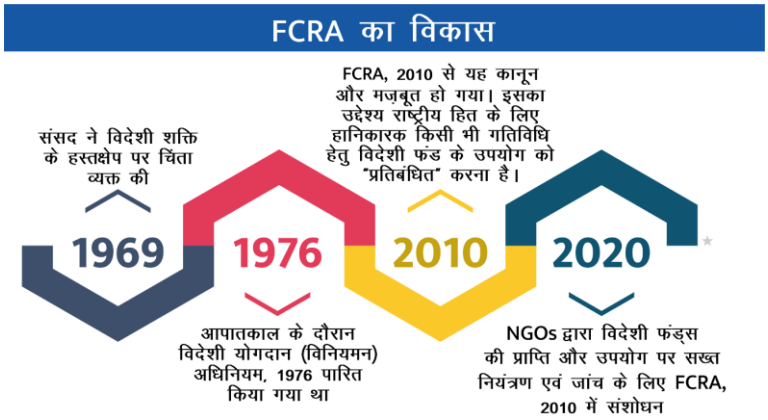

अन्य संबंधित तथ्य

- इसके जरिये **विदेशी योगदान (विनियमन) नियम, 2011** में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत सरकार को सूचित किए बिना अधिकतम 10 लाख रुपये भेज सकता है।
  - यदि योगदान या अंशदान की राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो सरकार को सूचित करने के लिए व्यक्ति के पास तीन महीने का समय होगा। इससे पहले केवल 30 दिन का समय दिया जाता था।
  - इससे पहले निम्नलिखित को विदेशी योगदान प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि, ये अब अंशदान प्राप्त कर सकते हैं:
    - राजनीतिक दल
    - विधायिका के सदस्य
    - चुनावों में उम्मीदवार
    - सरकारी कर्मचारी
    - न्यायाधीश
    - पत्रकार
    - मीडिया हाउस

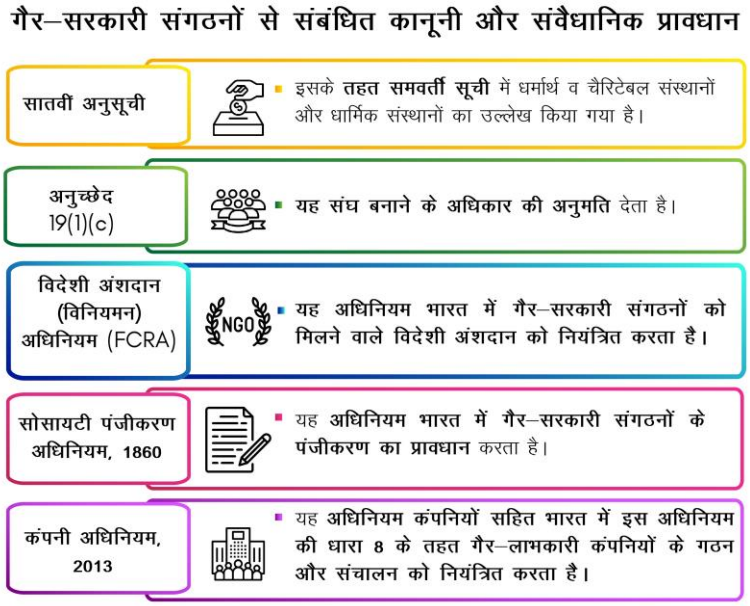

- FCRA के तहत फंड प्राप्त करने के लिए 'पंजीकरण' या 'पूर्व अनुमति' प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होता है। केंद्र सरकार को इस हेतु सूचित करने की निर्धारित समय सीमा को **15 दिन से बढ़ा कर 45 दिन** कर दिया गया है।
- साथ ही, एक अलग अधिसूचना में **FCRA के तहत कंपाउंडेबल (शमनीय) अपराधों की सूची को 7 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है।**
  - **कंपाउंडेबल अपराध** वे होते हैं, जहां **शिकायतकर्ता आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने** के लिए सहमत हो सकता है।

FCRA: उद्देश्य और प्रावधान

- किसी विदेशी स्रोत के माध्यम से वस्तु, मुद्रा, या शेयर के रूप में किए गए दान, वितरण या हस्तांतरण को विदेशी योगदान कहा जाता है।
  - FCRA का कार्यान्वयन **गृह मंत्रालय (MHA)** द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा की गई जांच (पूर्व की घटनाओं की) के आधार पर FCRA प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करता है।

© Vision IAS

- **FCRA कानून के प्रमुख प्रावधान (2020 के बाद के संशोधन)**

विशेषताएं	विवरण
विदेशी फंड	• गैर-सरकारी संगठनों के प्रत्येक पदाधिकारी को विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए **पंजीकरण के जरिए पूर्व अनुमति लेना** और अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। • यह निम्नलिखित समूहों के लिए विदेशी योगदान को प्रतिबंधित करता था (इन्फोग्राफिक देखें)। हालांकि, **विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2022** द्वारा इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है।
FCRA खाता	• विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए **भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली** की निर्धारित शाखाओं में **नामित FCRA खाता** खोलना होगा। ○ इसमें **विदेशी योगदान** के अलावा कोई अन्य धनराशि प्राप्त या जमा नहीं की जा सकती है। इसे किसी अन्य व्यक्ति या गैर-सरकारी संगठन को हस्तांतरित भी नहीं किया जा सकता है।
FCRA पंजीकरण की वैधता	• FCRA पंजीकरण की वैधता पांच वर्ष की होगी और गैर-सरकारी संगठनों को पंजीकरण की **समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर** नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
फंड का उपयोग	• फंड का उपयोग **उसी उद्देश्य पर किया जाना चाहिए, जिस उद्देश्य से इसे प्राप्त किया गया है।** प्राप्त फंड का अधिकतम 20% (पहले 50%) प्रशासनिक व्यय के लिए खर्च किया जा सकता है।
वार्षिक रिटर्न दाखिल	• **वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य** होगा। इसके उल्लंघन के मामले में, सरकार जांच के बाद, अप्रयुक्त विदेशी योगदान के उपयोग को प्रतिबंधित कर सकती है।

संबंधित तथ्य

गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) का विनियमन

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि **किसी को भी विदेशी अंशदान प्राप्त करने का मौलिक या पूर्ण अधिकार नहीं** है। न्यायालय ने विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, (FCRA) 2010 में संशोधन को भी उचित घोषित किया है।
- **न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां भी की हैं:**
  - एक **संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र** इस आधार पर **विदेशी अंशदान स्वीकार करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्र** है, **कि यह अंशदान राष्ट्र की संवैधानिक नैतिकता को कमजोर कर रहा है।**
  - विदेशी अंशदान का **देश की सामाजिक-आर्थिक संरचना और राजनीतिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण प्रभाव** पड़ सकता है।
  - विदेशी सहायता का अर्थ एक विदेशी अंशदान दाता की उपस्थिति से भी है, जो देश की नीतियों को प्रभावित कर सकता है।
  - विदेशी अंशदान **राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित कर सकता है। इस कारण इसे न्यूनतम स्तर पर होना चाहिए।**
- NGOs सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें **वैधानिक दर्जा** प्राप्त होता है। ये **ट्रस्ट, सोसाइटी या प्राइवेट लिमिटेड गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत** होते हैं।
- **भारत में NGO के विनियमन के संबंध में प्रावधान:**
  - **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** कुछ NGOs ऐसे हैं, जो FEMA के तहत पंजीकृत हैं और भारत में अलग-अलग संघों को विदेशी धन का वितरण करते हैं।
    - FEMA को **वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित** किया जाता है। इसे बाहरी व्यापार तथा भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए **विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित** करने हेतु पेश किया गया था।

6.3. मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 (Model Tenancy Act, 2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **चार राज्यों (आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम)** ने **अपने किरायेदारी कानूनों को संशोधित किया है। ये संशोधन इन राज्यों के कानूनों को** मॉडल टेनेंसी एक्ट (MTA) के अनुरूप बनाने के लिए किए गए हैं।

मॉडल टेनेंसी एक्ट (MTA), 2021 के बारे में

- **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने MTA, 2021 को मंजूरी दे दी है।** इस अधिनियम का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसी परिसंपत्ति को किराये पर लेने की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना है। साथ ही, इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्रक में किराया अर्थव्यवस्था को सहयोग प्रदान करना है।
  - **2021 में, जम्मू और कश्मीर** MTA को अपनाने वाला **पहला केंद्र शासित प्रदेश** बन गया।
  - **आवास,** संविधान की **7वीं अनुसूची** के तहत **राज्य सूची** का एक विषय है। इसलिए यह मॉडल अधिनियम केवल एक **सुझाव देने वाला ढांचा** (बाध्यकारी नहीं) है। किराये के आवास और अनुबंधों को विनियमित करते समय **राज्यों को इस अधिनियम का पालन** करना चाहिए।
  - यह 70 साल से अधिक पुराने पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 के मौजूदा किरायेदारी प्रावधानों को प्रतिस्थापित करता है।
- **MTA, 2021 की मुख्य विशेषताएं:**

विनिर्देश	विवरण
किस पर लागू	• यह **आवासीय, वाणिज्यिक या शैक्षिक उपयोग** वाले परिसरों को कवर करेगा, लेकिन **औद्योगिक उपयोग वाले परिसरों को नहीं।** इसमें होटल, लॉजिंग हाउस, सराय आदि भी शामिल नहीं होंगे।
किरायेदारी समझौता	• सभी परिसरों (आवासीय या वाणिज्यिक) को पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर एक **लिखित समझौते के बाद ही किराए पर** दिया जाएगा। साथ ही, किरायेदारी अनुबंध की तारीख से **दो महीने के भीतर प्रस्तावित किराया प्राधिकरण को इस बारे में सूचित** किया जाएगा।
किरायेदारी अवधि	• किरायेदार किरायेदारी अवधि के **नवीकरण या विस्तार के लिए मकान मालिक से अनुरोध** कर सकता है। • यदि **किरायेदार** किरायेदारी अवधि के अंत में या किसी आदेश द्वारा किरायेदारी अवधि की समाप्ति पर **परिसर खाली करने में विफल रहता है**, तो उसे भुगतान करना होगा- ○ पहले दो महीनों के लिए **मासिक किराए का दोगुना** और, ○ बाद में जब तक वह परिसर खाली नहीं करता तब तक **मासिक किराए का चार गुना भुगतान करेगा।**
सिक्योरिटी डिपॉजिट	• यह **आवासीय संपत्तियों के लिए अधिकतम दो महीने के किराए तक** और गैर-आवासीय संपत्ति के लिए **न्यूनतम छह महीने के किराए तक** सीमित कर दिया गया है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म	• यह किरायेदारी समझौते और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए **राज्य की स्थानीय भाषा** में स्थापित किया जाएगा।
किराए पर लिए गए स्थान को किसी और को किराए पर देना	• यह केवल मकान मालिक की पूर्व **सहमति से ही** किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि मकान में कोई संरचनात्मक परिवर्तन किया जाता है तो वह केवल **मकान मालिक की लिखित सहमति** से ही हो सकता है।

© Vision IAS

त्रिस्तरीय निवारण प्रणाली	• मॉडल अधिनियम एक त्रि-स्तरीय अर्ध-न्यायिक विवाद न्यायनिर्णयन तंत्र स्थापित करता है। इसके अंतर्गत **किराया प्राधिकरण, किराया न्यायालय और किराया अधिकरण** शामिल हैं, जो विवादों का त्वरित समाधान करते हैं। साथ ही, सिविल कोर्ट से किरायेदारी विवादों के बोझ को कम करते हैं। ○ किराया न्यायालय और किराया अधिकरण द्वारा शिकायत का **निवारण 60 दिनों के भीतर** किया जाना चाहिए। • राज्य सरकार के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा **किराया प्राधिकरण और किराया न्यायालयों** की नियुक्ति की जाएगी। • **राज्य संबद्ध क्षेत्राधिकार वाले हाई कोर्ट के साथ परामर्श करने के बाद प्रत्येक जिले में किराया अधिकरण** स्थापित कर सकता है। • मॉडल अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों से संबंधित मामलों में किसी भी सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं होगा।
खाली कराना	• एक किरायेदार से मकान खाली कराने के लिए **मकान मालिक को किराया प्राधिकरण में आवेदन** करना होगा। **किरायेदार को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर बेदखल किया जा सकता है:** ○ तय किराया देने से इनकार कर दिया हो; ○ दो महीने से अधिक समय तक किराए का भुगतान नहीं किया हो; ○ लिखित सहमति के बिना परिसर के कुछ भाग या पूरे परिसर पर कब्जा कर लिया हो; तथा ○ एक लिखित नोटिस के बाद भी परिसर का दुरुपयोग कर रहा हो।

6.4. दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) नियम, 2022 {Criminal Procedure (Identification) Rules, 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गृह मंत्रालय (MHA) ने **दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) अधिनियम (CPA), 2022**[30] को शासित करने वाले **दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) नियम, 2022** को अधिसूचित किया है।

दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) अधिनियम (CPA), 2022 के बारे में

- यह अधिनियम **बंदी शिनाख्त अधिनियम, 1920** की जगह लाया गया है। बंदी शिनाख्त अधिनियम, 1920 को दोषी व्यक्तियों एवं आरोपियों की जैविक माप और फोटोग्राफ लेने हेतु पारित किया गया था।
- 2022 का अधिनियम कानून के प्रावधानों के तहत लिए जा सकने वाले **'माप' के दायरे और कार्यक्षेत्र का विस्तार** करता है।
  - इसका उद्देश्य **अपराध में शामिल व्यक्ति की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करना** है। इससे आपराधिक मामले को सुलझाने में जांच एजेंसियों को मदद मिलेगी।

CPA, 2022 के प्रमुख प्रावधानों पर एक नज़र

विशेषताएं	विवरण
कुछ प्रावधानों के दायरे का विस्तार	• इस अधिनियम में निम्नलिखित से संबंधित दायरों का विस्तार किया गया है: ○ 'माप' के रूप में लिए जाने वाले **डेटा** का प्रकार; ○ वे व्यक्ति जिनसे ऐसा डेटा लिया जा सकता है; ○ वह प्राधिकारी जो इस तरह का डेटा लेने के लिए आदेश दे सकता है; और ○ नियम बनाने की शक्ति।
एकत्र किए गए डेटा का संरक्षण	• अधिनियम के अनुसार, एकत्र किए गए **डेटा को उसे एकत्रित करने की तिथि से 75 वर्षों तक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखा जाएगा।**

[30] Criminal Procedure (Identification) Act (CPA), 2022

	○ **CPA, 2022 के तहत उन व्यक्तियों के रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया जाएगा जिन्हें** पहले दोषी नहीं ठहराया गया था और जिन्हें बिना मुकदमे के रिहा अथवा मुक्त कर दिया गया है या, न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है।
विवरण देने से मना करना	• विवरण देने से मना करना या इसके लिए इनकार करना **भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत अपराध** माना जाएगा।
NCRB की भूमिका	• NCRB को अधिनियम के दायरे में आने वाले व्यक्तियों से संबंधित विवरण एकत्र करने की शक्ति दी गई है। NCRB यह विवरण राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन या कानून लागू करने वाली अन्य एजेंसियों से एकत्र कर सकता है। ○ इस अधिनियम के तहत NCRB के अन्य कार्यों में उसके द्वारा एकत्र किए गए डेटा या विवरण का भंडारण, प्रसंस्करण, प्रसार और उसे नष्ट करना शामिल हैं।

1920 के अधिनियम और 2022 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की तुलना

मापदंड	1920 का अधिनियम	2022 के अधिनियम में परिवर्तन
कौन-सा डेटा एकत्र किया जा सकता है	• फिंगर प्रिंट, फुट प्रिंट व फोटोग्राफ।	**इसमें निम्नलिखित को जोड़ा गया है:** • **जैविक नमूने और उनका विश्लेषण।** • **आइरिस (आँख की पुतली) और रेटिना (दृष्टिपटल) स्कैन।** • व्यवहारगत विशेषताएं जैसे कि हस्ताक्षर और लिखावट (हैंडराइटिंग), • दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की **धारा 53 और 53A** के तहत किए जाने वाले **परीक्षण। इसमें रक्त, वीर्य, बाल के नमूने, स्वैब और डी.एन.ए प्रोफाइलिंग आदि जैसे विश्लेषण शामिल हैं।**
किन व्यक्तियों के डेटा एकत्र किए जा सकते हैं	• **ऐसे व्यक्ति, जिन्हें एक वर्ष या उससे अधिक** के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध के लिए **दोषी ठहराया गया है या गिरफ्तार किया गया है।** • **ऐसे व्यक्ति जिन्हें** अच्छा व्यवहार करने या शांति बनाए रखने की गारंटी देनी पड़ी है। • **मजिस्ट्रेट अन्य मामलों में** आपराधिक जांच में मदद के लिए गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का डेटा लेने के आदेश दे सकता है।	• किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से। हालांकि, **बलपूर्वक जैविक नमूने केवल ऐसे व्यक्ति से ही लिए जा सकते हैं, जिसे किसी महिला या बच्चे के विरुद्ध अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है।** यह ऐसे मामलों में भी किया जा सकता है जहां किसी अपराध के लिए न्यूनतम सजा सात वर्ष की कैद है। • **किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन (निवारक निरोधक) कानून के अंतर्गत** हिरासत में लिए गए व्यक्ति से। • **मजिस्ट्रेट के आदेश पर** जांच में मदद के लिए किसी भी व्यक्ति से (केवल गिरफ्तार व्यक्ति से नहीं)।
वह प्राधिकारी, जो डेटा एकत्र करने के लिए कह सकता है या निर्देश दे सकता है	• **CrPC के तहत जांच अधिकारी,** पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी अथवा उप-निरीक्षक या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी। • **मजिस्ट्रेट।**	• **पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी** या हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी। • **जेल का हेड वार्डन।** • **मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट।** यदि व्यक्ति से अच्छे व्यवहार या शांति बनाए रखने की अपेक्षा की गई है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
विवरण एकत्र करने के तरीके आदि के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति	• **राज्य सरकार के पास।**	• **राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार के पास।**

6.5. मध्यस्थता विधेयक 2021 (Mediation Bill 2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मध्यस्थता विधेयक, 2021 में महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की है।

मध्यस्थता के बारे में

- मध्यस्थता वस्तुतः संबंधित पक्षों के लिए **उपलब्ध वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) का एक रूप** है। यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। इसके तहत संबंधित पक्ष एक स्वतंत्र/ निष्पक्ष तीसरे व्यक्ति (मध्यस्थ) की सहायता से विवादों को निपटाने का प्रयास करते हैं।
  - **मध्यस्थ संबंधित पक्षों पर समाधान को थोपता नहीं** है, बल्कि वह एक अनुकूल माहौल प्रदान करता है जिसमें वे अपने विवाद को सुलझा सकते हैं।
  - 2019 में, **भारत मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बन गया**, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।

  - यह अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से उत्पन्न **निपटान समझौतों के सीमा पार प्रवर्तन** के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

भारत में मध्यस्थता

- 2002 में **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में धारा 89 को जोड़ा गया था।** इस धारा ने विवादों के निपटारे के साधनों में से एक के रूप में **मध्यस्थता की शुरुआत की थी।**
- **मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996** ने न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना मध्यस्थता के उपयोग को तैयार किया था।
- **कंपनी अधिनियम, 2013** केंद्र सरकार के लिए मध्यस्थता और सुलह पैनल बनाए रखना अनिवार्य बनाता है।
- **उपभोक्ता संरक्षण विधेयक (उपभोक्ता विधेयक), 2015** किसी भी उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी के समक्ष शिकायत स्वीकार करने के पहले मामले में विवादों की मध्यस्थता करने का प्रावधान करता है।
- **2021 में संसद में मध्यस्थता विधेयक पेश किया गया था।**

मध्यस्थता विधेयक, 2021 की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

विशेषताएं	विवरण
मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता	• संबंधित पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे **न्यायालय या किसी अधिकरण के पास जाने से पहले मध्यस्थता** के जरिए **सिविल या वाणिज्यिक विवादों का समाधान करने का प्रयास करें।** • **अगर संबंधित पक्ष कोई समझौता नहीं कर पाते हैं, तो न्यायालय या अधिकरण सुनवाई के किसी भी चरण में संबंधित पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेज सकते हैं। ऐसा तब होता है जब संबंधित पक्ष इसके लिए अनुरोध करते हैं।**
मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद	• इनमें निम्नलिखित विवाद शामिल हैं: ○ **नाबालिगों या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के संदर्भ में दावों से संबंधित विवाद,** ○ क्रिमिनल/ दांडिक अपराध के अभियोजन से जुड़े विवाद, और ○ **तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवाद।** • केंद्र सरकार इस सूची में संशोधन कर सकती है।
यह किस पर लागू होगा	• यह विधेयक भारत में मध्यस्थता की कार्यवाहियों पर लागू होगा, **जहां (i) सिर्फ घरेलू पक्ष शामिल हैं, तथा (ii) कम-से-कम एक पक्षकार विदेशी है और वह वाणिज्यिक विवाद से संबंधित है (यानी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता)।** • अगर विवाद में केंद्र या राज्य सरकार एक पक्षकार है, तो विधेयक निम्नलिखित मामलों में भी लागू होगा: ○ वाणिज्यिक विवाद, और ○ सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य विवाद।

मध्यस्थता की प्रक्रिया	• मध्यस्थता की प्रक्रिया गोपनीय होगी और यह **180 दिनों के अंदर पूर्ण हो जानी चाहिए** (संबंधित पक्षों की सहमति द्वारा इस अवधि को 180 दिनों तक और बढ़ाया जा सकता है)।
मध्यस्थ	• **मध्यस्थों को निम्नलिखित के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है:** ○ **आपसी समझौते से संबंधित पक्षों द्वारा, या** ○ **मध्यस्थता सेवा प्रदाता** (मध्यस्थता का संचालन करने वाली संस्था) द्वारा।
भारतीय मध्यस्थता परिषद (Mediation Council of India: MCI)	• केंद्र सरकार इसकी स्थापना करेगी। इस परिषद में **एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य, तीन पदेन सदस्य और एक अल्पकालिक सदस्य (औद्योगिक निकाय से संबद्ध)** होंगे। • **इस परिषद के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:** ○ **मध्यस्थों का पंजीकरण करना, तथा** ○ **मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं और** मध्यस्थता संस्थाओं (जो मध्यस्थों को प्रशिक्षित करती हैं और उन्हें प्रमाण-पत्र देती हैं) को मान्यता देना।
मध्यस्थता समाधान समझौता	• मध्यस्थता (सामुदायिक मध्यस्थता को छोड़कर) के परिणामस्वरूप हुए समझौते **अंतिम, बाध्यकारी और न्यायालय के निर्णयों की तरह लागू** होंगे। • हालांकि, इन्हें **धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार ठगी (impersonation)** के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता	• "अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता" की परिभाषा और **सिंगापुर कन्वेंशन** के प्रावधानों को इस विधेयक में शामिल किया गया है। • यह कन्वेंशन **विवादित पक्षों को क्रॉस बॉर्डर समाधान समझौतों को आसानी से लागू करने में सक्षम** बनाता है। इस प्रकार यह **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को सुगम** बनाता है।
सामुदायिक मध्यस्थता	• यह किसी क्षेत्र या स्थान के निवासियों के बीच शांति और सौहार्द को प्रभावित करने की आशंका वाले विवादों का समाधान करता है।

संबंधित तथ्य

नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (संशोधन) अधिनियम, 2022 (New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Act, 2022)

- इस अधिनियम ने **नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 में संशोधन** किया है। संशोधन के द्वारा **नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (India International Arbitration Centre)** कर दिया गया है।
- **अधिनियम के मुख्य प्रावधान**
  - **माध्यस्थम् के संचालन के तरीके और वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्य रूपों को केंद्र सरकार** निर्धारित करेगी।
  - यह विधेयक सरकार को **अधिनियम के लागू होने की तारीख से पांच साल तक इसके कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने** की अनुमति देता है।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान के लाभ:**
  - कम लागत में विवाद का समाधान किया जा सकता है,
  - समाधान की प्रक्रिया अधिक लचीली है,
  - विवाद समाधान में अधिक गोपनीयता बरती जाती है,
  - विवाद निपटान की अधिक संभावना रहती है,
  - विवाद समाधान के लिए कई मंच उपलब्ध होते हैं और समाधान के भी कई विकल्प प्राप्त होते हैं आदि।
- **अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् के बारे में**
  - यह मध्यस्थों के माध्यम से **अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक और व्यावसायिक विवादों** के निपटान का एक साधन है। इसमें विवाद में शामिल पक्ष अदालत जाने की बजाय किसी **निजी विवाद समाधान प्रक्रिया** का विकल्प चुनते हैं।
  - अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् का लाभ उठाना **वैकल्पिक** हो सकता है, लेकिन **'अनिवार्य माध्यस्थम्' के प्रावधान के जरिए इसे अनिवार्य** भी बनाया जा सकता है।
  - **विदेशी माध्यस्थम् निर्णय की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन, 1958 (न्यूयॉर्क कन्वेंशन) तथा द्विपक्षीय निवेश संधियों** के माध्यम से माध्यस्थम् निर्णयों को अधिक व्यापक और सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।

6.6. प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण विधेयक (Registration of Press and Periodicals Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने **प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट, 1867** में संशोधन के उद्देश्य से एक विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- 1867 के इस अधिनियम ने प्रेस को नियंत्रित करने, पुस्तकों के प्रकाशन को विनियमित करने तथा **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** पर आपातकालीन अंकुश लगाने में सरकारों की मदद की थी।
- इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक समाचार पत्र के मुद्रक को **समाचार पत्र के प्रत्येक अंक की दो प्रतियां सरकार को निःशुल्क तथा प्रत्येक अंक की एक प्रति प्रेस रजिस्ट्रार को देनी होती थी।**

अधिनियम का संक्षिप्त इतिहास

- भारत में प्रेस पर नियंत्रण की शुरुआत **सेंसरशिप ऑफ़ प्रेस एक्ट, 1799** से हुई थी। इस अधिनियम को लॉर्ड वेलेजली ने भारत पर फ्रांसीसी आक्रमण से पूर्व प्रेस पर अंकुश लगाने के लिए पारित किया था।
- इस अधिनियम को **1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने वापस ले लिया था।**
- इसके बाद कार्यकारी गवर्नर-जनरल जॉन एडम्स द्वारा **लाइसेंसिंग विनियमन (अध्यादेश), 1823 को अधिनियमित किया गया।**
- गवर्नर-जनरल मेटकाफ ने इस अध्यादेश को रद्द कर दिया तथा इसकी जगह **प्रेस अधिनियम, 1835** को लागू किया।
- **1857 के लाइसेंसिंग अधिनियम** के तहत समाचार पत्रों, मुद्रित सामग्री और सभी प्रकार की पुस्तकों को कानून के दायरे के अधीन ला दिया गया।
- वर्तमान में प्रचलित **प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण (PRB) अधिनियम,1867** का उद्देश्य प्रेस की भूमिका/ गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार के अनुसार '1857 के विद्रोह' के पीछे प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

- इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार को **भारतीय समाचार पत्रों के लिए रजिस्ट्रार को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई थी।**
  - इसके अतिरिक्त, प्रेस रजिस्ट्रार को निर्धारित प्रारूप में समाचार पत्रों को अनिवार्य रूप से संकलित करना होता था।
- प्रिंट की गई **प्रत्येक पुस्तक** या **प्रत्येक समाचार पत्र पर मुद्रक का नाम और मुद्रण का स्थान, प्रकाशक का नाम व प्रकाशन का स्थान** स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

मसौदा विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

विशेषताएं	विवरण
उद्देश्य	• इसका उद्देश्य **डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाना** और पिछले कानून के औपनिवेशिक चरित्र को समाप्त करना है।
पंजीकरण	• विधेयक के पारित होने के बाद, डिजिटल न्यूज़ मीडिया पब्लिकेशन को **90 दिनों के भीतर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास** पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
सरकारी संस्था को प्रदान की गईं शक्तियां	• **कानून के उल्लंघन की स्थिति में** सरकारी संस्था के पास **डिजिटल प्रकाशनों के खिलाफ** कार्रवाई करने की शक्ति होगी। इसके लिए पंजीकरण को निलंबित या रद्द किया जा सकता है तथा जुर्माना भी लगाया सकता है।
सरलीकरण	• यह ई-पेपर के **पंजीकरण की 'सरल प्रक्रिया'** को निर्धारित करता है। साथ ही, इसका उद्देश्य **पुस्तकों और संबंधित मामलों के पंजीकरण से संबंधित कुछ मौजूदा प्रावधानों** को हटाना भी है।
नियम बनाने हेतु प्राधिकार और शक्ति	• यह विधेयक **केंद्र सरकार** और **राज्य सरकार** को **उपयुक्त नियम/ विनियम बनाने** में सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापन जारी करने, **समाचार पत्रों की मान्यता** तथा समाचार पत्रों के लिए ऐसी अन्य सुविधाओं हेतु **मानदंडों / शर्तों को विनियमित** करना है।
अपीलीय बोर्ड	• इस अधिनियम के तहत **प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड** नामक एक **अपीलीय बोर्ड** का गठन किया जाएगा। इसमें भारतीय प्रेस परिषद (PCI) के अध्यक्ष तथा परिषद के सदस्यों में से परिषद द्वारा नामित किसी एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। ○ प्रस्तावित अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद बोर्ड निर्णय ले सकता है, जो **बाध्यकारी और अंतिम** होगा।

6.7. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 {Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribe) Orders (Amendment) Bill, 2022}	• हाल ही में, राज्य सभा ने **संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022** पारित किया है। इसे **झारखंड के भोगता समुदाय** को **अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर,** उन्हें **अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल** करने के लिए पारित किया गया है। • संविधान के **अनुच्छेद 341 और 342** में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गयी है कि वह किसी राज्य/ संघ शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों का निर्धारण करे। वह संबंधित राज्य के **राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद आदेश जारी करता** है। • इन आदेशों को बाद में **केवल संसद के अधिनियम** द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। • हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दी है। इस विधेयक ने **चार जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (ST) सूची** में शामिल किया है। ○ अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल नई जनजातियां हैं: **हिमाचल प्रदेश** के ट्रांस-गिरी क्षेत्र की **हट्टी जनजाति, तमिलनाडु** के पर्वतीय इलाकों में रहने वाली **नारिकोरावन और कुरुविक्करन जनजाति, और छत्तीसगढ़ का बिंझिया समुदाय।** ▪ हट्टी एक **घनिष्ठ समुदाय** है। इस समुदाय ने कस्बों में 'हाट' नामक छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियां, फसल, मांस और ऊन आदि बेचने की अपनी परंपरा से अपना नाम प्राप्त किया है। ▪ **नारिकोरावन (सियार पकड़ने वाले) और कुरुविक्करन (पक्षी खाने वाले) घुमंतू** आदिवासी समुदाय हैं। ▪ **बिंझिया, ओडिशा और झारखंड** में पाया जाने वाला नृजातीय समुदाय है। इस समुदाय में परंपरा और संस्कृति की समृद्ध विरासत देखने को मिलती है। **बेट्टा-कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया** • **बेट्टा-कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा** देने के लिए लोक सभा में एक विधेयक पारित किया गया है। • यह समुदाय **कर्नाटक के चामराजनगर, कोडागु और मैसूरु जिलों** में निवास करता है। ○ समुदाय के लोग **वनोपज और बांस आदि का संग्रह** करते हैं। ○ इस समुदाय की **अपनी बोली है, जिसकी कोई लिपि नहीं है।** ये लोग **शिकार के आदिम उपकरणों** का इस्तेमाल करते हैं और **सर्वात्मवाद (Animism)** का पालन करते हैं।
धर्मांतरण-रोधी विधेयक (Anti-conversion Bill)	• हाल ही में, **कर्नाटक विधान परिषद ने 'कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण' नामक विधेयक पारित** किया है। • अब तक, **धार्मिक परिवर्तन को प्रतिबंधित या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं** है। ○ कुछ राज्यों, जैसे- ओडिशा, मध्य प्रदेश आदि ने **बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित** करने के लिए कानून बनाए हैं। • **रेव. स्टेनिस्लॉस बनाम मध्यप्रदेश राज्य (1977) वाद में सुप्रीम कोर्ट** ने मध्य प्रदेश और ओडिशा के धर्मांतरण-रोधी कानूनों की वैधता को बरकरार रखा था। ○ इस वाद में **सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला** था कि संविधान के **अनुच्छेद 25** में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है।
उपासना स्थल अधिनियम, 1991 (Places of Worship Act, 1991)	• सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय के एक उप-संप्रदाय द्वारा संविधान के **अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक याचिका को खारिज** कर दिया है। इस याचिका में जैन समुदाय के एक संप्रदाय द्वारा, उसी धर्म के एक अन्य संप्रदाय द्वारा अपने धार्मिक स्थानों के कथित रूपांतरण के खिलाफ 'उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम', 1991 को लागू करने की मांग की गई थी। • **1991 का यह अधिनियम किसी भी उपासना स्थल के रूपांतरण पर रोक** लगाता है। साथ ही, यह किसी भी उपासना स्थल के उस धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए प्रावधान करता है, जैसा यह 15 अगस्त, 1947 को था। ○ हालांकि, इस अधिनियम के **प्रावधान राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर लागू नहीं होंगे।** • **अधिनियम के प्रमुख प्रावधान** ○ यह किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को पूर्ण या आंशिक रूप से, एक अलग धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में बदलने पर रोक लगाता है। यहां तक कि यह एक ही धार्मिक संप्रदाय के एक अलग खंड में रूपांतरण को भी रोकता है।

	○ इस अधिनियम के लागू होने पर, **15 अगस्त, 1947 को विद्यमान** किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन के संबंध में किसी भी **अदालत के समक्ष लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही समाप्त** हो जाएगी। साथ ही, कोई **नया मुकदमा या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं** की जाएगी। ○ इस अधिनियम के प्रावधान **प्राचीन संस्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत आने वाले प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों पर लागू नहीं होंगे।**
संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 2019 {Constitutional (One Hundred and Fourth Amendment) Act, 2019}	• दिल्ली हाई कोर्ट **संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 2019** को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस संबंध में न्यायालय ने केंद्र को अपनी दलीलें दायर करने का निर्देश दिया है। • इस संशोधन द्वारा लोक सभा और विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के मनोनयन-आधारित प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। • संशोधन ने **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति** के सदस्यों के लिए लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण की समाप्ति की समय सीमा को भी **दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।** • **तत्कालीन संवैधानिक प्रावधान** ○ **अनुच्छेद 331:** लोक सभा में दो आंग्ल-भारतीयों के मनोनयन का प्रावधान करता है। ○ **अनुच्छेद 333:** विधान सभाओं के लिए एक आंग्ल-भारतीय सदस्य के मनोनयन का प्रावधान करता है।
परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 {The Family Courts (Amendment) Act, 2022}	• लोक सभा ने **'हिमाचल प्रदेश' और 'नागालैंड' में पहले से स्थापित परिवार न्यायालयों को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए एक विधेयक** पारित किया है। • यह विधेयक **'परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984' में संशोधन** करता है। इस अधिनियम में **'परिवार' और 'विवाह' से संबंधित विवादों से निपटने के लिए राज्यों द्वारा 'परिवार न्यायालयों' की स्थापना** का प्रावधान किया गया है। ○ विभिन्न राज्यों में इस अधिनियम के लागू होने की **तारीखों को अधिसूचित करने का अधिकार केंद्र सरकार** के पास है। ○ हिमाचल प्रदेश और नागालैंड ने इस अधिनियम के तहत अपने राज्यों में परिवार न्यायालयों की स्थापना की है। हालांकि, **केंद्र सरकार ने इन राज्यों में अधिनियम के अनुप्रयोग का विस्तार नहीं किया है।**
बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 {Benami Transactions (Prohibition) Act of 1988}	• सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है। • यह कानून **बेनामी लेनदेन को प्रतिबंधित करने और बेनामी रूप में रखी गई संपत्ति की वसूली/ जब्ती** के लिए 1988 में पारित किया गया था। हालांकि, कानून के कार्यान्वयन के लिए **नियम, विनियम और प्रक्रियाएं नहीं बनाई जा सकी हैं।** इस कारण से यह अभी तक अप्रभावी बना हुआ है। ○ बेनामी लेनदेन से तात्पर्य **ऐसे किसी भी लेनदेन से है**, जिसमें किसी व्यक्ति की संपत्ति का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए या उपलब्ध कराए गए प्रतिफल के लिए किया जाता है। ○ बेनामी लेनदेन का उपयोग **कर से बचने, गोपनीयता बनाए रखने, बेहिसाब धन कहीं और निवेश करने** आदि के लिए किया जाता है, ताकि संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व को छुपाया जा सके। • 2016 के संशोधन ने **बेनामी लेनदेन के दायरे और दंड का विस्तार** किया था। इसने बेनामी लेनदेन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान भी जोड़ा था।
शत्रु संपत्ति (Enemy property)	• केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कथित तौर पर प्रमुख **व्यावसायिक भूमि को पट्टे पर देने के लिए शत्रु संपत्तियों का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ** प्राथमिकी दर्ज की है। • **शत्रु संपत्ति के बारे में** ○ ऐसे लोगों की सम्पत्तियां जो **भारत-पाकिस्तान युद्धों (1965 और 1971)** के कारण, भारत से पाकिस्तान में जाकर बस गये थे। ○ **भारत की रक्षा नियमों** के तहत, भारत सरकार ने पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण करने वाले लोगों की संपत्तियों और कंपनियों को अपने अधिकार में ले लिया था। ○ ये "शत्रु संपत्तियां" **भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक के अधीन हैं।** 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद **चीन को प्रवास कर जाने वाले** लोगों द्वारा **छोड़ी गयी संपत्ति** के मामले में भी यही प्रावधान किये गये थे। ○ उपर्युक्त प्रावधान **शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 द्वारा शासित** है। ○ इस अधिनियम में 2017 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया है कि **शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (Custodian) के अधीन बनी रहेगी,** भले ही **शत्रु या शत्रु-विषय या शत्रु फर्म एक शत्रु** न रहे।

भारतीय ध्वज संहिता (FCI), 2002 {Flag Code of India (FCI), 2002}	• हाल ही में, भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया है। इसके तहत, **राष्ट्रीय ध्वज को अब दिन के साथ-साथ रात में भी फहराया जा सकता है। साथ ही, ध्वज को खुले में अथवा किसी आम नागरिक के घर पर भी फहराया जा सकता है।** ○ **इससे पहले**, तिरंगे को किसी भी मौसम में केवल **सूर्योदय से सूर्यास्त** तक ही फहराया जा सकता था। • यह संहिता **राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले सभी कानूनों, प्रथाओं, अभिसमयों, निर्देशों और दिशा-निर्देशों का संकलन है।** ○ यह निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों द्वारा **राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करती है।** • **इसके अलावा, तिरंगे की कीमत में कटौती करने के लिए FCI 2002 में भी सुधार किए गए हैं:** ○ **संशोधन** राष्ट्रीय ध्वज के उत्पादन में **मशीन-निर्मित पॉलिएस्टर का उपयोग** करने की अनुमति प्रदान करते हैं। ○ इससे पहले, **केवल हाथ से काते और बुने गए खादी निर्मित ध्वजों की ही अनुमति थी।** • FCI तिरंगे के **अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति** तब तक देता है, जब तक ध्वज की प्रतिष्ठा और गरिमा का सम्मान किया जा रहा है। ○ **इसे तीन भागों में बांटा गया है:** ▪ तिरंगे का **एक सामान्य विवरण,** ▪ **सार्वजनिक और निजी निकायों** तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदर्शन **पर नियम,** ▪ सरकार और सरकारी निकायों द्वारा प्रदर्शन के लिए नियम।
भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 2016 (NBC 2016) {National Building Code (NBC), India 2016}	• हाल ही में, **उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने** NBC, 2016 का उपयोग करने के लिए **'विद्युत प्रतिष्ठानों में सुरक्षा पर पुस्तिका और गाइड'** जारी की है। • NBC, 2016 एक प्रकार का तकनीकी दस्तावेज है। इसमें **भवनों की योजना, डिजाइन, निर्माण एवं परिचालन तथा रखरखाव** से संबंधित सभी प्रावधानों को शामिल किया गया है। ○ इस संहिता के प्रावधानों का अनुपालन **भवनों से संबंधित सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा, सुगम्यता और संधारणीयता संबंधी आवश्यक मानक सुनिश्चित** करता है। ○ इसे **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** ने डिजाइन किया है।

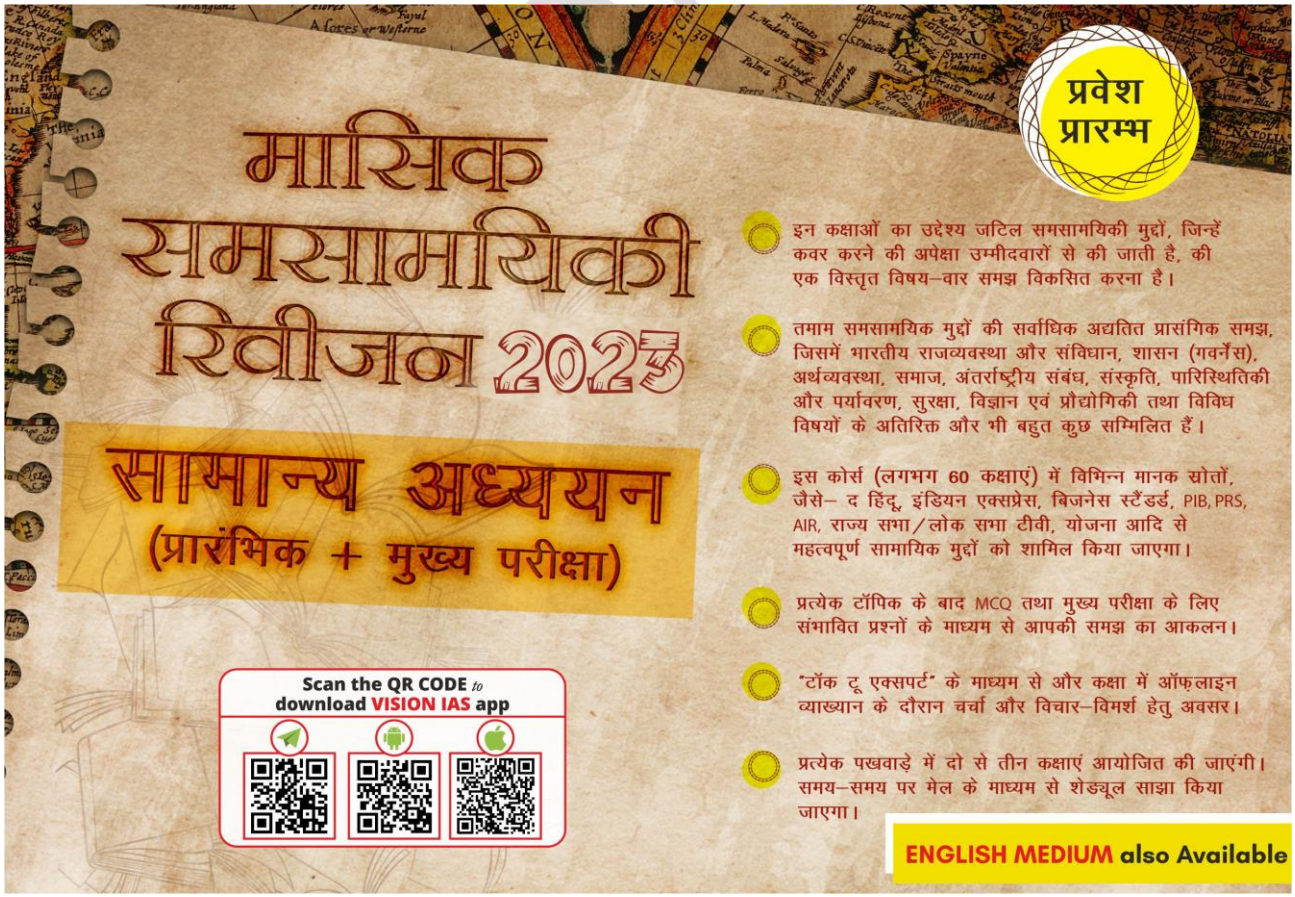

© Vision IAS

7. सुर्ख़ियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक/ सांविधिक/ कार्यकारी निकाय {Important Constitutional/Statutory/Executive Bodies in News}

7.1. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India: UIDAI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- संशोधित नियमों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि नामांकन की तारीख से 10 वर्ष पूरे होने पर आधार धारक **सहायक दस्तावेजों को "कम-से-कम एक बार" अपडेट** करेंगे।
- संशोधन से **केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (CIDR)[31] में आधार से संबंधित जानकारी की निरंतर सटीकता** सुनिश्चित होगी।
  - CIDR एक केंद्रीकृत डेटाबेस है, जिसमें -
    - आधार धारकों को जारी किए गए **सभी आधार नंबर,** तथा
    - ऐसे व्यक्तियों की **कॉरस्पान्डिंग जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक** जानकारी दर्ज होती है।

संबंधित तथ्य

फोरेंसिक के लिए आधार का बायोमेट्रिक डेटा

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने स्पष्ट किया है कि आधार के लिए एकत्र किए गए **बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग अपराधियों की पहचान करने या अपराधों को सुलझाने के लिए नहीं** किया जा सकता। इसका कारण यह है कि यह **फोरेंसिक उद्देश्यों के लिए बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र नहीं करता** है।
- इसके अतिरिक्त, आधार संख्या सृजन और प्रमाणीकरण के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए **बायोमेट्रिक जानकारी को साझा करना या उपयोग करना, आधार अधिनियम, 2016** के तहत अनुमत है।

7.2. केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission: CIC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सूचना के अधिकार (RTI) के तहत की गई अपीलों के निपटान में लगातार वृद्धि हुई है।** इसके कारण केंद्रीय सूचना आयोग (CIS) के पास **लंबित RTI मामलों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई है।**

[31] Central Identities Data Repository

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- इसे सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 के स्थान पर लागू किया गया था।
- RTI अधिनियम **नागरिकों को सशक्त बनाता है, लोक प्राधिकारियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है तथा भ्रष्टाचार को रोकता है।** इस प्रकार यह हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में जनता के लिए काम करने योग्य बनाता है।
- RTI अधिनियम 2005 के अनुसार, **CIC और IC (केंद्रीय स्तर पर) का वेतन क्रमशः मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों के वेतन के बराबर होगा।**
  - हालांकि, **RTI अधिनियम 2019 द्वारा इन प्रावधानों को समाप्त** कर दिया गया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार **CIC और IC के वेतन एवं कार्यकाल के निर्धारण का अधिकार** केंद्र सरकार को प्रदान कर दिया गया है।

RTI के तहत छूट में निम्नलिखित शामिल हैं:

- अधिनियम की धारा 8(1) किसी लोक प्राधिकरण को निम्नलिखित आधारों पर सूचना प्रकट करने हेतु बाध्य नहीं करती है:
  - राज्य की सुरक्षा और सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित,
  - किसी सूचना के प्रकाशन से न्यायालय का अवमान होता है,
  - मंत्रिपरिषद के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड आदि।
- **धारा 24 के तहत,** केंद्र सरकार द्वारा स्थापित ख़ुफ़िया या सुरक्षा संगठनों (जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं) को सूचना के प्रकटन से बाहर किया गया है। हालांकि, भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में सूचना प्रदान करनी होगी।

7.3. भारत की जांच एजेंसियां (India's Investigative Agencies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) जैसी विभिन्न जांच एजेंसियों को एक छत के नीचे लाने के लिए एक **"स्वतंत्र अम्ब्रेला संस्थान" के गठन का सुझाव दिया है।**

भारत में जांच एजेंसियां

© Vision IAS

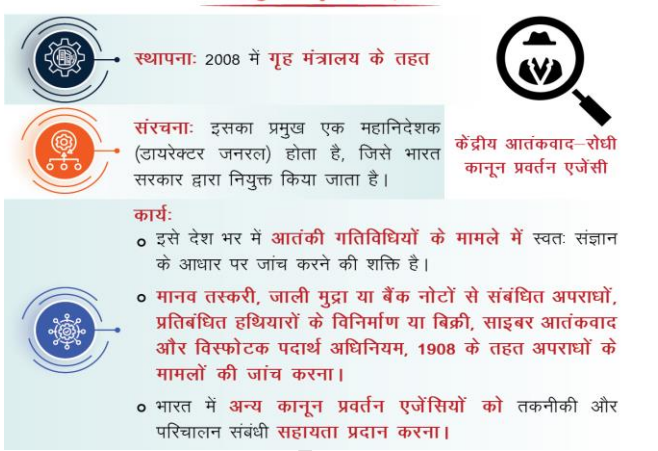

CBI तीन तरह के मामलों की जांच करती है:

- **भ्रष्टाचार विरोधी:** ऐसे मामले आमतौर पर लोक अधिकारियों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध पंजीकृत होते हैं।
  - **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों** की जांच से संबंधित **CBI का अधीक्षण** केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के पास है।
- **विशेष अपराध:** राज्य सरकारों के अनुरोध पर या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर भारतीय दंड संहिता के तहत **गंभीर और संगठित अपराध** की जांच।
- **आर्थिक अपराध:** वित्तीय कदाचार, बैंक धोखाधड़ी, धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग), काले धन के संचालन आदि से संबंधित अपराध। हालांकि, CBI आमतौर पर **धन शोधन के मामलों को ED को हस्तांतरित कर देती है।**
- **स्वत: संज्ञान:** CBI **केवल संघ शासित प्रदेशों में** अपराधों की स्वत:संज्ञान से जांच कर सकती है।
  - **केंद्र सरकार संबंधित राज्य की सहमति के बाद ही** CBI को राज्य में किसी अपराध की जांच के लिए अधिकृत कर सकती है।
  - हालांकि, **सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट CBI** को राज्य की सहमति के बिना देश में **कहीं भी किसी अपराध की जांच करने का आदेश दे सकते हैं।**

7.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC)

- हाल ही में, सुरेश पटेल ने नए CVC के रूप में कार्यभार संभाला है।

भारतीय प्रेस परिषद (PCI)

- सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश **रंजना प्रकाश देसाई PCI की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं।**

8. गवर्नेंस या अभिशासन के महत्वपूर्ण पहलू (Important Aspects of Governance)

8.1. शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies: ULBs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022** को अधिनियमित किया गया है। इसमें **दिल्ली के तीन नगर निगमों (MCD) का विलय करके पुन: एक नगर निगम गठित करने** का प्रावधान किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 के द्वारा 'दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957' में संशोधन किया गया है।** इस संशोधन के द्वारा अधिनियम में 2011 से पहले के उस संशोधन को पूर्णत: निष्प्रभावी किया गया है जिसके द्वारा दिल्ली नगर निगम को तीन अलग-अलग नगर निगमों, अर्थात उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विभाजित किया गया था।
- इस विभाजन को सर्वप्रथम **1987 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट** में प्रस्तावित किया गया था। साथ ही 2001 में वीरेंद्र प्रकाश समिति की रिपोर्ट से इसे पुनः बल प्रदान किया गया था।
- **संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत,** संसद को किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें ऐसे विषय भी शामिल हैं, जिन पर विधान सभा कानून बना सकती है।

नगर निगमों के बारे में:

- नगर निगम **भारत में शहरी स्थानीय स्तर पर संचालित सरकार का एक रूप है जो दस लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों के विकास के लिए कार्य करती है।**
  - इन्हें महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम, नगर निगम परिषद आदि भी कहा जाता है।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
  - **पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में स्थापित किया गया था।** इसके बाद **1726 में बॉम्बे और कलकत्ता** में इसी तरह के नगर निगमों की स्थापना की गई थी।
  - भारत के वायसराय **लॉर्ड रिपन (1880-84)** ने नगर निगमों में निर्वाचन की शुरुआत की। इसलिए इन्हे **"भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता"** के रूप में जाना जाता है।
- एक **सामान्य ढांचा प्रदान करने और स्व-शासन की प्रभावी इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को सुदृढ़ करने** के लिए **74 वें संशोधन अधिनियम, 1992** को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा **संविधान में भाग IX-A शामिल किया गया** जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं के प्रशासन से संबंधित है।

© Vision IAS

- इनके **राजस्व के स्रोतों** में संपत्ति कर, जल कर, पेशेवर कर, ड्रेनेज टैक्स आदि और राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल हैं।
- नगर निगम के **सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इन सदस्यों को पार्षद के रूप में जाना जाता** है।
  - नगर निगमों के निर्वाचन **राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन, निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण** में आयोजित किए जाते हैं।
- राज्यों में नगर निगमों की स्थापना **संबंधित राज्य विधान सभाओं के अधिनियमों द्वारा** और **संघ राज्य क्षेत्रों में भारत की संसद के अधिनियमों द्वारा** की जाती है।

8.2. स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की लेखापरीक्षा (Audit of Local Self Government)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कैग (CAG) जिला स्तर तक अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की योजना बना रहा है। इसके पीछे उद्देश्य त्रिस्तरीय **पंचायती राज संस्थानों (PRIs)**[32] की **लेखा परीक्षा** व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्तमान में **CAG के कार्यालय राज्यों की राजधानियों** में स्थित हैं। CAG का **महालेखाकार कार्यालय**[33] राज्य सरकारों के लेखाओं के लेखा परीक्षण के लिए जिम्मेदार है।
- सरकारी विभाग संचित निधि से धन प्राप्त करते हैं, जबकि PRIs **बैंक या राजकोष (ट्रेजरी)** में बनाए गए अलग खातों से धन प्राप्त करती हैं।
- प्राप्त जानकारी के अनुसार, CAG ने **अब सभी सरकारी खर्चों की निगरानी के लिए** अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करने का फैसला किया है। भले ही व्ययों के लिए धन संचित निधि से या राजकोष से निकाला गया हो।
  - PRIs **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971**[34] के तहत लेखापरीक्षा के दायरे में आते हैं।

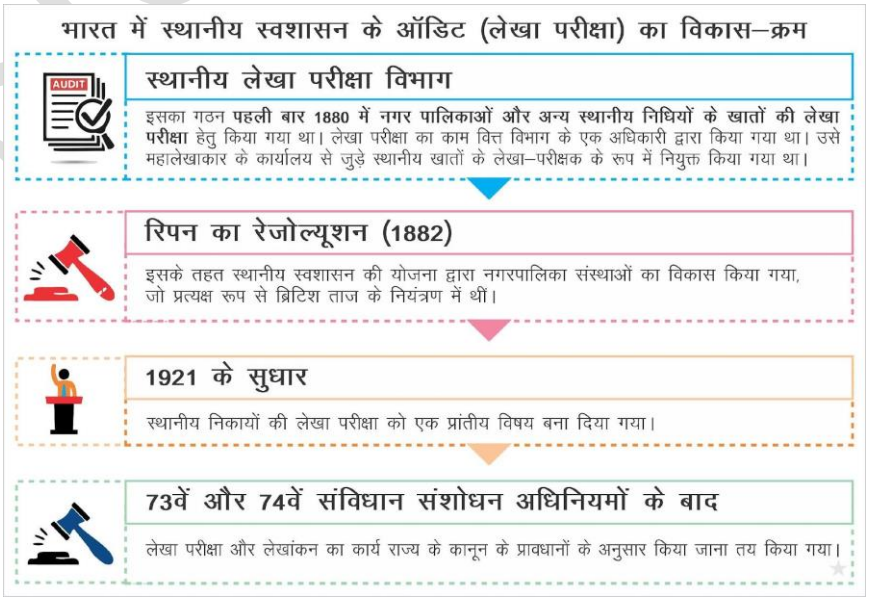

[32] Panchayati Raj Institutions:

[33] Accountant General's Office

[34] Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971

स्थानीय स्वशासन और इसकी लेखा परीक्षा के बारे में

- संसद ने 1992 में **73वां और 74वां संविधान संशोधन** पारित किया था। इसने राज्य सरकारों के लिए प्रत्येक क्षेत्र में **पंचायतों** (गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर) तथा **नगर पालिकाओं** (नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पंचायतों के रूप में) का गठन करना अनिवार्य कर दिया था।
- इसने स्थानीय सरकारों को कार्यों, फंड्स और अधिकारियों के हस्तांतरण के जरिए **संघीय ढांचे में शासन के तीसरे स्तर की स्थापना** की थी।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 243J:** किसी राज्य का विधान-मंडल, कानून के माध्यम से **पंचायतों** द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखापरीक्षा के बारे में प्रावधान कर सकेगा।
  - **अनुच्छेद 243Z:** किसी राज्य का विधान-मंडल, कानून के माध्यम से **नगर पालिकाओं** द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखापरीक्षा के बारे में प्रावधान कर सकेगा।

8.3. भारत में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण (Digitalisation of Land Records in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

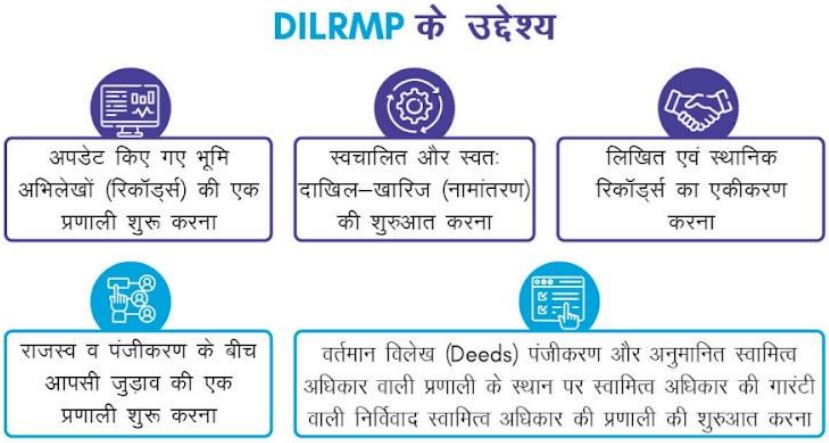

भारत में **भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण** को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से स्थानीय सर्वर स्थापित करने और उप-पंजीयक कार्यालयों[35] में इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए कहा है।

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

- सरकार **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)**[36] के तहत एक ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली स्थापित करने की भी योजना बना रही है।
  - इस कार्यक्रम को **केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

DILRMP के बारे में:

- यह **2016** में शुरू की गई **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- DILRMP के **3 प्रमुख घटक** हैं:
  - भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण;
  - सर्वेक्षण/ पुनः सर्वेक्षण; और
  - पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण।

भारत में भूमि के स्वामित्व को कैसे मान्यता दी जाती है?

भारत में भू-स्वामित्व को अलग-अलग दस्तावेजों के माध्यम से मान्यता दी जाती है। इनमें शामिल हैं-

- **रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स (अधिकार अभिलेख):** इसमें भूमि धारक का नाम, भूखंडों की संख्या और उनका आकार तथा राजस्व दर (कृषि भूमि के लिए) जैसे विवरण शामिल होते हैं।
- **पंजीकृत बिक्री विलेख (Registered Sale Deed):** इससे यह साबित हो सकता है कि संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेची गई है और ऐसी

[35] Sub-registrar Offices

[36] Digital India Land Records Modernization Programme

 © Vision IAS

बिक्री पर करों का भुगतान किया गया है।

- **सर्वेक्षण दस्तावेज:** यह भू-संपत्ति की सीमाओं और क्षेत्रफल को दर्शाता है। इससे यह भी साबित किया जा सकता है कि उक्त संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है।
- **संपत्ति कर की रसीदों** से भी भू-स्वामित्व का पता चलता है।

डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए किए गए अन्य उपाय

- **राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (National Generic Document Registration System: NGDRS):** यह पंजीकरण प्रणाली के लिए NIC[37] द्वारा विकसित एक इन-हाउस उन्नत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है।
- **विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या प्रणाली (ULPIN)[38]:** यह 14 अंकों की एक पहचान संख्या है, जो देश में प्रत्येक भूखंड को आवंटित की जाती है। यह संख्या भूखंड के 'कोनों के भू-संदर्भित निर्देशांकों[39]' पर आधारित होती है।
- **भू-नक्शा (BhuNaksha):** यह डिजिटल भू-संपत्ति मानचित्रण के लिए एक साधन है।
- **'स्वामित्व' अर्थात् गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (SVAMITVA)[40]:** इस योजना का उद्देश्य ड्रोन जैसी नवीनतम सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी वाली भूमि का सीमांकन करना और **रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स/ संपत्ति कार्ड** प्रदान करना है।
- **संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स (RoR) उपलब्ध कराए जा रहे हैं।**
- **राज्य स्तर पर प्रयास:**
  - **'भूमि' (Bhoomi) परियोजना:** यह केंद्र और कर्नाटक सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त-पोषित एक परियोजना है। इसका उद्देश्य कर्नाटक में कागजी भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना और भूमि रजिस्ट्री में हुए परिवर्तन को दर्ज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रणाली तैयार करना है।
  - **तेलंगाना की 'धरनी' (Dharani) परियोजना:** यह RoR डेटा को व्यक्तिगत भूखंड के मानचित्रों के साथ एकीकृत करती है।

8.4. सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण {Localisation of Sustainable Development Goals (SDGs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के साथ **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के स्थानीयकरण** पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

SDGs तथा उनके स्थानीयकरण के बारे में

- SDGs **17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** का एक समुच्चय है। ये लक्ष्य **गरीबी उन्मूलन, असमानता और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष तथा 2030 तक जलवायु परिवर्तन से निपटने** से संबंधित हैं।
  - SDGs को **2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन** में अपनाया गया था।
- SDGs का स्थानीयकरण **SDGs की प्राप्ति में उप-राष्ट्रीय संदर्भों को ध्यान में रखने** की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:
  - **स्थानीय विकास नीति के लिए एक ढांचा** प्रदान करने हेतु SDGs का उपयोग करना, और

[37] National Informatics Centre / राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

[38] Unique Land Parcel Identification Number:

[39] Georeference Coordinate of Vertices

[40] Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas

- यह **पहचान करना कि** स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों की **बॉटम-अप कार्रवाइयां** SGDs की प्राप्ति का समर्थन कैसे कर सकती हैं।

SDGs के स्थानीयकरण हेतु किए गए प्रयास

- भारत में, SDGs के **कार्यान्वयन हेतु समग्र समन्वय नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नीति आयोग** द्वारा किया जाता है, जिसके **दो अधिदेश** हैं:
  - देश में SDGs के **अंगीकरण तथा निगरानी** का **निरीक्षण करना**, और
  - राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के बीच **प्रतिस्पर्धी** एवं **सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।**
- इनके लिए, **नीति आयोग ने 2018 में वार्षिक 'एसडीजी इंडिया इंडेक्स' का शुभारंभ किया।** यह SDGs और **SDGs के स्थानीयकरण पर आठ चरणों के माध्यम से** राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की प्रगति की निगरानी करता है।

संबंधित तथ्य

पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (LSDGs) के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

- गुजरात के **आणंद स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान** के साथ इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों (PRIs) के माध्यम से SDGs के स्थानीयकरण के लिए **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)** में सहयोग करना है।
- पंचायती राज मंत्रालय **GPDP के माध्यम से पहचाने गए उन SDGs के संबंध में कार्रवाई कर** रहा है, जिनमें संबंधित SDGs को प्राप्त करने के लिए अलग-अलग योजनाओं को सम्मिलित करके भागीदारीपूर्ण नियोजन शामिल है।
- GPDP प्रक्रिया का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के संवैधानिक लक्ष्यों को पूरा करना है। इनमें शामिल हैं- **आर्थिक विकास प्राप्त करना और जमीनी स्तर पर सामाजिक न्याय सुरक्षित करना।**

8.5. स्पोर्ट्स गवर्नेंस या खेल अभिशासन (Sports Governance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) के मामलों पर सुनवाई करते हुए **प्रशासकों की समिति (CoA)**[41] को भंग कर दिया। इसके बाद **फीफा परिषद ब्यूरो**[42] **ने AIFF** पर लगा हुआ निलंबन हटा लिया है।

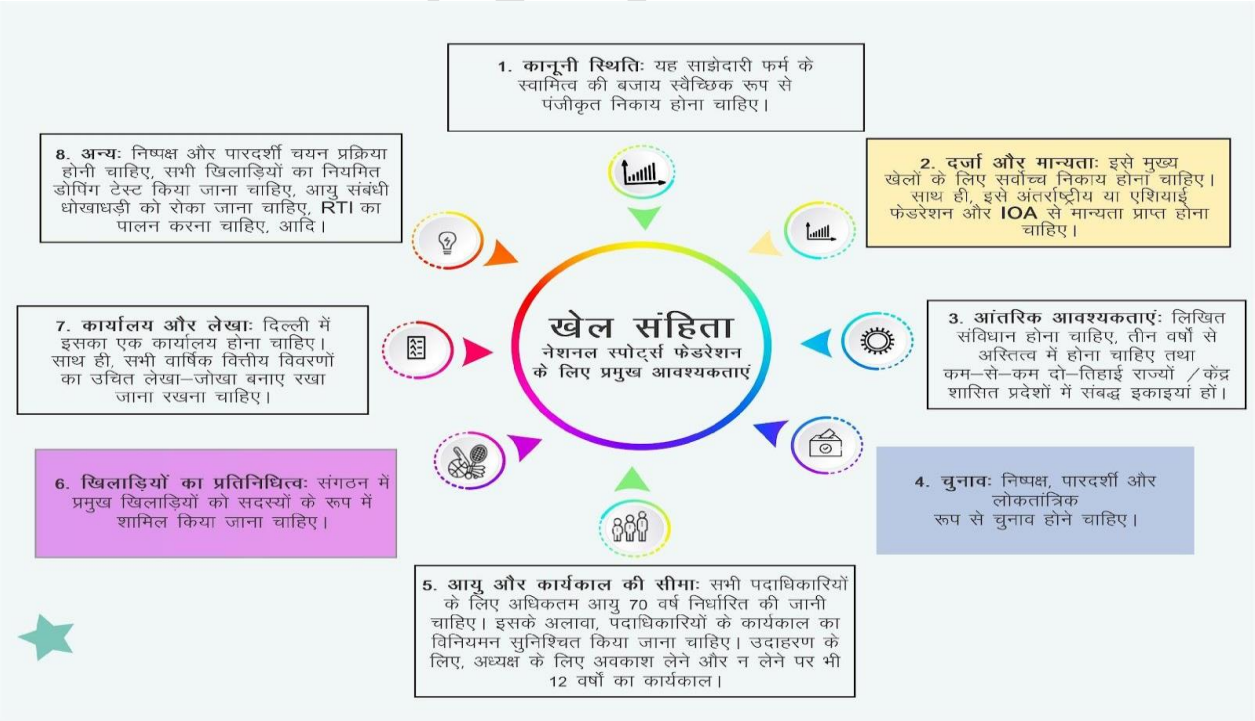

[41] Committee of Administrators

[42] Bureau of FIFA Council

अन्य संबंधित तथ्य

- प्रशासकों की समिति (CoA) की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने ही की थी। इस समिति का कार्य **AIFF के मामलों** का प्रबंधन करना था। साथ ही, इसे **राष्ट्रीय खेल संहिता** एवं **आदर्श दिशा-निर्देशों** के अनुरूप AIFF के संविधान का निर्माण करने का कार्य भी सौंपा गया था।
- **AIFF पर लगे निलंबन** को समाप्त करने के लिए फीफा ने यह अनिवार्य शर्त रखी थी कि **CoA को भंग** किया जाए। इसका कारण यह था कि इस समिति का AIFF के दैनिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण था।
    - AIFF के प्रशासन में किसी **"तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव"** को देखते हुए फीफा ने इसे निलंबित कर दिया था। तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को फीफा-कानूनों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है।

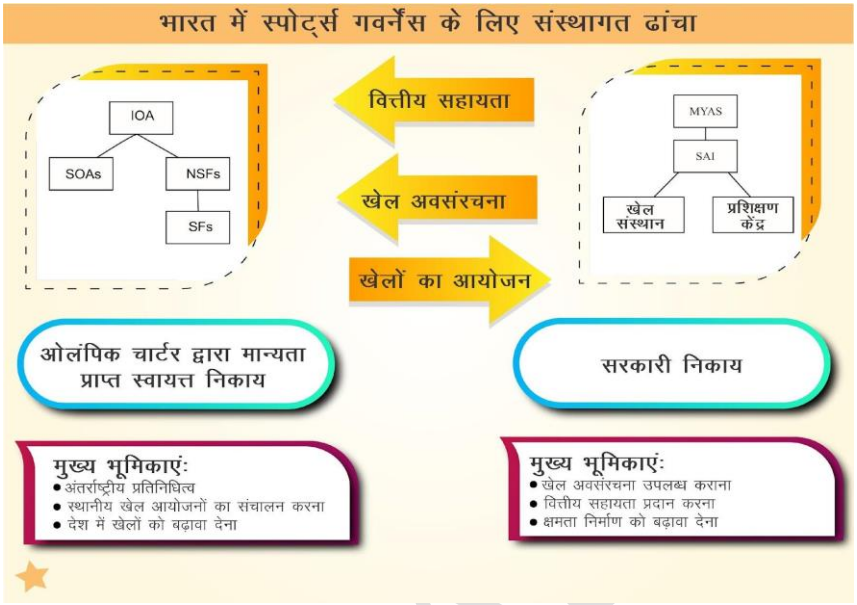

भारत में स्पोर्ट्स गवर्नेंस एवं प्रशासन

- भारत में, निरीक्षण की प्रक्रिया और डायरेक्शन के सामान्य तौर पर **दो पक्ष** हैं (इन्फोग्राफिक देखिए):
    - **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय** तथा इसके अधीनस्थ संगठन (जैसे- भारतीय खेल प्राधिकरण); तथा
    - **ओलंपिक चार्टर के तहत आने वाले खेल संगठन;** जैसे- **भारतीय ओलंपिक संघ (IOA), राज्य ओलंपिक संघ (SOA), राष्ट्रीय खेल संघ (NSF)** आदि।
        - क्रिकेट जैसे **गैर-ओलंपिक खेलों** से संबंधित संगठनों **(जैसे- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड)** का उनसे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संघों से प्रत्यक्ष संबंध है।

संबंधित तथ्य

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता (NSDCI) का पालन नहीं करने वाले खेल निकायों का वित्त-पोषण बंद करे।

- इस आदेश ने केंद्र को उन राष्ट्रीय खेल संघों (NSFs) को **अनुदान, निधि और संरक्षण** देने से रोक दिया है, जो **NSDCI, 2011** का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।
    - 2014 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने **NSDCI** को खेल निकायों के लिए **देश का कानून** (लॉ ऑफ़ द लैंड) घोषित किया था।
- NSDCI, राष्ट्रीय खेल संघों के लिए 1975 से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों का एक सेट है।
    - NSDCI खेलों के प्रचार और विकास में शामिल **अलग-अलग एजेंसियों की जिम्मेदारी** के क्षेत्रों को परिभाषित करता है।
    - यह संहिता के तहत कवरेज के लिए **पात्र NSFs की पहचान** करता है। साथ ही, उनकी प्राथमिकताएं निर्धारित करता है। यह फेडरेशन द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रियाओं का विवरण देता है।
    - यह सरकारी मान्यता और अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता की शर्तों को वर्णित करता है।
- NSFs अनुशासन के समग्र **प्रबंधन, निर्देशन, नियंत्रण, विनियमन, पदोन्नति, विकास और स्पॉन्सरशिप** के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार तथा जवाबदेह हैं। इन्हीं आधारों पर इन्हें संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है।

8.6. एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी का इस्तीफा और उसकी पुनर्बहाली के नियम {Rules For Resignation and Reinstatement of An Indian Administrative Service (IAS) Officer}

सुर्ख़ियों में क्यों?

2019 में IAS पद से इस्तीफा देने वाले एक अधिकारी को **पुनर्बहाल** कर दिया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- अखिल भारतीय सेवाओं- **IAS, भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा** के किसी एक अधिकारी का इस्तीफा **अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह -सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 (Death-cum-Retirement Benefits: DCRB) के नियम 5(1) और 5(1)(A) द्वारा शासित होता है।**
  - **अन्य केंद्रीय सेवाओं से संबंधित अधिकारियों के इस्तीफे** के लिए भी इसी तरह के नियम हैं।

इस्तीफा प्रस्तुतीकरण के बाद वापस लेने के नियम:

- DCRB नियमों (2011 में संशोधित) के अनुसार, केंद्र सरकार किसी अधिकारी को **"जनहित में"** अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दे सकती है।
  - यदि कोई अधिकारी, जिसने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया है, **सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी स्वीकृति से पहले उसे वापस लेने की लिखित सूचना भेजता है,** तो इस्तीफा **स्वतः वापस** ले लिया गया समझा जाएगा।
  - केंद्र सरकार द्वारा इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि:
    - **एक सदस्य किसी भी राजनीतिक दल** या किसी भी संगठन से जुड़ा हो और राजनीति में भाग लेता हो
    - एक सदस्य **किसी भी राजनीतिक आंदोलन या राजनीतिक गतिविधि** में भाग लेता है, या किसी अन्य तरीके से सहायता करता है, या **किसी विधायिका या स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव** के संबंध में प्रचार करता है या अपने प्रभाव का उपयोग करता है या भाग लेता है।
- **एक IAS अधिकारी का इस्तीफा प्रस्तुत किया जाना चाहिए-**
  - राज्य में सेवारत अधिकारी के मामले में **राज्य के मुख्य सचिव** के समक्ष।
  - एक अधिकारी जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, के मामले में **संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव के समक्ष।**
- संबंधित संवर्ग/राज्य की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद ही **सक्षम प्राधिकारी** अर्थात् **केंद्र सरकार अधिकारी के इस्तीफे पर विचार करती है।** ये **सक्षम प्राधिकारी हैं-**
  - IAS के संबंध में **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) में राज्य मंत्री**,
  - IPS के संबंध में **गृह मंत्री,** और
  - वन सेवा के संबंध में **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री।**

8.7. सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक (National Standards for Civil Service Training Institutions: NSCSTI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय** ने NSCSTI के लिए राष्ट्रीय मानकों की शुरुआत की है।

NSCSTI के बारे में

- NSCSTI को **'क्षमता निर्माण आयोग' (CBC)**[43] के मुख्यालय में विकसित किया गया है।
  - इसके साथ राष्ट्रीय मानकों के लिए अप्रोच पेपर और वेब-पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया।

[43] Capacity Building Commission

- **भारत,** ऐसा करने वाला **विश्व का पहला देश** बन गया है। इसने **राष्ट्रीय स्तर पर सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक** बनाने हेतु एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत किया है।
  - भारत में उच्चतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण के क्षेत्र में मानक एवं प्रत्यायन (Accreditation) पहले से ही मौजूद हैं।

- ये मानक 21वीं सदी की उभरती चुनौतियों से निपटने में सिविल सेवकों की मदद करने के लिए **केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (CTIs)**[44] को सक्षम करेंगे।

NSCSTI के उद्देश्य:

- NSCSTI, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उनकी **वर्तमान क्षमता, उनकी गुणवत्ता और प्रशिक्षण देने की क्षमता** को बढ़ाने तथा **प्रशिक्षण के लिए मानकों में सामंजस्य बिठाने** के लिए एक आधार तैयार करेगा।
- यह प्रशिक्षण संस्थानों के लिए **उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास** करने की आकांक्षाओं को भी निर्धारित करेगा।

सिविल सेवकों के कामकाज में सुधार के लिए की गई पहलें

- **मिशन कर्मयोगी:** यह एक **एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (iGOT) प्लेटफॉर्म है**। इसके तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को उनकी रैंक को ध्यान में रखे बिना उनके कार्य क्षेत्रों के आधार पर निरंतर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
  - इसका उद्देश्य न्यू इंडिया के विज़न के अनुसार एक **उचित दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान** के साथ **'भविष्य के लिए तैयार' सिविल सेवा** का निर्माण करना है।
- **आरंभ (Aarambh):** इसे भारत सरकार ने शुरू किया है। यह सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए प्रथम कॉमन फाउंडेशन पाठ्यक्रम है।
- **राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति:** इसे 1996 में अपनाया गया था और 2012 में इसकी समीक्षा की गई थी। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
  - नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी एक **पेशेवर, निष्पक्ष और कुशल सिविल सेवक** तैयार करना;
  - यह सुनिश्चित करना कि सिविल सेवकों के पास आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण हो, जिससे वे अपने निर्धारित कार्यों को करने में सक्षम हों।
- **लैटरल एंट्री:** इसके तहत केवल पदोन्नति के माध्यम से नियमित सिविल सेवकों की नियुक्ति करने की बजाय, प्रशासनिक पदानुक्रम के **मध्य या वरिष्ठ स्तर पर संबंधित कार्यक्षेत्र के विशेषज्ञों को प्रत्यक्ष** रूप से शामिल किया जाता है।

[44] Central Training Institutions

8.8. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

<table>
<tr>
<td>पुलिस आयुक्त प्रणाली (Police Commissionerate System: PCS)</td>
<td>

आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस आयुक्त प्रणाली (PCS)[45] लागू की जाएगी।
पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित करने का निर्णय जनसंख्या वृद्धि, धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व, पर्यटन, बेहतर पुलिस व्यवस्था और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

यह प्रणाली लागू करने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के नियमों के अनुसार उपर्युक्त जिलों को महानगरीय शहर घोषित किया जाएगा।
इससे पहले, लखनऊ और नोएडा तथा इनके बाद कानपुर एवं वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित की गई थी।

<table>
<tr><th>पुलिस आयुक्त प्रणाली (PCS)[46]</th><th>दोहरी कमान प्रणाली (DCS)[47]</th></tr>
<tr>
<td>

पुलिस आयुक्त (CP) एकीकृत पुलिस कमान संरचना का प्रमुख होता है। वह शहर में पुलिस बल की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी होता है तथा राज्य सरकार व राज्य पुलिस प्रमुख के प्रति जवाबदेह होता है।

CP के पद पर उप-महानिरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक वाले अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। उसे विशेष/संयुक्त/अपर/उपायुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
ऐसे पुलिस अधिकारी के पास निवारक गिरफ्तारी, CrPC अधिनियम की धारा 144 लागू करने और आवश्यकतानुसार कार्यवाही शुरू करने की शक्तियां होती हैं।

इस पद को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शक्तियां व कर्तव्य भी प्राप्त होते हैं। ये शक्तियां विनियमन, नियंत्रण और लाइसेंसिंग से संबंधित होती हैं।
पुलिस सुधारों पर सुझाव देने के लिए गठित अलग-अलग समितियों ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की है।

</td>
<td>

इस प्रणाली के तहत जिले में जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) शक्तियों एवं जिम्मेदारियों को साझा करते हैं।

DM को गिरफ्तारी वारंट व लाइसेंस जारी करने का कार्य सौंपा जाता है, जबकि SP के पास अपराध की जांच करने और गिरफ्तारी करने की शक्तियां एवं जिम्मेदारियां होती हैं।

इस व्यवस्था को शक्तियों के केंद्रीकरण को कम करने और जिला स्तर पर पुलिस को DM के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए स्थापित किया गया है।

</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रोबिटी पोर्टल (Probity Portal: PP)</td>
<td>

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT)[48] ने एक नया पुनर्निर्मित प्रोबिटी पोर्टल लॉन्च किया है।

प्रोबिटी का आशय ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, शुचिता, पारदर्शिता और सच्चरित्रता जैसे मजबूत नैतिक सिद्धांतों को अपनाने तथा उनका सख्ती से पालन करने से है।

प्रोबिटी पोर्टल को 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सभी मंत्रालयों/ विभागों/ स्वायत्त संगठनों/ सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों से निम्नलिखित के संबंध में डेटा प्राप्त करना है:

अभियोजन (Prosecution) की मंजूरी के लिए लंबित मामलों की संख्या।
रोटेशनल स्थानांतरण नीति का कार्यान्वयन।
दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की संख्या।

DoPT ने अब इस पोर्टल को एक नया रूप दिया है। इसमें उपयोगकर्ताओं के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए अनेक नई विशेषताओं को जोड़ा गया है।

</td>
</tr>
</table>

[45] Police Commissionerate System

[46] Police Commissionerate System

[47] Dual Command System

[48] Department of Personnel and Training

© Vision IAS

मेघालय उद्यम स्थापत्य परियोजना (Meghalaya Enterprise Architecture Project: MeghEA/ मेघईए)	• हाल ही में, मेघईए (MeghEA) की ई-प्रस्ताव प्रणाली ने **संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार - वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम (WSIS), 2022** प्राप्त किया है। • मेघईए परियोजना का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों की शक्ति का उपयोग करने वाले लोगों के लिए **सेवा वितरण और अभिशासन में सुधार** करना है। ○ इसे **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** तथा मेघालय सरकार ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। ○ इसका लक्ष्य 2030 तक **मेघालय को एक उच्च आय वाला राज्य** बनाना है। • यह **अपनी तरह की पहली परियोजना** है, जो **भारत के राष्ट्रीय उद्यम स्थापत्य (IndEA/ इंडईए) फ्रेमवर्क** पर आधारित है।
इंटरनेट के भविष्य पर वैश्विक घोषणा-पत्र (Global declaration on future on Internet)	• यह घोषणा-पत्र इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के लिए **सकारात्मक दृष्टि** के विकास हेतु भागीदारों के बीच एक **राजनीतिक प्रतिबद्धता** है। इसका उद्देश्य **इंटरनेट को खुला, स्वतंत्र और तटस्थ बनाये रखना** है। ○ इस घोषणा-पत्र पर लगभग **60 देशों/संगठनों ने हस्ताक्षर किए** हैं। इनमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और फ्रांस शामिल हैं। **भारत, चीन और रूस** उन बड़े देशों में शामिल हैं, जो इस **घोषणा का हिस्सा नहीं** हैं। • इससे पहले, **"द रिटर्न ऑफ डिजिटल ऑथॉरिटेरियनिज्म: इंटरनेट शटडाउन"** शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्यों को रेखांकित किया गया था: ○ **इंटरनेट शटडाउन** करने वाले देशों की संख्या 2020 के **29 से बढ़कर 2021 में 34** हो गई। ○ **भारत** 2021 में **लगातार चौथे वर्ष इंटरनेट शटडाउन लगाने वाला शीर्ष देश** था। • भारत ने **बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, 2001** पर भी हस्ताक्षर नहीं किये हैं। ○ बुडापेस्ट कन्वेंशन के तहत **डेटा साझा** करने वाले प्रावधान **राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन** करते हैं। ○ वर्तमान में, यह साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर **कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र बहुपक्षीय कन्वेंशन** है। • **भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रावधान:** ○ वर्तमान में, दूरसंचार सेवाओं का निलंबन (इंटरनेट शटडाउन सहित) **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885** के तहत अधिसूचित **दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन (लोक आपात और लोक सुरक्षा) नियम, 2017** द्वारा शासित है। ○ 2017 के नियम **लोक आपात स्थिति के आधार** पर किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने **(एक बार में 15 दिन तक)** का प्रावधान करते हैं। • संयुक्त राष्ट्र ने **गंभीर परिणामों की चेतावनी** देते हुए देशों से इंटरनेट शटडाउन से बचने का आह्वान किया है।
विश्व बैंक का वर्ल्डवाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स {World Bank's Worldwide Governance Indicators (WGI)}	• विश्व बैंक के WGI के विश्लेषण में **भारत के स्कोर सभी संकेतकों में उसके समकक्षों के मुकाबले "काफी कम"** हैं। यह विश्लेषण भारत की सॉवरेन रेटिंग के लिए एक प्रमुख आधार है। • **WGI के बारे में:** ○ WGI रिपोर्ट **1996-2020** की अवधि में 200 से अधिक देशों और राज्यक्षेत्रों के लिए **समग्र एवं व्यक्तिगत अभिशासन संकेतकों (गवर्नेंस इंडिकेटर्स) के बारे में** सूचना देती है। ○ ये संकेतक **शासन के 6 आयामों पर** आधारित हैं। इसमें सर्वेक्षण के माध्यम से औद्योगिक और विकासशील देशों में बड़ी संख्या में उद्यम, नागरिक तथा विशेषज्ञों की सामूहिक राय को शामिल किया जाता है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, 2022 {World Press Freedom Index (WPFI), 2022}	• **प्रकाशन:** इसे एक गैर-लाभकारी संगठन **रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स** (RSF) द्वारा प्रकाशित किया जाता है। • यह सूचकांक प्रत्येक देश में **पत्रकारों, समाचार संगठनों और नेटिज़न्स की स्वतंत्रता की सीमा** को रेखांकित करता है। साथ ही, ऐसी स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डालता है। ○ इसमें **रैंकिंग 0 से 100 तक के स्कोर पर** आधारित होती है। इसमें **100 को सर्वोत्तम संभव स्कोर** (प्रेस की स्वतंत्रता का उच्चतम संभव स्तर) और 0 को **सबसे खराब** माना जाता है। ○ **मूल्यांकन मानदंड में 5 संकेतक शामिल हैं:** राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। • 2022 के सूचकांक में भारत 180 देशों में से 150वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भारत 142वें स्थान पर था।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट, 2021 {National E-Governance Service Delivery Assessment (NeSDA) 2021 Report}	• कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने **2019 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (NeSDA)** का गठन किया था। इसका उद्देश्य **ई-गवर्नेंस सेवा वितरण की गहराई और प्रभावशीलता** पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्रालयों का आकलन करना है। ○ ई-गवर्नेंस सरकार के सभी स्तरों पर **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग** है। यह नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के अन्य अंगों के मध्य परस्पर **संबंधों में बदलाव** लाने पर केंद्रित है। • NeSDA एक निश्चित अवधि में किया जाने वाला **आंकलन है। इसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं के वितरण में राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना है।** ○ इसे 2021 में नैसकॉम तथा KPMG इंटरनेशनल लिमिटेड के सहयोग से **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने आयोजित** किया था। ○ **मूल्यांकन के चार मुख्य मापदंड:-** ▪ पहुंच, ▪ सामग्री उपलब्धता, ▪ उपयोग में आसानी और सूचना की सुरक्षा, तथा ▪ केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टलों के लिए गोपनीयता।
जनगणना कस्बे (Census Towns)	• मेघालय सरकार ने राज्य के जनगणना कस्बों में मनरेगा कार्यक्रम शुरू किया है। • जनगणना कस्बे **ऐसे क्षेत्र होते हैं, जिन्हें राज्य सरकारें एक कस्बे** के रूप में परिभाषित नहीं करती हैं। हालांकि, **ये शहरी विशेषताओं** से युक्त होते हैं। ○ इन कस्बों के वर्गीकरण में अस्पष्टता मौजूद होने के कारण ये न तो **शहरी योजनाओं का और न ही ग्रामीण योजनाओं** का लाभ प्राप्त कर पाते हैं। • **जनगणना कस्बों को परिभाषित करने के लिए तीन शर्तें हैं:** ○ इनकी जनसंख्या 4,000 या इससे अधिक होनी चाहिए। ○ इनका जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। ○ 75 प्रतिशत से अधिक पुरुष गैर-कृषि कार्यबल का हिस्सा होने चाहिए।
ई-गवर्नमेंट सर्वे 2022	• **संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग** ने 'ई-गवर्नमेंट सर्वे 2022: द फ्यूचर ऑफ डिजिटल

© Vision IAS

(E-Government Survey 2022)	गवर्नमेंट' जारी किया है। • यह सभी 193 सदस्य देशों में डिजिटल सरकार की स्थिति का आकलन करता है। • **मुख्य निष्कर्ष:** ○ भारत **ई-गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में 105वें** और **ई-पार्टिसिपेशन इंडेक्स में 61वें** स्थान पर है। **2020** में भारत की रैंक इन दोनों सूचकांकों में क्रमशः **100वीं** और **29वीं** थी। ○ **ई-गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में डेनमार्क प्रथम** स्थान पर है। **जापान ई-पार्टिसिपेशन इंडेक्स में प्रथम** स्थान पर है।
व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights: PR)	• दिल्ली हाई कोर्ट ने **प्रसिद्ध हस्तियों के नाम, छवि और आवाज के गैर-कानूनी उपयोग को रोकने के लिए** एक अंतरिम आदेश पारित किया है। इस प्रकार, इस आदेश से **व्यक्तित्व अधिकारों** का मुद्दा उजागर हुआ है। • **व्यक्तित्व अधिकार** किसी व्यक्ति के **निजता या संपत्ति के अधिकार के तहत उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार** को संदर्भित करते हैं। ○ **व्यक्तित्व अधिकार** उन प्रसिद्ध व्यक्तित्वों और मशहूर हस्तियों के अधिकार हैं जिनके नाम, आवाज, हस्ताक्षर या किसी अन्य व्यक्तित्व विशेषता का व्यावसायिक मूल्य है। **व्यक्तित्व अधिकार** बड़े पैमाने पर जनता को लामबंद और प्रभावित कर सकते हैं।
सरकारी विज्ञापन (Government Advertisements)	• मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को 44वें शतरंज ओलंपियाड के विज्ञापनों में **राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की तस्वीरों** को शामिल करने का निर्देश दिया है। • **कॉमन कॉज बनाम भारत संघ वाद (2015)** में सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापनों पर होने वाले सरकारी खर्च के तरीके को विनियमित करने की बात कही थी। • सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापन नीति पर **एन. आर. माधव मेनन समिति** का गठन किया था। इस समिति के सुझावों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि- ○ सरकारी विज्ञापनों में **राजनीतिक दल के प्रतीक, लोगो (Logo) या झंडे का** उपयोग करने से अनिवार्य रूप से **बचा जाना** चाहिए। ○ इन विज्ञापनों में केवल **राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की तस्वीरों का ही उपयोग किया जाना** चाहिए।
रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स (Rule of Law Index)	• **विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग** में सुधार के बाद अब **सरकार का ध्यान रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में बेहतर स्कोर प्राप्त करने पर है।** • इस सूचकांक को **वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) प्रकाशित** करता है। WJP, **अमेरिका** स्थित एक नागरिक समाज समूह है। ○ **2022 के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 140 देशों में 77वें स्थान** पर था। • **रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स का निर्धारण आठ कारकों पर आधारित है:** ○ सरकारी शक्तियों के उपयोग में बाधा, ○ भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, ○ सरकार का खुला स्वरूप, ○ मौलिक अधिकार, ○ कानून व्यवस्था और सुरक्षा,

	○ विनियामक प्रवर्तन, ○ नागरिक न्याय, तथा ○ आपराधिक न्याय।
नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (National E-Governance Services Limited: NeSL)	• NeSL ने अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्सक्यूशन (DDE) प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से एक मिलियन लेन-देन प्रोसेस किए हैं। • NeSL **भारत की पहली सूचना उपयोगिता (Information Utility)** है। ○ यह **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 के तहत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI)** में पंजीकृत है। ○ NeSL की प्राथमिक भूमिका वित्तीय या परिचालन लेनदार द्वारा प्रस्तुत तथा ऋण के पक्षकारों द्वारा सत्यापित और प्रमाणित **किसी भी ऋण/ दावे से संबंधित जानकारी रखने वाले कानूनी साक्ष्य के भंडार के रूप में कार्य** करना है।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

8 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2021

from various programs of VisionIAS

2 AIR

ANKITA AGARWAL

3 AIR

GAMINI SINGLA

4 AIR

AISHWARYA VERMA

5 AIR

UTKARSH DWIVEDI

6 AIR

YAKSH CHAUDHARY

CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

1 AIR

SHUBHAM KUMAR

7 AIR

SAMYAK S JAIN

8 AIR

ISHITA RATHI

9 AIR

PREETAM KUMAR

YOU CAN BE NEXT

ABHYAAS 2023

ALL INDIA PRELIMS (GS+CSAT)

MOCK TEST SERIES

3 TEST

TEST-1	TEST-2	TEST-3
2 APRIL	23 APRIL	7 MAY

- All India Ranking
- Comprehensive Evaluation, Feedback & Corrective Measures
- Available In ENGLISH / हिन्दी

OFFLINE* IN 170+ CITIES

Register @ www.visionias.in/abhyaas

AGARTALA | AGRA | AHMADNAGAR | AHMEDABAD | AIZAWL | AJMER | ALIGARH | ALMORA | ALWAR | AMARAVATI (ANDHRA PRADESH) | AMBALA | AMBIKAPUR | AMRAVATI (MAHARASHTRA) | AMRITSAR | ANANTHAPURU | ASANSOL | AURANGABAD (MAHARASHTRA) | AYODHYA | BALLIA | BANDA | BAREILLY | BATHINDA | BEGUSARAI BENGALURU | BHAGALPUR | BHAVNAGAR | BHILAI | BHILWARA | BHOPAL | BHUBANESWAR | BIKANER | BILASPUR | BOKARO | BULANDSHAHR | CHANDIGARH | CHANDRAPUR CHENNAI | CHHATARPUR (MP) | CHITTOOR | COIMBATORE | CUTTACK | DAVANAGERE | DEHRADUN | DELHI-MUKHERJEE NAGAR | DELHI-RAJINDER NAGAR | DHANBAD DHARAMSHALA | DHARWAD | DHULE | DIBRUGARH | DIMAPUR | DURGAPUR | ETAWAH | FARIDABAD | FATEHPUR | GANGTOK | GAYA | GHAZIABAD | GORAKHPUR | GR NOIDA GUNTUR | GURDASPUR | GURUGRAM (GURGAON) | GUWAHATI | GWALIOR | HALDWANI | HARIDWAR | HAZARIBAGH | HISAR | HOWRAH | HYDERABAD | IMPHAL | INDORE ITANAGAR | JABALPUR | JAIPUR | JAISALMER | JALANDHAR | JAMMU | JAMNAGAR | JAMSHEDPUR | JAUNPUR | JHAJJAR | JHANSI | JODHPUR | JORHAT | KAKINADA KALBURGI (GULBARGA) | KANNUR | KANPUR | KARIMNAGAR | KARNAL | KASHIPUR | KOCHI | KOHIMA | KOLHAPUR | KOLKATA | KORBA | KOTA | KOTTAYAM | KOZHIKODE (CALICUT) | KURNOOL | KURUKSHETRA | LATUR | LEH | LUCKNOW | LUDHIANA | MADURAI (TAMIL NADU) | MANDI | MANGALURU | MATHURA | MEERUT | MIRZAPUR MORADABAD | MUMBAI | MUNGER | MUZAFFARPUR | MYSURU | NAGPUR | NALANDA | NASIK | NAVI MUMBAI | NELLORE | NIZAMABAD | NOIDA | ORAI | PALAKKAD | PANAJI (GOA) | PANIPAT | PATIALA | PATNA | PRAYAGRAJ (ALLAHABAD) | PUDUCHERRY | PUNE | PURNIA | RAIPUR | RAJKOT | RANCHI | RATLAM | REWA | ROHTAK | ROORKEE ROURKELA | RUDRAPUR | SAGAR | SAMBALPUR | SATARA | SAWAI | MADHOPUR | SECUNDERABAD | SHILLONG | SHIMLA | SILIGURI | SIWAN | SOLAPUR | SONIPAT SRINAGAR | SURAT | THANE | THANJAVUR | THIRUVANANTHAPURAM | THRISSUR | TIRUCHIRAPALLI | TIRUNELVELI | TIRUPATI | UDAIPUR | UJJAIN | VADODRA | VARANASI VELLORE | VIJAYAWADA | VISAKHAPATNAM | WARANGAL

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor,
Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station

8468022022 WWW.VISIONIAS.IN

JAIPUR | HYDERABAD | BHOPAL | GUWAHATI | RANCHI | LUCKNOW | PUNE | AHMEDABAD | CHANDIGARH | PRAYAGRAJ